

लौकिकी और मुद्रावरा

स्वरूप-विश्लेषण

डॉ. सूर्यप्रकाश

लोकोक्ति और मुहावरा

स्वरूप-विश्लेषण

डॉ. सूर्यप्रकाश

प्रकाशक
लोक प्रकाशन, नई दिल्ली-110009

लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप-विश्लेषण

© डॉ० सूर्यप्रकाश

प्रकाशक

लोक प्रकाशन

39-डी, पुरानी गुप्ता कॉलोनी

नई दिल्ली-110009

लोक प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित एव हरिकृष्ण प्रिंटर्स,
शाहदरा दिल्ली-32 में मुद्रित । आवरण सज्जा श्री चेतनदास तथा
आवरण मुद्रण गणेश प्रेस, गाधीनगर दिल्ली-31 द्वारा ।

मूल्य

60 00 रुपये

संस्करण
प्रथम, 1990

मातृदेव-पितृदेव को सश्रद्ध...

विषय-अनुक्रम

लोकोक्ति स्वरूप विश्लेषण / 17-54

लोकोक्ति विमर्श

लोकोक्ति के समानाधिक शब्द

लोकोक्ति की परिभाषा एवं रूप-सरचना—सक्षिप्तता, सारगर्भितता सप्राणता, लोकप्रियता मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता, लोकोक्ति की कुछ अन्य विशेषताएँ एवं परिभाषाएँ। लोकोक्ति और लौकिक न्याय। लोकोक्ति और कहावत। लोकोक्ति और पहेली। लोकोक्ति और अलंकार, लोकोक्ति और प्राज्ञोक्ति अथवा सूक्ति।

मुहावरा स्वरूप विश्लेषण / 55-96

मुहावरे की परिभाषा एवं रूप-सरचना

मुहावरा एवं रोजमर्रा (बोलचाल)

मुहावरा एवं सयुक्त क्रिया

लोकोक्ति एवं मुहावरे में साम्य वैषम्य

लोकोक्ति एवं मुहावरे का क्षेत्र

लोकोक्ति एवं मुहावरे का महत्त्व

पूर्व पीठिका

मानव-जीवन के सभी पक्षों को सूत्र रूप में व्याख्यायित करने वाले, जन-जन के कण्ठ पर विरजित लोकोक्तियाँ और मुहावरे लोक-जीवन के न्यायशास्त्र, लोकाचरण की आचार-सहिता, लोक-मान्यताओं के मानक बोध तथा मानव-समाज की मनीषा हैं, जिनका चमत्कार पूर्ण प्रयोग अभिव्यक्ति-कौशल के रूप में परम्परामुक्त रूप से होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग प्रायः दो क्षेत्रों में स्वीकृत है—क जन साधारण, ख साहित्य। इसमें मानव-जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, ईर्ष्या-लोभ, रुचि-अरुचि, प्रेम-घृणा, राग-द्वेष, समर्थन-विरोध, सफलता-असफलता, उन्नति-अवनति, मूर्खतापूर्ण-विद्वत्तापूर्ण व्यापारों के अतिरिक्त रीति-रिवाज, मनन-चिन्तन, आचार-विचार, तथा आर्थिक-धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की सफल अभिव्यजना होती है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो इनके क्षेत्र में न आया हो। यही कारण है कि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे वाणी के शृंगार बनकर जहाँ लोक-साहित्य में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए हैं, वहाँ अभिजात अथवा शिष्ट साहित्य में भी साहित्यकारों द्वारा सम्पूजित हुए हैं। भावपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना के अवसर पर वाग्मितायुक्त इन भगिमापूर्ण, विदग्ध, भावप्रेरित एवं भावानुमोदित लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से साहित्य में जो सौन्दर्य प्रस्फुटित हुआ है, वह सर्वथा आकर्षक एवं विलक्षण होने के कारण अधिकाधिक प्रभावशाली बनकर सहृदय के चित्त को चमत्कृत कर देता है। वस्तुतः लोकोक्तियाँ व मुहावरे साहित्य-रत्नाकर की बहुमूल्य रत्नावलि हैं, जिनसे सुसज्जित होकर साहित्य अपूर्व वैभव-सम्पन्न बन जाता है।

‘लोकोक्ति और मुहावरा . स्वरूप-विश्लेषण’ नामक इस पुस्तक में विभिन्न कोशकारों एवं विद्वानों—विशेषतः सम्बन्धित विषय पर शोध-कार्य करने वाले शोध-कर्त्ताओं की एतद्विषयक मान्यताओं का समुचित परिशीलन कर लोकोक्ति एवं मुहावरों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। इनमें प्रथम लोकोक्ति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लोकोक्ति के सभानार्थक प्रयुक्त शब्दों, विभिन्न परिभाषाओं तथा प्रमुख तत्त्वों का विवेचन किया गया है। लोकोक्ति की कतिपय विशेषताओं—सक्षिप्तता, सारगर्भितता, सप्राणता एवं लोकप्रियता में मूल रूप में टूँच ने प्रथम तीन गुणों को और उसके बाद हेस्टिंग्स ने चतुर्थ तत्त्व के रूप में लोकप्रियता को अनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया है। इन तत्त्वों के अतिरिक्त मानवीय अनुभव और उनकी सत्यता, प्रसंगानुकूल उपयुक्तता, सरलता, उपयोगिता,

चुक-साम्य आदि विशेषताओं पर विचार किया गया है। लोकोक्ति के समानान्तर प्रयुक्त शब्दों में—लौकिक न्याय, कहावत, प्रहेलिका, अलंकार तथा प्राज्ञोक्ति के साथ साम्य-वैषम्य प्रतिपादित कर लोकोक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व की पहचान करायी है।

‘मुहावरा’ अरबी भाषा का शब्द है जो फारसी के माध्यम से हिन्दी में आया है। ‘गया सुल्लुगात’, ‘फरहग आसफिया’ तथा ‘लुगात किश्वरी’ आदि फारसी कोशों के अतिरिक्त अनेक हिन्दी-अंग्रेजी कोशकारों तथा अन्य विद्वानों के मतों की समीक्षा कर इसको परिभाषाबद्ध किया गया है। मुहावरे का प्रहेलिका, सुभाषित, लौकिक न्याय, दृष्टकूट आदि के साथ भी पर्याप्त साम्य-वैषम्य है। इसी प्रकार कुछ चलते क्रियापदों को मुहावरा समझने का भ्रम हो जाता है, अतः युग्मक क्रिया अथवा सयुक्त क्रिया के साथ तुलना करके इस भ्रम का निवारण किया गया है।

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पर्याप्त साम्य होने पर भी अत्यधिक वैषम्य है। रूपात्मकता, अर्थ-विधान, प्रयोजन एवं प्रयोग आदि के निकषण द्वारा इनमें परस्पर पार्थक्य स्थापित किया गया है।

अन्ततः इसके अनन्तर इनके क्षेत्र एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। साहित्य के उभय क्षेत्रों, लोकसाहित्य व अभिजातसाहित्य में अपना वचंस्व स्थापित करने में सफल लोकोक्ति और मुहावरे का महत्त्वाकन भी क्षेत्र की भाँति द्विविध रूपों में किया गया है—

क लोक-वाणी के शृंगार के रूप में, इनकी लोक-रूपाति के आधार पर।

ख काव्य-भाषा के अलंकार के रूप में, इनकी साहित्यिक उपयोगिता के आधार पर।

अन्त में मैं उन सभी विद्वानों एवं शोध-कर्त्ताओं के प्रति हार्दिक वृत्तज्ञता प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ जिनकी ज्ञान-राशि का उपयोग इस पुस्तक को तैयार करने में किया गया है।

इस पुस्तक के लेखन-मुद्रण में त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। यह भी सम्भव है कि इस विषय पर कार्य करने वाले कुछ शोध-कर्त्ताओं के नाम सूचनादि के अभाव में छूट गए हों। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इसे मेरी असमर्थता व अनवधानता समझकर भविष्य में इसके सशोधन-परिवर्धन के लिए तत्सम्बन्धी सूचना व सुझाव देकर उपवृत्त करेंगे। इस पुस्तक में स्थापित तथ्यों से यदि किसी विद्वद्बन्धु की स्थापना को अनजाने ढंग पड़ती हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हिन्दी जगत् में लोकोक्ति और मुहावरे को मान्य स्वरूप प्रदान करने में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी और इसका समुचित आदर होगा—इस आशा के साथ यह पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है।

हिन्दी-विभाग,
हृदयराज बालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली—110007

—सूर्यप्रकाश

आमुख

डॉ० सूर्यप्रकाश कृत 'लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप-विश्लेषण' अपने ढंग का एक मौलिक एवं अनूठा कार्य है। लेखक ने पहले 'लोकोक्ति' के स्वरूप पर विचार किया है। इस विवेचन को कई आयामों में विभक्त किया गया है। जैसे—सर्वप्रथम 1 'लोकोक्ति' शब्द की विशद व्याख्या 2. लोकोक्ति के लक्षण निर्धारक तत्त्व 3 समान विधाओं से अन्तर। 'लोकोक्ति-विमर्श' के रूप में लेखक ने विशेष सदाशयता से काम लिया है। लोकोक्ति शब्द 'लोक + उक्ति' इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थ में सर्वप्रथम 'संस्कृत लोकोक्ति संग्रह' में व्यक्त 'लोकोक्ति' का शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत किया है—लोकोक्ति : लोक कल्याणाय उक्ति, लोक प्रचलिता उक्ति। इस कथन में समस्त पदमूलक लोकोक्ति शब्द का विभक्तिमूलक अर्थ व्यक्त किया गया है। प्रथम अर्थ के अनुसार 'लोकोक्ति' शब्द स्पष्ट रूप से कथन की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है और द्वितीय अर्थ में उस उपयोगिता का परिणाम स्वीकृत किया गया है। इस विमर्श का आशय यह है कि जो उक्ति लोक-कल्याणकारक होगी वही अपनी उपयोगिता के कारण लोक में प्रसिद्ध होगी। यहाँ ये दोनों ही विवक्षाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। इनमें चोली-दामन का साथ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो 'गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न' की ध्वनि से प्रपूरित हैं। लेखक ने अपने इस ग्रन्थ में 'लोक तथा 'उक्ति' का भी विशद विवेचन किया है। 'लोक' शब्द का सामान्यतः समाज, या लोग अर्थ बहुचर्चित है। 'लोकोक्ति' के सदर्भ में यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। 'उक्ति' के लिए 'कथन' शब्द का व्यवहार निरन्तर होता है। और लोकोक्ति के सदर्भ में मही अर्थ सर्वग्राह्य है। फिर भी अघ्यवसाय सूझ-बूझ तथा विशुद्धता की दृष्टि से यह विवेचन उपयुक्त है।

शाब्दिक विमर्श के पश्चात् लेखक ने लोकोक्ति के पारिभाषिक तत्त्वों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में लेखक की संग्रहात्मक दृष्टि प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। और लेखक ने लोकोक्ति के स्वरूप-निर्धारक तत्त्वों का एक अच्छा कोश तैयार कर दिया है।

लोकोक्ति का लक्षण निर्धारित करते समय लेखक ने सर्वप्रथम कुछ विद्वानों के मतों का उल्लेख किया है। ये सभी मत यूरोपीय भाषाओं के हिन्दी-रूपान्तर के रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। कतिपय उदाहरणों को यहाँ उद्धृत करना समीचीन है—

"संसार की समस्त सद्भावनाएँ लोकोक्तियों में निहित होती हैं।"

"लोकोक्तियाँ अनुभवों की सतति हैं।"

"लोकोक्तियाँ ज्ञान का पथ हैं।"

“प्रत्येक लोकोक्ति सत्य होती है।”

“लोकवाणी ईश्वरीय वाणी होती है।”

इन मतों में यह स्पष्ट है कि विद्वानों ने ‘लोकोक्ति’ के तत्त्वों का ‘स्वान्त-सुखाय’ निरूपण किया है। परन्तु इस पृथक् व्यावृत्ति में ही लोकोक्ति का समष्टि-विधान निहित है। ये सभी मत बिखरे हुए मोती हैं जिन्हें एकत्र करके क्रमबद्ध-रूप में पिरोना ही तो लेखक का कार्य है। उपर्युक्त परिभाषाओं में लोकोक्ति के तात्त्विक स्वरूप का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न विशेषताओं के आधार पर किया गया है। लेखक का यह मत गहन एवं सचिन्त्य है, क्योंकि इन सभी परिभाषाओं में लोकोक्ति के तत्त्वों का विशद निरूपण है। कुछ विद्वलेपणात्मक तत्त्व-शृंखला इस प्रकार हैं।

1 लोकोक्ति में सार्वभौम सत्य विद्यमान रहता है।

2 अनुभव या लोकानुभव लोकोक्ति मात्र का अनिवार्य तत्त्व है।

3. लोकोक्ति ‘ज्ञान’ का साधन है। वह आप्त वाक्य प्रकरण भी होती है। इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर लोकोक्ति की परिभाषा करें तो वह इस प्रकार होगी—
“लोकोक्ति—लोकानुभव-प्रसूत लोक जीवन से सम्बद्ध सार्वभौम सत्य पर आधारित आप्त वाक्य या आप्तवाक्यवत् होती है।” इस प्रकार लोकोक्ति के निम्नलिखित तत्त्वों का निर्धारण होता है।

1 सार्वभौम सत्य 2 लोकानुभव 3 आप्तता।

प्रस्तुत ग्रन्थ में आगे चलकर लोकोक्ति के तत्त्वों पर भी विचार किया गया है और विद्वानों के प्रचलित मतों का आधार लेकर आगे बढ़ते हुए इन तत्त्वों का उल्लेख भी किया है—

“सक्षिप्तता, सारगर्भितता, सप्राणता, लोकप्रियता, प्रसंगानुकूल उपयुक्तता, पुष्टि अथवा विरोध, सरलता, उपयोगिता, पूर्णवाक्य या वाक्य समूह, तुक्साध्य, अप्रस्तुत प्रयोग, वैचित्र्य, प्रकृति का गम्भीर निरीक्षण, घटना या कहानी से सम्बद्धता, समाज-नीति, धर्म, व्यवहार, सिद्धा, उपदेश, विद्वान्, रीति, ज्ञान आदि की विद्यमानता।”

इन तत्त्वों के देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान, विज्ञान सिद्धा, नीति और धर्मादि लोकोक्ति के वामनाकार में ही समाहित हो गये हैं। यह यथार्थ भी है क्योंकि लोकोक्ति का विषय-क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है; परन्तु इन विषयात्मक तत्त्वों को ग्रहण करने का आधार एक ही है—लोकानुभव अर्थात् लोकस्यानुभव, क्योंकि लोकोक्ति का विषय यही बनता है जो ‘लोकानुभव’ पर आधारित हो—“उक्ति वागद की सेती नहीं आगों की देती हो।” अतः लोकानुभव ही लोकोक्ति का प्रधान विषय है और उगो में “अशयषट के वासक के उदर की भाति” साकार विद्वत् का समस्त ज्ञान गमाहित है। इस प्रकार लोकोक्ति के विषय-तत्त्व के रूप में समग्र रूप से लोकानुभव को ही ग्रहण किया जाता है। लेखक ने यहाँ लोकोक्ति के विषय-तत्त्व के रूप में अपनी धारणा को बन्दोबस्त एवं व्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की है। लोकोक्ति के भव्य महर्षों में गणितज्ञान, सारगर्भितता तथा सप्राणता भी लोकोक्ति के अनिवार्य तत्त्व हैं। लोकोक्ति भी लोकोक्ति का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, परन्तु मेरी सम्मति में यह अनिवार्य नहीं

है, क्योंकि हिन्दी साहित्य में असंख्य उक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें लोकोक्ति के सभी अनिवार्य गुण विद्यमान हैं परन्तु वे प्रचलित नहीं हैं। लोकप्रियता के सम्बन्ध में मत इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

“लोकोक्तियाँ लोक प्रचलित होती हैं। बिना लोक-प्रसिद्धि और लोक-मान्यता के कोई भी उक्ति चाहे वह सारगर्भित हो या सक्षिप्त हो, लोकोक्ति हो ही नहीं सकती। जो उक्तियाँ लोक प्रचलित नहीं होती, वे प्राज्ञोक्तियाँ आदि नहीं जाती हैं क्योंकि वे सामान्य लोकवाणी से दूर रहती हैं।”

यह मत “सूरसाहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन” नामक ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है जिसके लेखक डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा हैं। इसके आगे जो मत है वह लेखक का स्वयं का ज्ञात होता है इसका भी अवलोकन यहाँ वाञ्छनीय है—

“लोकमान्य एवं लोकविश्रुत होकर ही लोकोक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों में सक्षिप्तता—सारगर्भितता आदि की भूमिका, इसके निर्माण में गौण रूप में होती है, लोक स्वीकृति से ही लोकोक्ति का आत्म तत्त्व सिद्ध होता है।” इस प्रकार लेखक ने लोकप्रियता, को ही लोकोक्ति का एक मात्र अनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया है। इस धारणा से ज्ञात होता है कि स्वयं लेखक तथा सदाभित डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा लोकप्रियता को प्रायः आवश्यक मानकर चले हैं। परन्तु देखना यह है कि सूर साहित्य हो या अष्टछाप, तुलसी-साहित्य हो या कबीर-वाणी, जहाँ भी सक्षिप्त, सरल, सारगर्भित, सजीव, लोकानुभव पर आधारित, लोक जीवन से सम्बद्ध सार्वभौम सत्य को उद्घाटित करने वाली, महान् पुरुषों की अमरवाणी-रूप उपयोगी और प्रेरणादायक उक्तियाँ हमें साहित्य में मिलती हैं उनमें किञ्चित् मात्र ही लोक प्रचलित होती हैं, परन्तु फिर भी वे लोकोक्तियाँ हैं। उन्हें लोकोक्तियों की कोटि से नहीं निकाला जा सकता—जैसे—

“तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखी की देखी ॥”

“हिन्दू कहै मोहि राम पियारा तुरक कहै रहमाना ।

कबीर लडि-लडि दोऊ मरे-मरम न काहू जाना ॥”

“बकरी पाती खाति है ताकी काढी खाल ।

जे नर बकरी खात है तिनके कौन हवाल ॥”

“प्रमुजी मेरे औगुन चित न धरो ।”

“सूरदास तीन्यो नहिं उपजै धनिया, धान, कुम्हेडो ।”

“ऊघो मन माने की बात ।”

“धीरज धरम मित्र अरु नारी । आपद काल परखि यह चारी ॥”

“दुष्ट सग नहिं देद विघाता ॥”

“सठ सुघरहि सत सगति पाई ।”

“दया धरम को मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये जब लागि घट में प्रान ॥”

उपर्युक्त सभी उक्तिया साहित्य की हैं और जन सामान्य में प्रचलित भी नहीं हैं। इनका प्रयोग केवल साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक ही उद्धरण के रूप में करते हैं, परन्तु इन्हें लोकोक्ति के रूप में मानने से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? यही कि इन उक्तियों में लोकोक्ति से सभी अनिवार्य तत्त्व, जैसे—सक्षिप्तता, सारगर्भिता, सजीवता, सरलता, उपयोगिता, प्रेरणादायकता, लोकानुभव तथा लोकजीवन से सम्बद्ध सत्य विद्यमान हैं। अतः लोकोक्ति का एक मात्र तत्त्व लोक प्रचलन ही नहीं है। लोकोक्ति का कलेवर तो उसके उपर्युक्त तत्त्वों के सयुग से ही निर्मित होता है—चाहे वह उक्ति लोक-प्रचलित हो या नहीं। इससे लोकोक्ति के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोक की दृष्टि में आते ही जो उक्ति सुगन्ध और शौर्य की भाँति तुरन्त समाज के मन-मानस में विहरित होने लगती है, वही लोकोक्ति होती है। 'तुलु साम्य' लोकोक्ति का कोई अपरिहार्य तत्त्व नहीं है। यह तो सरलता का ही एक असाधारण है। प्रसंगानुकूल उपयुक्तता उसकी उपयोगिता में ही निहित रहती है। अप्रस्तुत विधान, उक्ति वैचित्र्य सजीवता के ही द्योतक हैं। इस प्रकार लोकोक्ति के स्वरूप-निर्माण में जो अनिवार्य तत्त्व विद्यमान रहते हैं—वे इस प्रकार हैं—

लोक-जीवन से सम्बद्ध सत्य, लोकोक्ति का विषय होता है। लोकानुभव विषय को स्वीकार करने का साधन है। सारगर्भिता, सजीवता उपयोगिता और प्रेरणादायकता लोकोक्ति के गुण हैं। पुष्टि और विरोध लोकोक्ति की प्रवृत्ति है। सक्षिप्तता इसकी शैली और सरलता लोक-प्रसिद्धि का मूल आधार है। इस प्रकार जहाँ ये सभी तत्त्व समवेत रूप में उपस्थित हो जाते हैं वही लोकोक्ति का निर्माण हो जाता है—चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात।

लोकोक्ति के सम्बन्ध में एक यह धारणा भी अकाट्य रूप में व्याप्त है कि लोकोक्ति बिना लेखक की रचना होती है अथवा इसके निर्माता का पता नहीं होता। लेखक ने भी यह तत्त्व अपने विवेचन में लिया है। द्वेष का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि लोकोक्तियों का लेखक ज्ञात ही नहीं होता। लेखक ने इस दृष्टि से इनके दो विभाग किए हैं—ज्ञातनामा तथा अज्ञातनामा। ज्ञातनामा लोकोक्तियों के रचयिता का नाम प्रयोक्ता को ज्ञात होता है। अनेक साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियाँ उन्हीं के नाम से ज्ञात होती हैं। लेखक का यह मत सर्वथा स्वीकार्य है।

अन्त में प्रसंगानुकूल लोकोक्ति के स्वरूप-विवेचन-सम्बन्धी तीसरे चरण पर भी विचार कर लेना चाहिए, जहाँ लेखक ने लोकोक्ति की समानान्तर विधाओं से उसकी समता-विषमता का प्रश्न उठाया है—

सर्वप्रथम लोकोक्ति और लौकिक न्याय के सम्बन्ध में विचार किया गया है। लौकिक न्याय कोई पृथक् से विधा नहीं है। वह तो एक विषय है जो लोकानुभव-प्रसूत होता है। अतः लौकिक न्याय अर्थात् लोक जीवन से सम्बद्ध सत्य जो लोकानुभव-प्रसूत होता है—लौकिक न्याय कहलाता है और यह लोकोक्ति का विषय हो सकता है। यदि लौकिक न्याय (लोक-सत्य) को सक्षिप्तता आदि सभी तत्त्वों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो वह भी लोकोक्ति की श्रेणी में आ जाता है। प० रामनरेश त्रिपाठी ने लौकिक

न्याय और लोकोक्ति में जो अभिन्नता स्वीकार की है, उसका आधार वे ही सून या उक्तिया हैं जिनमें लोकोक्ति के सभी अनिवार्य तत्त्व विद्यमान हैं और 'लौकिक सत्य' जिसका विषय है। लेखक ने इस सम्बन्ध में अपना सुस्पष्ट मत ही व्यक्त किया है। अतः यहाँ प्रणेता की दृष्टि वस्तुस्थिति का सम्यक् अवलोकन करती हुई चली है।

लोकोक्ति और कहावत प्रसंग में भी लेखक ने पूर्ण विवेकशीलता का परिचय दिया है। विभिन्न विद्वानों के मत-मतान्तरों का विश्लेषण करते हुए लेखक इस निश्चय पर पहुँचने में सफल हुआ है कि—“लोकोक्ति कहावत का समानार्थक शब्द है।” यह धारणा सही है और श्लाघ्य भी।

लोकोक्ति और पहेली ऐसी विधाएँ हैं जो प्रचलन में अपनी पूर्ण समानता रखती हैं। यहाँ तक कि पहेली लोकोक्ति से अधिक प्रचलित देखी जाती है, परन्तु सक्षिप्तता, सार गभितता, मार्मिकता, प्रेरणादायकता आदि गुणों का अभाव रहने के कारण पहेली को लोकोक्ति नहीं माना जा सकता। लेखक ने इस तथ्य को पूर्ण स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त किया है—लोकोक्ति पहेली से भिन्न विधा है।

लेखक ने लोकोक्ति एवं अलंकारों के साम्य-वैषम्य के प्रश्न को भी उठाया है। परन्तु अलंकार कोई विधा नहीं है, वह तो काव्य-सौन्दर्य के उद्भावक साधन है और लोकोक्ति, लोकप्रेरणा पर आधारित होने के कारण साध्य है। अतः लोकोक्तियों में अधिक प्रयोग उन्हीं अलंकारों का मिलता है, जो लोक जीवन से सम्बद्ध सत्य को उद्घाटित करके लोक-प्रेरणा का आधार बन जाते हैं—इस प्रकार के अलंकारों में—अस-मति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, विभावना विशेषोक्ति—तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, उदाहरण, प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना तथा अन्योक्ति आदि को लिया जा सकता है। किसी-किसी विद्वान् ने 'लोकोक्ति अलंकार' का भी उल्लेख किया है परन्तु यह उपयुक्त नहीं, भ्रामक ही है। लेखक ने इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है कि लोकोक्तिमात्र को एक अलंकार विधा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अन्त में लेखक ने लोकोक्ति एवं प्राज्ञोक्ति अथवा सूक्ति के साम्य-वैषम्य पर विचार करते हुए यह मत स्थिर किया है—

“निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूक्तियों (प्राज्ञोक्तियों) एवं लोकोक्तियों में भिन्नता का आधार प्रचलन है। प्राज्ञोक्तियाँ जहाँ प्राज्ञों द्वारा निर्मित होकर शास्त्रों अथवा विद्वद् समुदाय में ही सम्मानित रहती हैं, वहाँ लोकोक्तियाँ लोकप्रिय होकर देश-देशान्तर तक भ्रमण करती हुई सार्वदेशिक सम्पत्ति बन जाती हैं।”

मेरी सम्मति में लोकोक्तियों और सूक्तियों के साम्य-वैषम्य की विवक्षा करते हुए यदि सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि से देखा जाय तो लोकोक्ति और सूक्ति में कोई भेद नहीं है जिस प्रकार लोकोक्ति और कहावत में कोई भेद नहीं है। केवल प्रचलन के आधार पर ही लोकोक्ति और सूक्ति को पृथक् नहीं किया जा सकता, यदि किसी उक्ति में लोकोक्ति के निर्धारित अनिवार्य तत्त्व विद्यमान हैं। जिस प्रकार मानव-समाज एक है, चाहे उसकी जातियाँ और स्थितियाँ भिन्न हों, उसी प्रकार लोकोक्ति → कहावत → सूक्ति भी एक ही है। इनमें जो भिन्नता आभासित होती है वह परिहार्य है, अपरिहार्य नहीं।

लोकोक्ति के स्वरूप पर विशद् रूप से विचार कर लेने के पश्चात् लेखक ने मुहावरे के स्वरूप पर भी विचार किया है। मुहावरे का स्वरूप विशेष विवादास्पद नहीं रहा है। कहीं-कहीं यह देखने में आता है कि 'लोकोक्ति कोशों' में मुहावरे को और 'मुहावरा कोशों' में लोकोक्तियों को रख दिया गया है। यहाँ इस भ्रान्ति का निराकरण भी आवश्यक है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो 'ना' प्रत्यय से जुड़ा रहता है। मुहावरे में लक्षणा और व्यंजना अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है मुहावरे का विषय लोकोक्ति की भाँति व्यापक न होकर केवल कोई भाव होता है, जिसे व्यंग्य कहते हैं। मुहावरे में इस व्यंग्य का चमत्कारी रूप सजोकर रखा जाता है। इस प्रकार मुहावरा चमत्कार, सजीवता, रोचकता, मार्मिकता, गभीरता, सक्षिप्तता एवं प्रेरणादायकता में लोकोक्ति के समान ही होता है, परन्तु वह लोकोक्ति की भाँति पूणवाक्य न होकर वाक्यांश ही होता है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने मुहावरे के स्वरूप को निर्धारित करने के लिये देश और विदेश के सभी विद्वानों के मतों को प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से लेखक का प्रयत्न अवश्य ही सराहनीय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में लोकोक्ति एवं मुहावरे के क्षेत्र निर्धारण का प्रयास भी किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि लोकोक्ति का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मुहावरे का सीमित। लोकोक्ति का विषय—इतिहास-पुराण, ज्ञान विज्ञान, प्रकृति-सामाजिक व्यवहार और क्रियाएँ, सम्यक्ता तथा सस्कृति के सभी प्रधान रूपों जैसे—धर्म दर्शन, जीवन दर्शन, नीति आदि सभी विषयों का लोकानुभव-प्रसूत रूप पुष्टि और विरोध के रूप में सन्निहित रहता है। मुहावरे का क्षेत्र प्राणियों के अगादि तथा क्रिया भावादि तक ही सीमित रहता है। अतः क्षेत्र की दृष्टि से लोकोक्ति मुहावरे से बहुत आगे है। इस क्षेत्र-सम्बन्धी विवेचन को हम लोकोक्तियों और मुहावरों के वर्गीकरण के रूप में ले सकते हैं।

अन्त में लोकोक्ति एवं मुहावरे के महत्त्व पर प्रकाश भी डाला गया है। लोकोक्तियाँ समाज के हार्डकोर की नज़ीरें होती हैं और मुहावरे विष में बुझे हुए व्यंग्यवाण, जो अपनी सफल चोटों से हृदय को झूँझोर दते हैं। महत्ता की दृष्टि से लोकोक्तियाँ और मुहावरे प्रायः समान ही हैं। इनके सम्बन्ध में "बो बड छोट कहत अपराधू" की ही स्थिति है। अतः विवेचनोपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे केवल साहित्य-साहित्य की ही विधाएँ नहीं हैं अपितु साहित्य की भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधाएँ हैं क्योंकि साहित्य में भी जो जीवन-ज्याति प्रज्वलित दिखाई देती है, उनका स्रोत में लोकोक्तियाँ और मुहावरे ही हैं।

निष्कर्षतः यह कहने में मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि लेखक ने लोकोक्ति और मुहावरों के स्वरूप विवेचन में जो विवेकशीलता प्रदर्शित की है, उससे अध्येता-वर्गों को इन विधाओं का सम्यक् परिचय मिल सकेगा। मेरा विश्वास है कि यह कृति इस विषय की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्वत्समाज में अवश्य सभादत्त होगी। अन्त में मैं इस पुस्तक के प्रकाशन पर मांगलिक कामनाओं के साथ लेखक को साधुवाद देता हूँ।

शरोदीमन कनित्र, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली—110007

मदनलाल शर्मा
एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत);
पी-एच० डी०, 'डी० लिट०'
हिन्दी विभाग

लोकोक्ति : स्वरूप-विवेचन

लोकोक्ति-विमर्श

‘लोकोक्ति’ शब्द में मध्यम पदलोपी समास है, यथा लोक कल्याणाय उक्ति लोकोक्तिः अथवा लोक प्रचलिता उक्ति लोकोक्तिः।¹ ‘लोक’ शब्द नानार्थक है। यह अनेक-विध निष्पन्न हुआ है। ‘लोक’ धातु आत्मनेपदी है जिसका वर्तमानकालिक शब्दरूप संस्कृत में लोक्ते बनता है। स्वार्थ में णिच् होने पर ‘लोक’ धातु का परस्मैपद में लोक-यति शब्दरूप निष्पन्न होता है। उक्त शब्दरूपों के अतिरिक्त भावार्थ में आत्मनेपद में लोकयते शब्द भी बनता है। लोक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ‘लोकयतेऽसौ इति लोक’ अर्थात् दिखाई देने वाले के लिए लोक की सजा से अभिहित किया गया है। ‘लोक’ शब्द से घञ् प्रत्यय करने पर ‘लोक’ शब्द की निष्पत्ति होती है। ‘कविकल्पद्रुम’ में ‘लोक’ धातु ऋक् ईक्ष अर्थ में प्रयुक्त हुई है जिसका अर्थ दर्शन है² तथा एक् अन्य पुरुष एकवचन रूप लावते होता है। स्पष्ट है कि ‘लोक’ शब्द का अर्थ है देखने वाला। अतः वह समस्त जन समुदाय या इम कार्य को करता है, लोक कहलाता है।³

‘उक्ति’ शब्द वच् व्यक्तार्था वाचि धातु में उत्तरकृदन्त कितन् प्रत्यय के योग से व को उ सम्प्रसारण होने पर निष्पन्न हुआ है। इसके दो अर्थ स्वीकृत हैं—(1) भाषा तथा (2) कथन।⁴ इन दोनों में द्वितीय अर्थ ही प्रायः विद्युत है। इस प्रकार लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक प्रतिद्ध अथवा लोक-प्रचलित उक्ति।

शब्दकोषों में ‘लोक’ के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। इनमें से साधारणतः दो अर्थ विशेष प्रचलित हैं एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक अथवा त्रिलोक का ज्ञान होता है। वर्तमान प्रसंग में यह अर्थ अभीष्ट नहीं। दूसरा अर्थ लोक का होता है—जन-सामान्य। इसी का हिन्दी रूप लोग है। इसी अर्थ का वाचक ‘लोक’ शब्द साहित्य का विशेषण है, किन्तु इतने से लोक वा वह अभिप्राय प्रकट नहीं हो पाता, जो साहित्य के विशेषण के रूप में वह प्रदान करता है।⁵ अमरकोपकार ने लोक का विवेचन भूतल जगत् तथा अधोलोक के अन्तर्गत किया है। नानार्थ वर्ग के अन्तर्गत लोक के भूवन तथा जन दो अर्थ किए हैं। भूवनार्थक लोक की संख्या परिगणन की दृष्टि से अमरकोपकार ने तीन तथा सात लोकों की चर्चा की है। शब्दकल्पद्रुम में भी सप्तलोकों की चर्चा है।⁶ हिन्दी शब्दसागर में लोक

शब्द के 15 अर्थ किए गए हैं—स्थान-विशेष, सत्तार, निवास-स्थान, प्रदेश, लोग, समाज, प्राणी, यश, दृश्य, प्रकाश, 6 या 14 की संख्या, निज स्वरूप, फज, भोग्य वस्तु तथा नेत्र।⁷ हिन्दी शब्दसागर ने इन अर्थों का उल्लेख करते हुए यद्यपि यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि इनका उल्लेख अमुक-अमुक स्थलो पर हुआ है, तथापि इनमें अनेक अर्थ लोक मान्य न हो सके। मुख्यतया पूर्व विवेचित दो अर्थ ही मान्य हुए हैं।

प्रयोग की दृष्टि में 'लोक' शब्द अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद में अनेक स्थलो पर इसका प्रयोग हुआ है। वहाँ यह शब्द जन और स्थान के समानार्थी भाव का द्योतक है। ऋग्वेद के एक सूक्त में व्यवहृत लोक शब्द स्पष्टतः उभय अर्थों द्वारा प्रस्तुत करता है—

नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीघ्रं द्यौ सम्वतंतु।

पदभ्या सुमिद्दिश श्योप्राप्तया लोका अकल्पयत् ॥⁸

यहाँ सृष्ट्युत्पत्ति के वर्णन में लोक शब्द स्थान तथा जीवों या वाचक है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र इस शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, उपनिषद् आदि ग्रन्थों में हुआ है। सप्तलोकों की पौराणिक परिवर्तना का आधार भी वैदिक साहित्य ही है। उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं—इहलोक और परलोक। निरुक्त में तीन लोकों का उल्लेख मिलता है—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा शूलोक। इनका दूसरा नाम—भू, भुव, स्व है। ये महाव्याहृति कहलाते हैं। इन तीन महाव्याहृतियों की भाँति चार और शब्द हैं—'मह', 'जन', 'तप', 'सत्यम्'। ये शब्द तीन महाव्याहृतियों के साथ मिलकर सप्त व्याहृति कहलाते हैं। इन सातों महाव्याहृतियों के नाम से पौराणिक काल में सात लोकों की कल्पना हुई—भूलोक, भुवलोक, आदि। फिर इनके साथ पाताल—जिनके नाम अतल, नितल, वितल, गभस्तिमान, तल, सुतल और पाताल हैं और सब मिलकर चौदह लोक किए गए। पुराणों में पातालों के नाम में मतभेद है। पद्म पुराण में इनके नाम अनल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल तथा विष्णु पुराण में अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान्, महातल, सुतल और पाताल इनके नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार चौदह लोक या भुवन माने गए हैं।⁹ भुवनार्थक लोक शब्द पौराणिक काल में वैदिक साहित्य से प्रेरणा ग्रहण कर चौदह भुवनों के रूप में परिनिष्ठित हो गया। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य के अन्तर्गत गीता, महाभारत आदि ग्रन्थों में प्रचुर रूप में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अशोक के शिलालेख में भी इसके प्रयोग से समग्र प्रजा का भाव प्रकट है—

अनुवत्तरासव लोकहिंसाय गिरिनार करघेयत हि मे सर्वलोकहितम् ॥¹⁰

'लोक' शब्द की अद्यावधि विविध व्याख्याएँ प्रस्तुत की गयी हैं। 'लोक' शब्द का समानार्थी आगल भाषा का शब्द 'फोक' प्रचलित है। फोक शब्द एंग्लो सेक्सन शब्द Folc का विकसित रूप है। जर्मन में यह Volk हो गया है। यूरोपीय विद्वानों में सर्वप्रथम जान आब्रेन ने सन् 1687 ई० में सर्वसाधारण जनता के रीति-रिवाज, रहन-सहन, अवधिश्वास आदि के अध्ययन का प्रारम्भ किया। डब्ल्यू० जे० घामस ने सन् 1846 ई० में प्रथम बार 'फोक-लोर' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द की सार्वजनिक पुरावृत्त (Popularantiquities) के लिए रचना की थी। आगे जाकर यह शब्द प्रयोग और व्यापकता के

कारण जातिबोधक शब्द की तरह चल पड़ा। उनका मत है कि प्राचीन असम्य और पिछड़ी जातियों के अन्धविश्वास, उनके रीति-रिवाज तथा उनकी प्रथाएँ आदि के अवशिष्ट अंश ही आगे सम्य कहलाने वाली जातियों में प्राप्त होते हैं।¹¹

डॉ० बर्कर ने एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के फोक डार्सिंग निबन्ध में 'फोक' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक आदिम जाति में वे समस्त जन फोक होते हैं, जिनके द्वारा वह समुदाय निमित्त हुआ है और व्यापक अर्थ में 'फोक' सम्य राष्ट्र की समग्र जनसंख्या के लिए व्यवहृत हो सकता है। फिर भी पश्चात्प्रकार की सम्यता की दृष्टि में 'फोक' का सामान्यतः प्रयोग (फोकलोर और फोकम्यूजिक आदि समस्त पदों में) सङ्कुचित अर्थ में केवल उन्हीं के लिए आता है जो नागरिक संस्कृति की धाराओं तथा विधिवत् शिक्षा से बाहर हैं, जो निरक्षर हैं अथवा अल्पसाक्षर हैं तथा ग्राम और जनपदों में निवास करते हैं।¹²

हिन्दी में 'फोक' का पर्याय ग्राम, जन और लोक के रूप में प्राप्त है। प० रामनरेश त्रिपाठी 'फोक' शब्द के समानार्थी 'ग्राम' शब्द पर ही अधिक आग्रह प्रकट करते हैं, किन्तु उनका यह विचार बहुत वैज्ञानिक स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'ग्राम' शब्द 'लोक' की विशाल भावना को सङ्कुचित रूप में प्रस्तुत करता है।¹³ इसके विपरीत 'जन' शब्द में सभी प्राणियों का समावेश किया जा सकता है और इनसे सम्बन्धित जनपद, जनप्रवाह आदि प्रचलित शब्द होने पर भी इसका समावेश 'लोक' शब्द की व्यापकता में हो जाता है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसके व्यापक अर्थ को ग्रहण करने के पक्ष में हैं। जनपद पत्रिका में वे लिखते हैं कि 'लोक' शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं, बल्कि नगरी और गाँवों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोषिया नहीं हैं।¹⁴ इस प्रकार डॉ० द्विवेदी 'लोक' शब्द का सङ्कुचित अर्थ ग्रहण न करके इसकी व्यापक व्याख्या ही प्रस्तुत करते हैं।

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल सभ्यता पत्रिका के लोक-संस्कृति विशेषांक में 'लोक' शब्द के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं—लोक हमारे जीवन का समुद्र है, उसमें भूत-भविष्य-वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। वह राष्ट्र का अमर स्वरूप है। कृत्स्न ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाचीन में मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है। लोक और लोक की धात्री सर्वभूतरता पृथ्वी और लोक का व्यक्त रूप मानव यही हमारे नए जीवन का अध्यात्म शास्त्र है। इसका कल्पाण हमारी मुक्ति का द्वार और निर्माण का नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी और त्रिलोकी में जीवन का कल्याणात्मक रूप है।¹⁵ डॉ० अग्रवाल जीवन में लोक का अतिशय महत्त्व स्थापित करते हैं। लोक से यहाँ उनका अभिप्राय भूतल तथा भूलोक में निवास करने वाले लोगों से है। लोक-विषयक अपने-अपने मन्तव्यों को अनेक विद्वानों ने प्रसंगानुसार प्रस्तुत किया है, जिनके आधार पर सहज ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि आगल भाषा का 'फोक' शब्द 'लोक' का पर्याय होकर भी इस व्यापक अर्थ की व्यञ्जना नहीं करता, जिस अर्थ में लोक अभिव्यजित होता है।

‘लोक’ एव उक्ति’ शब्द के विवेचन के अनन्तर विवेच्य विषय लोकोक्ति के स्वरूप प्रतिपादन का काय सुगम हो जाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से लोकोक्ति का अभिप्राय है जन सामान्य में प्रचलित उक्ति¹⁶, किन्तु प्रस्तुत अर्थ में अतिव्याप्ति दोष स्पष्ट है, क्योंकि जन सामान्य की प्रत्येक उक्ति लोकोक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। अतएव लोकोक्ति का तात्पर्य लोक प्रसिद्ध प्रत्येक उक्ति न होकर विशिष्ट उक्ति ही होगा। लोकोक्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए उसके पर्यायो, परिभाषाओं एव प्रमुख तत्त्वों आदि पर विचार करना आवश्यक है।

लोकोक्ति के समानार्थक शब्द

‘लोकोक्ति’ लोक मात्र की सम्पत्ति है। स्वदेशी भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की विभिन्न भाषाओं में इसके पर्याय रूप में शब्द प्रयुक्त हैं। लोकोक्ति का समानार्थक आंग्ल भाषा का शब्द ‘Proverb’ है। इसका सम्बन्ध फ्रेंच के ‘Proverbe’ तथा इटली व लैटिन के ‘Proverbio’ से है। इनके अतिरिक्त लैटिन भाषा में लोकोक्ति के अर्थ में प्रयुक्त Proverbium (Pro, verbum, word) शब्द आलंकारिक उक्ति का अर्थ देता है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति के अर्थ में प्रचलित शब्दों का सग्रह कर एस० जी० चैम्पियन नामक पाश्चात्य विद्वान् ने उनका शाब्दिक अर्थ भी दिया है। उनकी पुस्तक ‘रेसियल प्रावर्ब्स’ में उल्लिखित लोकोक्ति के समानार्थक शब्दों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

- 1 Arabic— ‘Mathal’ or ‘tamthal’
- 2 Bulgarian & Serbo— ‘Croatian’ as in Russian ‘Poslovitsa’
- 3 Chinese— ‘YEN’ or ‘yen yu’
‘Su hua’ (common talk) or ‘Su yu’
(common saying)
- 4 Czech— ‘Prislovi & ‘Porekadlo’ & ‘řikadlo’
(a saying)
- 5 Estonian— ‘Vana Sona’ (old word)
- 6 Finnish— ‘Sanalasku’ (Dropping of a word)
- 7 Gorgia— ‘Andaza’ & Igavi (Example, Form)
- 8 German— ‘Sprich Worter’ (A Figure of Speech)
- 9 Greek— ‘Paroemian’ (by word)
- 10 Hausa— ‘Karim Manga’ (by-play with words)
- 11 Hebr— ‘Mashal’ (as Arabic, viz—to make like)
- 12 Hungarian— ‘Koz-Mondas’ (common saying)
- 13 Ice Landic— ‘oroskvior’
- 14 Irish— ‘Sean Fhocal’ (an old word)

15. Italian— 'Proverbio' (as in Latin)
16. Jabo— 'da' 'le' 'kpa' (old matter take)
17. Japanese— 'Koto-waza' (wordsthal work)
18. Latin— 'Proverbium' (Figurative Expression)
19. Lattish— 'Sakamvards' (Repeatable or sayable)
20. Lithuanian— 'Partarle' (to say to utter)
21. Malay— 'Umpama-an' (Likeness, similarity resemblance)
22. Maori— 'Whaka tauki' (Similar-similitude)
23. Persian— 'Amsal' (to resemble or to reproduce)
24. Polish— 'Przysłowie' (saying, Expression or a by-word)
25. Ronga— 'Siga' (current saying)
26. Russian— Poslovitsa' (Proverbial Expression)
27. Siam— 'Suphasit' (Skt.—subhasit, Pali—Subhasito—well spoken word)
28. Spanish— 'Proverbio' (an apothegm, a maxim —not a proverb)
29. Spanish— 'Refram' (Referendo)
30. Swedish— 'Ordspark' (ord-word, sprak-language)
31. Swahili— 'Methali', 'Methili', 'Mush' (from the Arabic) (Allegory or similitude)
32. Turkish— Atlarsozu (Grand father's saying or Elder's word etc.)
33. Welsh— 'Diharreb' or 'Dihaereb' (A saying, to affirm or assert)
34. Yoruba— 'Owe' (Riddless or play upon words).¹⁷

उपर्युक्त शब्दों में लैटिन, इटैलियन तथा स्पैनिश के शब्दों में समानता है। हिब्रू व अरबी भाषाओं के शब्दों में भी पर्याप्त साम्य है। स्वाम का 'सुफासिट' शब्द संस्कृत के 'सुभाषित' शब्द के सन्निकट है। मलय भाषा का 'उम्पमान' शब्द भी इसी प्रकार संस्कृत के 'उपमा' शब्द के पर्याप्त निकट है। इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कहीं लोकोक्ति के रूप में हुआ है, तो वही नीति-कथा, सादृश्य या उपमा आदि के अर्थ में। इससे यह सिद्ध होता है कि लोकोक्ति के अर्थ में अथवा उसके निकटवर्ती उपमा आदि अन्य अर्थ के रूप में प्रयुक्त होकर ये शब्द विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति के लिए ही ग्रहण किए गए हैं। लोकोक्ति किसी भाषा, देश व काल तक सीमित न होकर 'सार्व-कालिक' सार्वदेशिक एवं सार्वभाषिक सम्पत्ति है।

भारतीय भाषाओं में लोकोक्ति के अनेक पर्याय मिलते हैं। संस्कृत में लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा, आभाणक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। रामायण में अनेक स्थलों पर ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यथा अशोक वाटिका में सीताजी की उक्ति है—

लोक प्रवाद सत्योऽप्यपिण्डतं समुदाहृत ।

अकाले दुर्लभो मृत्युस्त्रिय या पुरघरय वा ॥¹⁸

यहाँ सीताजी ने विद्वज्जन-सम्मत लोकप्रवाद की सत्यता स्वीकार की है कि स्त्री अथवा पुरुष को असमय मृत्यु दुर्लभ होती है।

रामायण में अन्यत्र 'लौकिक गाथा' शब्द का प्रयोग हुआ है। भरत का हनुमान के प्रति कथन है कि सौ वर्ष के व्यतीत हो जाने पर भी मनुष्य को जीवन का आनन्द प्राप्त होता है, यह लौकिक गाथा कल्याणप्रद है—

कल्याणी वत गायेय लौकिकी प्रतिभाति मे ।

एति जीवन्त मानन्दो नर वयं शतादपि ॥¹⁹

महाकवि बाण ने कादम्बरी में 'लोक प्रवाद' शब्द का प्रयोग किया है। लोकप्रवाद है— विपत्ति विपत्ति के पीछे और सम्पत्ति सम्पत्ति के पीछे बधी होती है—सत्योऽप्यलोक प्रवादो यद् विपद् विपद सपद् सपदमनुबध्नाति ॥²⁰

'आभाणक' शब्द का प्रयोग भी संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'मधुर पिण्ड को छोड़कर हाथ चाटना' इस लौकिक न्याय को 'आभाणक' शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है—

सोऽयमाभाणको लोके पिण्डमुत्सुज्य फर लेडीति ॥²¹

पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के ग्रंथों में लोकोक्ति के पर्याय के रूप में प्रवाद या आहण शब्द स्वीकृत हैं। रत्नशेखर सूरि ने 'सिरवाल कहा' में अवखणाय शब्द का प्रयोग कर 'पानी पीकर फिर घर पूछने' वाली लोकोक्ति की सत्यता सिद्ध की है—

अहवा नरवर तुमए एय अवखणाय कयं सच्चम् ।

पाऊण पाणिय फिर पच्छा पुच्छिज्जए गेहम् ॥²²

इन्होंने की आवश्यकता नहीं कि 'आहण' अथवा 'अवखण' शब्द संस्कृत के 'आख्यान' शब्द के ही परिवर्तित रूप हैं। 'उपर्युक्त संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त लोकोक्ति के पर्याय के रूप में कुछ अन्य शब्दों का भी सर मोनियर विलियम्स ने प्रयोग किया है। ये हैं—लोक वाक्य, प्राचीन वाक्य, पुराण वाक्य, लोकप्रचलित वाक्य, वाक्य, वचन, वाक् (च्), सूत्र, प्राचीन सूत्र, पुराणसूत्र, उपनान, उपदेश वाक्य, उपदेश सूत्र, न्याय, न्याय वाक्यम् ॥²³ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि देशिक एवं बंदेशिक 'प्रायः' समस्त भाषाओं में लोकोक्ति के समानार्थक शब्द उपलब्ध होते हैं। यद्यपि किसी भी शब्द का सटीक एवं यथार्थ समानार्थक शब्द सिद्ध करना सुगम नहीं है, तथापि अर्थ-साम्य की दृष्टि से विदेशी एवं स्वदेशी भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो लोकोक्ति रूपी पुरी के इतरतरत चक्कर घाटकर लोकोक्ति के अर्थ का ही द्योतन करते हैं। यद्यपि 'उपदेश

सूत्र तथा 'न्याय वाक्य' आदि शब्दों का लोकोक्ति के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, तो भी प्रसंग के अनुरूप ये शब्द जिस तथ्य की ओर संकेत करते हैं, वह लोकोक्ति से भिन्न नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्व विवेचित पर्यायवाची शब्द लोकोक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। इनमें कुछ शब्द लोकोक्ति से भिन्न प्रतीत होने पर भी अर्थ-नैकत्व के आधार पर लोकोक्ति के ही वाचक माने गए हैं।

11, 118
25/4/92

लोकोक्ति की परिभाषा एवं रूप-संरचना

यद्यपि किसी भी साहित्यिक विधा को सुनिश्चित शब्दों में परिभाषाबद्ध नहीं किया जा सकता और न उसकी वैज्ञानिकता एवं सत्यता को अन्तिम रूप प्रदान करने की घोषणा ही की जा सकती है, तथापि इसका इतना लाभ अवश्य है कि इससे परिभाषित वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता है।

लोकोक्ति लोक की सम्पत्ति होने के कारण विश्व की विभिन्न भाषाओं में एतद्-विषयक विचार प्रकट किए गए हैं। योरोपीय भाषाओं को ही लीजिए, इनमें लोकोक्ति के बारे में अपनी-अपनी दृष्टि से विचार किया गया है—

- प्राचीन उक्तिया असत्य नहीं होती।
- लोकोक्तिया वार्तालाप में अन्धकार में प्रकाशपुज (टाच) के समान हैं।
- संसार की समस्त सद्भावनाएँ लोकोक्तियों में निहित होती हैं।
- लोकोक्तिया अनुभवों की सन्तति हैं।
- लोकोक्तिया ज्ञान का पथ हैं।
- लोकोक्तियों का सृजन अनुभव से होता है।
- लोकोक्तिमा समाज का सारतत्त्व हैं।
- कुछ व्यक्तियों का कथन सत्य हो सकता है, किन्तु सभी व्यक्तियों का कथन सत्य ही होता है।
- लोकोक्तिमा विचारों तक पहुँचने का साधन है।
- हमारा जीवन दोष ग्रस्त हो सकता है, परन्तु लोकोक्तियों में समाविष्ट भावों के व्यवहार में क्रियान्वित करने से जीवन दोषमुक्त हो सकता है।
- उत्तम कथन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और लोकोक्तिमा सभी-सभी कल्पना में पाँव के जूते के सही माप से भी अधिक उचित प्रतीत होती हैं।
- वैल्स की एक उक्ति के अनुसार प्रत्येक लोकोक्ति सत्य होती है।
- डच की एक लोकोक्ति के अनुसार—ये दैनिक अनुभव की दुहिताएँ हैं।
- एस्टोनियन भाषा में लोकोक्ति को विचारों की कुजिका माना गया है।
- स्पैनिश भाषा में कहा गया है कि वह लोकोक्ति लोकोक्ति कहलाने की अधिकारिणी नहीं, जो सत्य न हो, लोकोक्ति तो समस्त ज्ञान की माता है।
- एवं जापानी लोकोक्ति के अनुसार—लोक-बाणी ईश्वरीय वाणी होती है।
- ग्रीक में एक लोकोक्ति है कि इसके द्वारा मृत्यु नद्घाटित होता है।²⁴

यहा लोकोक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए वही वही आलंकारिक शैली का आश्रय ग्रहण किया गया है। वही अतिशयोक्ति के आधार पर उनकी प्रशंसा की गई है, तो कही उनमें निहित विचार, अनुभव, सत्य एवं ज्ञान के सारतत्त्व की चर्चा की गई है। कही इन्हे विचारों की सवाहिका बताया गया है, तो कही इन्हे विचारों की कुञ्जी बताते हुए इन्हे विचारप्रधान सिद्ध किया गया है। इगलिश एवं डच भाषा की उक्ति में जहा इन्हे अनुभव-प्रसूता बताया गया है, वहा इसके विपरीत स्पैनिश भाषा में इन्हें समस्त ज्ञान की जन्मदात्री सिद्ध किया गया है।

लोकोक्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। अरस्तू के शब्दों में—सक्षिप्त और प्रयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्त्वज्ञान के खण्डहरों में से चुनकर निकाले हुए टुकड़े—बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की सजा से अभिहित किया जा सकता है। टेनीसन के अनुसार लोकोक्ति का वे रत्न हैं जो लघु आकार के होने पर भी अनन्त काल की अगुली में सदा जगमगाते रहते हैं। जुवर्ट ने इन्हे 'ज्ञान' के संक्षेपीकरण के नाम से अभिहित किया है। सर्वेण्टीज का मत है कि लोकोक्तियाँ वे छोटे छोटे वाक्य हैं जो जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों को अन्तर्निहित किए हुए हैं। एथीकोला की दृष्टि में ये संक्षिप्त वाक्य हैं जिनमें सूत्रों की तरह आदिम पुरुषों ने अपनी अनुभूतियों को भर दिया है। इरेस्मस का मत है कि वे प्रसिद्ध और सुप्रयुक्त उक्तियाँ लोकोक्ति कहलाती हैं, जिनकी एक विलक्षण ढंग से रचना हुई हो। बाइबिल में कहा गया है कि कहावती ज्ञानज्ञानी जनो की उक्तियों का निरूपण है। डिजरेली के अनुसार लोकोक्तियाँ पाण्डित्य की अंश हैं जो मानव सृष्टि के आदिम काल में अलिखित नैतिक कानून का काम देती थीं।²⁵ इस विषय में कुछ अन्य विचारकों का मन्तव्य भी देखा जा सकता है—

- (क) जीवन में व्यवहृत होने वाले छोटे छोटे कथन—एथीकोला
- (ख) जनता में निरन्तर व्यवहृत होने वाले लघु कथन—जानसन
- (ग) व्यावहारिक जीवन में मार्ग दर्शक वचन—फीस्ते
- (घ) वे कथन जो अनाम हैं, जिनके निर्माता का पता नहीं—ट्रेच
- (ङ) दीर्घ कालीन चतुराई (मानव अनुभव) से चुने हुए छोटे छोटे वचन—सर्वेण्टीज

(च) संबंधी जनता की अपनी भाषा में किसी सवमान्य सत्य को थोड़े से शब्दों में प्रकट करने वाला लोकप्रचलित कथन—वोरकोर्ट

(छ) अनेकों का चातुर्य और एक की बुद्धि का चमत्कार—एक की सूझ जिसमें अनेकों का चातुर्य सन्निहित है—रसेल।²⁶

उपयुक्त परिभाषाओं में लोकोक्ति के तात्त्विक स्वरूप का प्रतिपादन न हाकर उसकी भिन्न भिन्न विशेषताओं का ही निर्देश किया गया है। प्रथम परिभाषा में इसकी उपयोगिता सिद्ध की गई है, तो दूसरी में लोकप्रियता। तृतीय परिभाषा में इसके प्रयोजन पर प्रकाश डाला गया है। ट्रेच ने एक नवीन तथ्य प्रकट किया है कि लोकोक्तियाँ अज्ञात-

नामा होती हैं। उनका यह मत सर्वथा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस दृष्टि से इनके दो-विभाग किए जा सकते हैं—ज्ञातनामा तथा अज्ञातनामा। ज्ञातनामा लोकोक्तियों के रचयिता का नाम प्रयोक्ता को पता होता है। अनेक साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त लोको-वितया उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। लाडं रसल ने इसकी अर्थ में लोकोवित को एक व्यक्ति की विदग्धता तथा अनेक का ज्ञान कहा है। इन परिभाषाओं में कहीं लोकोवित के सक्षिप्त रूप की चर्चा है, तो कहीं उनमें निहित मानव अनुभव, बुद्धिगत चमत्कार अथवा सर्वमान्य सत्य का प्रतिपादन किया गया है, किन्तु कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है, जिसमें लोकोवित को पूर्णरूपेण परिभाषित किया गया हो, अतएव इनमें अध्याप्ति दोष आ जाता है।

विभिन्न शब्दकोशों में लोकोवित का सारगर्भित विवेचन प्राप्त होता है। शिप्ले अपने साहित्यिक पारिभाषिक कोश में लिखते हैं कि लोकोवित लोक-साहित्य का सक्षिप्त किन्तु अर्थपूर्ण एक सूत्रमय प्रकार है, जिसमें सामान्य अनुभव पर आधारित सक्षेपतः जीवन की एक विचारपूर्ण आलोचना होती है। सामान्यतः जनप्रिय मस्तिष्क से उद्भूत इस लोकोवित में लोक-प्रचलित मनोवृत्ति का महत्त्वपूर्ण प्रतिबिम्ब होता है। रोम व जर्मन की नाटकीय व साहित्यिक आलोचना में इसका बहुधा प्रयोग हुआ है। अपनी विशेषताओं के कारण ही यह लोक के द्वारा ग्राह्य होती है।²⁷

एक विश्वकोश के अनुसार लोकोवित किसी सत्य अथवा किसी उपयोगी विचार को एक सक्षिप्त वाक्य में कहती है। इसके प्रयोग से भाषा में सरसता एवं चित्रात्मकता आ जाती है। इनका प्रयोग चिरकाल से अनेक व्यक्तियों द्वारा होता रहा है और आज भी प्रसंग के उपस्थित होने पर इनका प्रयोग होता है। जन-सामान्य द्वारा ग्रहण किए जाने पर ही कोई उक्ति लोकोवित का रूप धारण करती है।²⁸

विभिन्न कोशों में लोकोवित की अद्यावधि अनेक परिभाषाएँ उपलब्ध हैं। एक विश्वकोश में विवेचित तत्त्वों के आधार पर लोकोवित में चार गुण स्वीकार किए गए हैं। ये हैं—सक्षिप्तता, सारगर्भितता, संप्राणता अथवा चटपटापन एवं लोकप्रियता। मूल रूप में इनमें ट्रेच तथा हैबेल ने प्रथम तीन गुणों को और बाद में हेस्टिंग्स ने एक अन्य तत्त्व 'लोकप्रियता' को इसके अनिवार्य तत्त्व के रूप में अंगीकृत किया है।²⁹ डॉ० कन्हैयालाल 'सहल' ने सक्षिप्तता, सारगर्भितता और संप्राणता किसी उत्कृष्ट लोकोवित के तीनों अपरिहार्य गुण स्वीकार किये हैं किन्तु लोकोवित मात्र के अनिवार्य गुण नहीं माने हैं।³⁰ महा विचारणीय है कि प्रत्यक्षतः डॉ० सहल ने इन गुणों को लोकोवित का अपरिहार्य तत्त्व न मानकर भी परोक्षतः इनके महत्त्व को स्वीकार किया है।

सक्षिप्तता—सक्षिप्तता लोकोवित की अन्यतम विशेषता है। विस्तृत भाव को भी लोकोवित सक्षिप्त शब्दों द्वारा अभिव्यक्त कर देती है। गागर में सागर भर देने का गुण लोकोक्तियों में विद्यमान है। व्यापक समस्याएँ, अनुभव याम्भीय और जटिल प्रश्न छोटे से नुकीले और चटपटे वाक्यों में सिमट कर सदा से प्रचलित होते रहे हैं। लोकोक्ति अपने लाघव के कारण सबके मुँह पर रहती है। बड़े वाक्यों की स्मरण करना

कठिन होना है। अनुभवो का विस्तार लाघव गुण के कारण हृदय पर एकदम असर करता है। सम्पूर्ण प्रभाव एकमुख होकर छोटे से वाक्य अथवा वाक्यांश में इस तरह व्यक्त होता है कि लम्बे-चौड़े तर्कों और विस्तृत वर्णन वहाँ बेकार हो जाते हैं। लोकोक्ति का लाघव ही उसे सूत्र रूप प्रदान करता है।³¹ लोकोक्ति में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभावोत्पादन की क्षमता विद्यमान होती है। यही कारण कि श्वेतसपीयर ने सक्षिप्तता को वाग्वैदग्ध्य वा प्राण माना है।³² जॉनवर्ट के अनुसार ज्ञान के सक्षेपीकरण को लोकोक्ति कहा जा सकता है।³³ आर्च बिशप ट्रेच लिखते हैं कि लोकोक्ति सक्षिप्त, अर्थपूर्ण और रोचक होती है। यह थोड़े से शब्दों से सजा हुआ वृहद् ज्ञान है। डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त की दृष्टि से लोकोक्तियाँ वे सक्षिप्त वाक्य हैं, जिनमें सूत्रों की तरह आदिम पुरुषों ने अपनी अनुभूतियों को भर दिया है।³⁴ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका प्रधान उद्देश्य समास रूपों में सचित अनुभूत ज्ञान-राशि का प्रकाशन माना है। उन्होंने इसकी दो विशेषताएँ मानी हैं—समास शैली और अनुभव निरीक्षण—लोकोक्तियों में सबसे पहली विशेषता है इसकी समास शैली। इनमें इनके रचयिताओं ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इनकी दूसरी विशेषता है अनुभूति और निरीक्षण।³⁵ सक्षिप्तता लोकोक्ति की एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य विधाओं से भिन्न करती है। 'लोकगीतो', 'पवारो' और 'लोककथाओ' में विस्तार की भावना रहती है, जबकि कहावतों और पहेलियाँ गागर में सागर भरने का प्रयास करती हुई सूत्र शैली का प्रयोग करती हैं। इसी शैली के कारण इन्हें घनीभूत रत्न की सजा दी जाती है।³⁶ डॉ० सहल लोकोक्ति की सक्षिप्तता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि लोकोक्ति की सक्षिप्तता से यही अर्थ लिया जाना चाहिए कि उसमें न्यूनतम शब्दों का प्रयोग हो, अनावश्यक एक भी शब्द उसमें न आने पाये। उदाहरणार्थ अरबी की एक कहावत प्रस्तुत है—“शतुरमुर्ग से किसी ने कहा—ले चल। उसने उत्तर दिया—मैं पक्षी हूँ, भार वहन नहीं कर सकता। तब किसी ने कहा—उड़ चल। तुरन्त ही शतुरमुर्ग कह उठा—मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उट हूँ।” यह कहावत ऐसी है जिसे और सक्षिप्त नहीं किया जा सकता किन्तु है लोकोक्ति ही, चाहे किननी लम्बी क्यों न हो।³⁷ इसी प्रकार की एक अन्य लोकोक्ति भी प्रस्तुत की जा सकती है—“चमगादड़ पहले पक्षियों के पास गया और कहा—मैं पक्षी हूँ, मेरे पंख हैं। फिर वह पशुओं के भ्रूण में गया और कहा—मैं पशु हूँ। उन्होंने पूछा—कैसे? तुरन्त ही दात दिखाते हुए चमगादड़ के कहा—क्योंकि पशुओं की ही तरह मेरे भी दात हैं।” वैसे इस प्रकार की लोकोक्तियाँ बहुत कम हैं, इन्हे अपवाद स्वरूप ही स्वीकार किया जाएगा। लोकोक्तियाँ प्रायः सक्षिप्त ही होती हैं। विषय के स्पष्टीकरण के लिए अष्टछाप-काव्य की कुछ लोकोक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

(क) अनलहि औपधि अनल है।

(ख) अपनी घोषी आप लुनी।

(ग) आपु काज मह काज।

- (घ) आसुर ग्यान प्रतण्ड प्रमाने ।
 (ङ) इह जोधन घन दिषस चारि फौ ।
 (च) एक पय द्वं काज ।
 (छ) एक म्यान दो खाडे ।
 (ज) कहा करी जो नाकहि छाई ।
 (झ) गोरस बेचत आपु बिकानी ।
 (ञ) ससि न गह्यो परतु मोन पं ।³⁸

उपर्युक्त लोकोक्तियों के आधार पर यह तथ्य प्रकट है कि इनमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जोड़ा गया है। हा, इतना अवश्य है कि साहित्य में लोकोक्ति के प्रयोग करने पर प्रयोक्ता को छन्द-रचना आदि की दृष्टि से इन्हें कुछ परिवर्तन के साथ अवश्य प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए अष्टछापेतर साहित्य में प्रयुक्त कतिपय लोकोक्तियों को लिया जा सकता है। एक लोकोक्ति है—'किसी के लिए कुआँ खोदना'। इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी को हानि पहुँचाने की चेष्टा करने के अर्थ में होता है। तुलसी ने इसका प्रयोग कुछ भाषिक परिवर्तन के साथ इस प्रकार किया है—

'जोड़ जोड़ कूप खनंगो पर कहं सो सठ फिरि तेहि कूप परं ।'³⁹

हिन्दी की एक लोकोक्ति है—'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'। बहुत करने पर थोड़ा लाभ होना इसका अभिप्राय है। गिरधर कविराय ने इसका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ किया—

छोटा जिम हरया बडी, अल्प लाभ बहु खेद ।

सो न पढै प्रवृत्ति मे जिन जान्यो यह भेद ।

जिन जान्यो यह भेद नही वह छानत भूसा ।

खोदे महा पहाड़ मिले एक लघु सा मूसता ॥⁴⁰

अभिप्राय यह है कि लोकोक्तिकार इसका साहित्य में प्रयोग करते हुए भाषा-छन्द तुक लय आदि की सुविधानुसार इसमें यत्किञ्चित् परिवर्तन कर देता है, किन्तु फिर भी प्रकृत्या लोकोक्ति सामासिक शैली से मुक्त होने के कारण प्रायः सक्षिप्त ही होती है।

सारगर्भितता लोकोक्ति का दूसरा प्रमुख तत्त्व सारगर्भितता है। सारगर्भित होकर लोकोक्ति प्रभावोत्पादक होती है। लोकोक्ति की मुख्य विशेषता के रूप में सारगर्भिता को ग्रहण किया गया है। इसके अभाव में कोई भी उक्ति वाग्जालमात्र ही रह जाती है और वह लोकोक्ति का स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत कहीं-कहीं बड़े बड़े वाक्य भी सारगर्भित और लोकसम्मत होने के कारण लोकोक्तियों के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। कहीं-कहीं लयात्मक, भावात्मक और अनुभवपूर्ण उक्ति ही दोहा, चौपाई आदि छन्दों के रूप में बदलती हुई लोकोक्तिवत् प्रयोग में आती रहती है, यथा—'जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पंठ'।⁴¹ लोकोक्तियों के अनुशीलन करने पर बलपूर्वक कहा जा सकता है कि इनमें हास्य, व्यंग्य, ललकार, चैतावनी—सभी के द्वारा तात्त्विक बातों की शिक्षा दी जाती है। किसी भी कथावस्तु को देखा जाए, उसमें सारगर्भितता अवश्य विद्य-

मान होगी। साधारण से साधारण उक्ति में भी सारपूर्णता को देखा जा सकता है।⁴² डॉ० कन्हैयालाल सहल ने अधिकांश लोकोक्तियों में सारगर्भितता को स्वीकार किया है, तथापि इसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की है—कहावतें एक समान सारगर्भित होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 'बपड़ा फाट गरीबी आई। जूती टूटी चाल गमाई।' अर्थात् बपड़े फट गए और गरीबी आ गई। ज्यों ही जूते टूटे चाल का मजा जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि फटे वस्त्र और टूटे जूते गरीबी के द्योतक होते हैं। सारगर्भितता की दृष्टि से इस कहावत का कोई विशेष महत्त्व नहीं जान पड़ता किन्तु यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि अधिकांश कहावतें सारगर्भित होती हैं।⁴³ अन्य कुछ विद्वानों ने डॉ० सहल के इस मन्तव्य के प्रति अपना विरोध प्रकट कर सारगर्भितता को अपरिहार्य गुण स्वीकार किया है। डॉ० सहल के मत का खण्डन करते हुए डॉ० मदनलाल शर्मा लिखते हैं—इस लोकोक्ति में 'गरीबी' जैसी दीन दशा का घटा ही मार्मिक चित्रण किया है। कितने ही गरीब लोग उस प्रकार की 'दीन हीन दशा में फिरते हैं, जिनके न सिर पर टोपी है न गात में लंगोटी और न पैरों में जूते। ऐसी दशा को देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं, फिर इस कथन में निस्सारता कैसे आ गई। सुदामा की दशा भी तो यही थी—'धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह की नहीं सामा'। इस दशा को देख कर त्रैलोक्यनाथ श्रीकृष्ण भी गद्गद हो गए, फिर इसी के समान भावपूर्ण चित्रात्मक कथन सारगर्भितता से वंचित रहे जाए, उपयुक्त नहीं लगता। इसी प्रकार डॉ० सहल की दृष्टि में जो लोकोक्तिया सारगर्भित नहीं हैं, वे या तो लोकोक्तिया ही न होगी, और यदि विद्वानों द्वारा उन्हें लोकोक्ति की कोटि में रखा गया है तो वे सारगर्भित अवश्य हैं, क्योंकि कोई भी सारगर्भितता से रहित कथन लोक द्वारा नहीं अपनाया जा सकता। देखिए—'गुण के गाहक सहस्र नर बिन गुन लहै न कोय' (गिरधर की कुडली) और सारगर्भितता गुण ही है। फिर जिस उक्ति को सहस्रों व्यक्ति अपनाकर व्यवहार में लाते हैं और जिस पर लोक द्वारा प्रामाणिकता की मुहर लगा दी हा, वह उक्ति कभी भी गुण अथवा साररहित नहीं हो सकती।⁴⁴ डॉ० शर्मा के इस मन्तव्य को उद्धृत करने के बाद लोकोक्ति में निहित सारगर्भितता के प्रति कोई सन्देह नहीं रह जाता।

सप्राणता—सप्राणता का अर्थ है सजीवता। डॉ० सहल ने इसे चटपटापन का पर्याय स्वीकार किया है। इससे लोकोक्ति की महत्ता बढ़ जाती है। मगिमापूर्ण होने के कारण लोकोक्ति वैचित्र्य की सृष्टि करती है। मुक्तक शैली में रचित लोकोक्तिया मर्म स्पर्शी एवं विदग्धतायुक्त होकर श्रोता के हृदय में जहाँ अपनी अमिट छाप अंकित करती है वहाँ वक्ता भी लोकोक्ति की इस विशेषता से परिचित होता है। नायक और नायिका में कोई किसी से कम नहीं है। इस बात को कहने के लिए सूर सामान्य ढंग को न अपना कर थमूठे ढंग से ही कहते हैं—'घट द्वादस घट ऋ वस द्रं की'।⁴⁵ सप्राणता वस्तुतः लोकोक्ति की जीवन्तता है। अपनी अपूर्व विशेषताओं के कारण लोकोक्ति लोकप्रिय होकर बालजयी बन जाती है। डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा ने सजीवता को लोकोक्ति में आवश्यक मानते हुए इसे सारगर्भितता के अन्तर्गत माना है। उनसे अनुसार किसी भी वस्तु की

सजीवता उसका सार ही है।⁴⁶ उनका यह दृष्टिकोण एकांगी दृष्टि का परिचायक है, क्योंकि लोकोक्ति में ज्ञान के सार तत्त्व को विशिष्ट मगिमापूर्ण ढंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अभाव में सारगर्भित होकर भी उक्ति सूक्ति मात्र रह जाती है। विच्छिन्ति लोकोक्ति को अमरता प्रदान करती है।

डॉ० सहल सप्राणता को लोकोक्ति का महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हुए भी इसकी अपरिहार्यता मानने के पक्ष में नहीं हैं। वे लिखते हैं—सप्राणता (चटपटी) होने से कहावत का महत्त्व बढ़ जाता है, किन्तु ऐसी भी अनेक कहावतें हैं जिनमें अभिव्यक्ति का वैचित्र्य नहीं मिलता। 'घन खेती, धिक् चाकरी', 'बडो की बडी ई बात', 'बाटकर खाना और सुरग में जाणा', जैसी बहावतों में कोई चटपटापन नहीं है।⁴⁷ इनके प्रतिपक्ष में सप्राणता को साग्रह स्वीकार करते हुए अन्य विचारक लिखते हैं कि इन उदाहरणों में सप्राणता का निषेध करना उपयुक्त नहीं जचता। प्रथम लोकोक्ति को ही लीजिए। खेती करने में 'स्वतन्त्रता' की और नौकरी करने में 'परतन्त्रता' की ध्वनि व्यजित होने से खेती करना प्रशंसनीय है और नौकरी करना निन्दनीय। स्वतन्त्र व्यक्ति का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है और परतन्त्र व्यक्ति को 'रोजी' के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है। खेती और नौकरी में एक अन्तर यह भी है कि किसान सर्वाधिक परिश्रमी-ईमानदार होता है जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति में इनका अभाव भी हो सकता है। जो लोकोक्ति अपने गर्भ में स्वतन्त्रता परतन्त्रता की इतनी बलवती भावना को सजोए हो तथा जहां स्पष्ट शब्दों में 'खेती' और 'नौकरी' के गुण दोषों पर इतना तीक्ष्ण व्यंग्य हो वहां यह कैसे कहा जा सकता है कि इस लोकोक्ति में सप्राणता या चटपटापन नहीं है।⁴⁸ इसी प्रकार दूसरी लोकोक्ति में एक साधन विहीन निर्धन व्यक्ति की असमर्थता एवं साधन सम्पन्न व्यक्ति की सम्पन्नता अभिव्यजित है। दोनों की तुलना में जहां एक स्वयं को अशक्त एवं असमर्थ अनुभव करता है, वहां धनिक व्यक्ति के कार्यों से उसे ईर्ष्या भी होती है। तृतीय लोकोक्ति में व्यक्ति को स्वार्थ के परित्याग की शिक्षा दी गई है। वैदिक साहित्य में भी कहा है— जो व्यक्ति अकेला खाता है, वह पाप खाता है— 'केवलाघो भवति केवलापी।' इस उक्ति में जहां व्यक्ति में लोभ के त्याग के लिए भय दिखाया गया है, वहां 'बाटकर खाना और सुरग में जाणा' इस लोकोक्ति में लोभ-नीति के द्वारा ही लोभ-त्याग का उद्देश्य दिया गया है। उदारता-दया-दान आदि की शिक्षा देने के कारण इसका महत्त्व प्राचीन काल से ही रहा है। हा, इतना अवश्य है कि उपदेशपरक अथवा शिक्षाप्रद लोकोक्तियों में सप्राणता न्यूनधिक हो सकती है, किन्तु इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं—एक प्रचलित उक्ति है कि अज्ञानी व्यक्ति का चित्र अनियंत्रित रहता है। ज्ञान के अभाव में वह अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कर सकता। मन्ददास ने इस उक्ति को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पूरे प्रकरण को ही वैचित्र्ययुक्त कर दिया है। बानगी देखिए—

महानक-मुल जो मन । होई ताहि कर करि कांडे कोई ।

कृपित भुजगम सिर पर धरै । हाथनि पार-रासि पुनि तरै ॥

तेल लहै करि धुरि की घानी । मृगतृष्णा तें पीवं पानी ॥

खोजि ससा के शृगनिपावं । पै मूरख मन हाय न आवें ॥⁴⁹

यहा कवि ने वैचित्र्य व्यापार की सृष्टि करते हुए इस बात पर बल दिया है कि प्रकृति की व्यवस्था विपरीत हो सकती है, हर असम्भव कार्य सम्भव हो सकता है, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति कभी भी यम नियम आदि का पालन न कर सकने के कारण ज्ञान के अभाव में मन पर सयम नहीं रख सकता । वस्तुतः यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अनुभूति की तीव्रता को प्रकट करने के लिए कवि सामान्य भाषा के स्थान पर भगिमापूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा ही अपने भावों को मूर्त रूप देता है । लोकोक्ति की सरचना भगिमापूर्ण होने के कारण इम दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । लोकमान्य सिद्धान्तों के आधार पर कवि लोकोक्ति के प्रयोग के द्वारा अपनी संवेदना को सार्थकता प्रदान करता है । नन्ददास की एक लोकोक्ति है—दरबी ज्यो व्यजन मे स्वादन जाने मद ।⁵⁰ यहा कवि का अभीष्ट है—मन्दमति व्यक्ति की अयोग्यता पर व्यग्य करना । अवसर प्राप्त होने पर भी अज्ञानी व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । इस आशय को प्रकट करने के लिए कवि एक लोकसिद्धान्त को आधार बनाता है । अर्थात् जिस प्रकार कडछी मधुर व्यजनो में निमज्जित होने पर भी उसके स्वाद से अपरिचित होती है इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अनभिज्ञता के कारण उद्दिष्ट वस्तु के महत्त्व को न जानकर उसके लाभ से वंचित रह जाता है । अन्य लोकोक्तियाँ देखिए—

—काग हस फी सगति लहसुन सग कपूर ।

—किहि कागद की तरनी कीन्हों, फोन तर्यो सर जाई ।

—डरपत फिरं मृगी तें सिंघ बयो ?

—खाए थापे वेर के हो सो घन मे होत कुमार ।⁵¹

यहा क्रमशः वैषम्य, असम्भाव्य, वैचित्र्य तथा मिथ्या प्रदर्शन सम्बन्धी विषयों की चर्चा की गई है । अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तिकार ने सामान्य कथन के रूप में न कहकर अनूठे ढंग से अपनी बात कही है । प्रथम उक्ति में विषमता प्रतिपादित की गई है । इस वैषम्य के प्रतिपादन के लिए लोकोक्तिकार अपनी कल्पनाव्यक्ति के द्वारा प्राणिजगत् के काग'एव 'हस' के गुणगत-वर्णगत आदि वैषम्य से परिचित होकर लोकोक्ति में इसका प्रयोग करता है । इसी प्रकार परस्पर विरोधी स्वभाव वाली वस्तुओं लहसुन तथा कपूर को एक स्थान पर एकत्रित कर विषम वस्तुओं की सगति के आधार पर लोकोक्ति को सम्यक्रीत्या प्रभावशाली बनाकर अभिव्यक्ति को शक्ति प्रदान की जाती है । प्रयोग की दृष्टि से प्रसंगानुसार प्रयुक्त होकर भगिमापूर्ण होने के कारण लोकोक्ति पूरे प्रकरण में चमत्कार उत्पन्न कर देती है । द्वितीय लोकोक्ति में अनुपयुक्त साधन से साध्य की प्राप्ति को असम्भव बताया गया है । इसके लिए कवि ने लोकप्रचलित सिद्धान्त को आधार बनाया है कि कागज की नाव से जल यात्रा को पूर्ण करने का दुःस्वप्न हास्यास्पद ही कहा जा सकता है । किसी व्यक्ति की अनुपयुक्त चेष्टाओं के द्वारा लक्ष्यप्राप्ति की आशा करना मृगमरीचिका की भाँति है । व्यक्ति के इस कार्य व्यापार पर कवि ने लोकन्याय को आधार बनाकर जो उपहास किया है, उससे समस्त प्रसंग

प्राणवन्त बन जाता है। तृतीय लोकोक्ति में निबल व्यक्ति द्वारा शक्तिशाली व्यक्ति को भयभीत करने की कल्पना पर व्यंग्य किया गया है। शक्तिहीन व्यक्ति को दुराशा को प्रकट करने के लिए वन्य पशुओं—मृग सिंह को आधार बनाकर अपनी अभिव्यक्ति को संप्राण बनाया गया है। अन्तिम उक्ति में अनधिकारी व्यक्ति के मिथ्या प्रदर्शन पर सीधा व्यंग्य है। 'खाए आधे वेर' कहकर उसकी अल्पावस्था तथा 'होत कुमार' के द्वारा मिथ्या भिमान को अनुचित बताया गया है। यह उक्ति 'छोटे मुह बडो बात वाली लोकोक्ति के भाव को किञ्चित् परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करती है। विशिष्ट भंगिमा से युक्त होकर लोकोक्ति जहाँ स्वयं संप्राण होती है, वहाँ प्रकरण में भी चमत्कार उत्पन्न करके उसे प्राणवन्त बना देती है—गो० तुलसीदास की एक व्यंग्यात्मक लोकोक्ति देखिए—

करम उपासन ज्ञान वेदमत, सो सब भाति खरो।

मोहि तो सावन क अर्धाहि ज्यों, सुभक्त रग हरी ॥⁵²

लोकोक्ति है—सावन के अर्धे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तुलसी ने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करत हुए अवैदिक मान्यताओं के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए इसका आशय ग्रहण किया है। लोकोक्ति का भावार्थ करते हुए कोशकार ने लिखा है कि जो अनुचित उपाय स अथवा अकस्मात् कुछ प्राप्त कर लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही सब करते हैं।⁵³ इसी से मिलती जुलती एक और लोकोक्ति है—'पीलिया के रोमी को पीला ही पीला बीखता है।' कहने का अभिप्राय यही है कि संप्राणना से युक्त लोकोक्ति मृग गुणांतर सब लोक जिह्वा पर नर्तन करती रहती है। सजीवता लोकोक्ति की अपरिहार्य विशेषता है। इसके अभाव में लोकोक्ति प्रचलन रहित होकर अपने स्वरूप को खो देती है। वस्तुतः लोकोक्ति मनुष्य के परम्परागत ज्ञान की परिपुष्ट, लोकसिद्ध, प्रभावोत्पादक, कलात्मक और पृष्ठभूमि के वैचित्र्य का सजीव सूत्र है।⁵⁴

लोकप्रियता—लोकप्रियता लोकोक्ति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकष है। सक्षिप्तता, सारगर्भिता एव संप्राणता—इन तीनों गुणों के होते हुए भी कोई उक्ति लोकोक्ति के रूप में अभिहित की जा सके, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि मात्र इन तीनों तत्त्वों के आधार पर लोकोक्ति के स्वरूप का निर्धारण असम्भव है। इनके आधार पर कोई उक्ति सूक्ति अथवा प्राज्ञोक्ति का रूप धारण करती है, किन्तु लोकोक्ति रूप तभी प्राप्त होता है जब उसे लोक-मानस ग्रहण कर ले। जेम्स हेस्टिंग्स लिखते हैं कि सक्षिप्तता, सारगर्भिता और संप्राणता—इन तीन गुणों के होते हुए भी कोई उक्ति लोकोक्ति नहीं जा सके, यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि उस उक्ति को लोकोक्ति नाम लोक-स्वीकृति की प्राप्ति के अनन्तर ही प्राप्त होगा।⁵⁵ लोकोक्ति लोक की ही उक्ति है। हॉवल्स ने अपने लोकोक्ति-संग्रह की एक 'प्लुपंदी' में इस तथ्य को साग्रह स्वीकार किया है। उनकी निम्नलिखित पवित्र्या पठनीय है—जनता की उक्ति जनार्दन की उक्ति है और लोकोक्तिया जनार्दन की उक्ति के अतिरिक्त और हैं ही क्या ? और जो जनता-जनार्दन की उक्तिया हैं उनकी सत्यता और प्रभावात्मकता में भला सन्देह ही क्यों कर सकता है ?⁵⁶

दर्मा इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि लोकोक्तिमा लोक प्रचलित होनी है। बिना लोक-प्रसिद्धि और लोक-मान्यता के कोई भी उक्ति चाहे वह सारगर्भित हो या सक्षिप्त, लोकोक्ति हो ही नहीं सकती। जो उक्तियाँ लोकप्रचलित नहीं होती; वे प्राज्ञोक्ति या आदि कही जाती हैं क्योंकि वे सामान्य लोक वाणी से दूर रहती हैं।⁶¹ लोक-मान्य एव लोक-विद्युत होकर ही लोकोक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। लोकोक्ति के अन्य तत्वों में सक्षिप्तता-सारगर्भितता आदि की भूमिका, इसके निर्माण में मौलिक रूप में होनी है; लोक-स्वीकृति से ही लोकोक्ति का आत्म तत्त्व सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विभिन्न मन्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- (क) लोकोक्ति लोक की उक्ति है।
- (ख) व्यष्टि की सम्पत्ति जब समष्टि की सम्पत्ति बन जाती है, तब लोकोक्ति का रूप धारण करती है।
- (ग) लोक-प्रियता इसका प्राण तत्त्व है। इसके अभाव में लोकोक्ति का स्वरूप नष्ट हो जाता है।
- (घ) सक्षिप्तता-सारगर्भितता आदि से युक्त होने पर भी लोक-प्रसिद्धि के अभाव में लोकोक्ति प्राज्ञोक्ति मात्र बनकर रह जाती है।
- (ङ) लोकानुभव पर आधारित लोकप्रिय लोकोक्ति की सत्यता एव प्रभावात्मकता असदिग्ध है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोकप्रियता लोकोक्तिमात्र की अपरिहार्य विशेषता है।

मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता—मनुष्य निसर्गतः ज्ञान का आदान-प्रदान करता है। लोकोक्ति इसका उपयुक्त माध्यम है। जीवन के विविध अनुभव, व्यवहार, नीति, शिक्षा, उपदेश, कथा, घटना आदि का लोकोक्ति में सूत्ररूप में उद्घाटन होता है। लोकोक्तिमा ज्ञान का भण्डार है। इसमें मानव-जीवन के युग-युग की अनुभूतियों का परिणाम और निरीक्षण-शक्ति अन्तर्निहित होती है। काशी निवास के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है—‘राड साड सोढो सन्यासी इनसे बचे तो सेव कासी’। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें बहुत कुछ ज्ञान का अंश विद्यमान है। इसका प्रकटीकरण व्यक्ति को हानि से बचने के लिए सचेष्ट करता है। लोकोक्तिकार ने स्थानीय चिर अनुभव के पश्चात् ही इसका निर्माण किया होगा। इसी प्रकार कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की छुआछूत की भावना लोकविख्यात है। वियोगी हरि इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

हैं जह ‘आठ कनोजिया नौ चूल्हे’ की रीति।

तहा परस्पर प्रीति की, वहाँ पडावत नीति ॥⁶²

उनकी आपस में बहुत अधिक फट के परिणामस्वरूप लोकोक्ति बन गई—‘आठ कनोजिया नौ चूल्हे’। जहाँ ऐत्र का अभाव व भेदभाव की प्रधानता होती है, वहाँ यह प्रयुक्त होती है।

अपूर्णता की छोटक सस्कृत की एक लोकोक्ति है—‘अर्द्धं घटं घोषमुपैति नूनम् ।’ इसका हिन्दी रूपान्तर है—‘अध जल गगरी छलकत जाय’।⁶³ जिसके पास अल्प धन या विद्या होती है वह उसका प्रदर्शन करता रहता है। सूर ने भी इसका प्रयोग किया है—‘जैसे घट धूरन न डोलै, अध भरौ डगडोर’।⁶⁴ यही भाव अन्य लोकोक्ति ‘योया चना चाजे घना’ द्वारा भी प्रकट होता है। अष्टछाप के कवि परमानन्द ने अपनी कल्पना की ऊँची उड़ान भर कर इस का नवीन प्रयोग किया है—इतराड चली थोरे पानी ज्यों भादों की नदिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस लोकोक्ति का प्रयोग परमानन्ददास के प्राकृतिक ज्ञान का परिणाम है।

सस्कृत की एक अन्य लोकोक्ति है—‘शठे शाठ्य समाचरेत्’। इसमें यथायोग्य व्यवहार की शिक्षा दी गई है। ‘आग्ल भाया मे इसका प्रयोग ‘टिट फॉर टेट’ के रूप में होता है। हिन्दी में इसका रूप—जैसे की तंसा है। सूर ने भी कहा है—‘जो जैसे तासों त्यो चलिये’।⁶⁵ वृन्द यथायोग्य आचरण के लिए भ्रमर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

जो जैसे तिहि तंसियै, करिये नीति प्रकास ।

काठ कठिम भेदे भ्रमर, मृदु अरविन्द निवास ॥⁶⁶

व्यावहारिक नीति की यह शिक्षा मानवीय अनुभव पर ही आधारित है।

घाघ और भड्डरो के नाम से हिन्दी में बहुत सी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। इन में कृषि के लिए ऋतु सम्बन्धी उपयोगी बातें कही गयी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि घाघ और भड्डरी ने अपनी पैनी निरीक्षण शक्ति के बल पर ऋतु सम्बन्धी तथ्यों का अनुसंधान करके ही इन लोकोक्तियों का निर्माण किया होगा। जब विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी—ऋतु सम्बन्धी तथ्यों को जानने के लिए वेधशालाएँ नहीं बनी थी, उस समय लोग अपने चिर सचित अनुभव और निरीक्षण-शक्ति के द्वारा आगामी दिनों में ऋतु-परिवर्तन की घोषणा किया करते थे। यह परम्परा सभवत बहुत प्राचीन है। आकाश में चमकने वाली चबला के रंग को देखकर निरीक्षण शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति प्रभजन आने तथा अकाल पडने की सूचना देते हैं—

वाताय कपिला विद्युत्, आतपायाति लोहिनी ।

कृष्णा भवति सस्याप, बुभिक्षाय सिता भवेत् ॥

प्राचीन काल के ये ऋतु-विशेषज्ञ किसी यन्त्र की सहायता से नहीं, अपितु अपनी निरीक्षण-शक्ति के द्वारा ही ऋतुओं के परिवर्तन को उद्घोषित करते थे।⁶⁷ लोकोक्ति में चिर-कालीन मानवीय अनुभव सचित रहता है, किन्तु इसकी सत्यता के विषय में देश-विदेश के विद्वानों में मतभेद नहीं है। स्टोवेन्सन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि निरपेक्ष सत्य जैसे कोई वस्तु नहीं, हमारे सब सत्य अर्द्धसत्य मात्र हैं। इसीलिए लोकोक्तियों का सत्य यदि सार्वदेशिक और सार्वकालिक न हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मार्ग-दर्शन के लिए लोकोक्तियाँ थोड़े साधन का काम देती हैं, किन्तु कोई उन्हें धरम सत्य का पर्याय समझने की मूल न करे। इनमें वैज्ञानिक निष्कर्ष का सा सत्य नहीं होता। वे सत्य के लिए सवेत मात्र उपस्थित करती हैं। टी० टी० मुगर के शब्दों में लोकोक्तियाँ अर्द्ध सत्य मात्र

होती है।⁶⁹ इनके विपरीत इमसंन लोकोक्ति में निहित मानवीय अनुभव को सर्वथा सत्य स्वीकार करते हैं। उनके विचारानुसार जो जाति जिन लोकोक्तियों का प्रयोग करती है, उस जाति के लोग अपनी लोकोक्तियों को निरपेक्ष सत्य के रूप में ही ग्रहण करते हैं।⁶⁹ इमसंन के निरपेक्ष सत्य को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वे सत्य की सापेक्षता स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सत्य व्यक्ति सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा परिस्थिति सापेक्ष होने के कारण निरपेक्ष सत्य का अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। यथा महाभारत की एक लोकोक्ति है—‘अश्वत्थामा हत नरो वा कुजरो वा।’ यथा सत्य असत्य पर आधारित होकर भी युधिष्ठिर की झूठी अनभिज्ञता को प्रच्छन्न कर सत्यवादी की सत्यता की कोटि में आ गया। इसकी वस्तुतः निरपेक्षतारहित सापेक्षता ही प्रायः मान्य रही है। जीवन के सत्य को विविध रूप हैं, जिनको अपने-अपने अनुभवों के आधार पर लोकोक्ति में स्थान मिला है, अतएव परस्पर विरोधी भावों को प्रकट करने वाली उक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। यथा तीन व्यक्तियों का एक साथ चलना कुछ व्यक्तियों के लिए अपशकुन होता है। उनके अनुसार ‘तीन काणे माने गए हैं।’ किन्तु इसका विपरीत शकुन की भी परिकल्पना की गई है—ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अर्थात् त्रिदेव की कल्पना के रूप में ये शुभ के प्रतीक बन गए हैं। इस भिन्नता का कारण जीवन में अनुभूति एवं निरीक्षण का वैविध्य है। आत्मानुभूति और निरीक्षण का जीवन में विशेष स्थान है। सार्वजनीन अनुभूति और निरीक्षण सामान्य सिद्धान्तों को जन्म देते हैं। लोकोक्तियों में हमें इस भूमि पर आधारित निश्चित सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं।⁷⁰ इन सिद्धान्तों की सीमा देश काल आदि से परिवर्द्ध होती है। श्री श्याम परमार के अनुसार लोकोक्तियों में सत्य स्पष्ट है, फिर कहावतें पूर्ण सत्य तो नहीं कही जा सकती। उसका सकेत भर कहावतें प्रस्तुत करती हैं। एक स्थान-विशेष का सत्य व दूसरे स्थान-विशेष का सत्य पूर्णतः नहीं होगा। अपने स्थान की सीमा और तत्कालीन प्रभाव उसमें होगा।⁷¹ यदि लोकोक्तियों में निहित पूर्ण या अपूर्ण, वैज्ञानिक अथवा विज्ञान-रहित सत्यता का प्रश्न छोड़ दिया जाय, तो भी विद्वानों ने इनमें आशिक-पाक्षिक रूप से अथवा अद्वैतसत्य को तो स्वीकार किया ही है। यद्यपि लोकोक्ति के लोक-प्रचलन का हेतु इसमें निहित मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता है, जिनके अभाव में सारहीन एवं प्रभावशून्य होकर उक्ति मात्र ही रह जाती है। अतः कहा जा सकता है कि लोकोक्ति किसी गहन अनुभूति एवं महत्त्वपूर्ण तथ्य की चिन्तनापूर्ण अभिव्यक्ति है। इनमें मानव जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, रुचि-अरुचि, ईर्ष्या-लोभ आदि सभी की सूत्र रूप में व्याख्या होती है। जातियों के आचार विचार, रीति-रिवाज, मनन चिन्तन, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन—सभी की अभिव्यञ्जना इनमें होती है। सांसारिक व्यवहार पट्टा का जैसा निदर्शन इनमें मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इनमें जीवन के सत्य बड़ी खूबी के साथ प्रकट होते हैं।⁷²

लोकोक्ति की कुछ अन्य विशेषताएँ एवं परिभाषाएँ—लोकोक्ति की एक विशेषता है प्रसंगानुकूल उपयुक्तता अथवा इसका यथावसर प्रयोग। लोकोक्ति की यह विशेषता इसके प्रयोग पर आधारित है। प्रसंग क अनुरूप प्रयुक्त होकर लोकोक्ति प्रभावशाली बन

जाती है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल लोकोक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं— लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। वे मानवीय ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है।⁷³ डॉ० अग्रवाल ने यहाँ लोकोक्ति की आर-पार कर जाने वाली चुभन अथवा उसकी प्रभावोत्पादकता प्रतिपादित करने के लिए अन्य गुणों के साथ इन्हें 'चुभते हुए सूत्र' कहकर प्रसंगानुकूलता एवं लोकोक्ति की प्रभावात्मकता का संकेत किया है। श्री विक्रमादित्य मिश्र भी लोकोक्ति के यथावसर प्रयोग पर बल देते हुए लिखते हैं—चूँकि ये सूत्र-वाक्य (कहावत) जीवन के सार्वभौम सत्य—सुख दुःख, जीवन-मरण, आचार-विचार, रीति-नीति, खान-पान, शकुन-अपशकुन, सेती-बारी, आहार-विहार, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, आदि सभी से सम्बद्ध हैं, इसलिए ये सामान्य अथवा सर्वमान्य उक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए और चूँकि ये उक्तियाँ यथावसर परस्पर कही सुनी जाती रही, इसलिए इन्हें लोक-जीवन में 'कहावत' नाम से अभिहित किया गया।⁷⁴

लोकोक्ति का प्रयोग यथाप्रसंग किसी तथ्य, मान्यता और स्थिति में से किसी एक के पोषण आदि के लिए होता है। डॉ० रून्हीयालाल सहल प्रयोग की दृष्टि से लोकोक्ति की परिभाषा करते हुए लिखते हैं—अपने कथन की पुष्टि में किसी शिक्षा या चेतावनी देने के उद्देश्य से किसी बात को किसी आड में कहने के अभिप्राय से अथवा किसी के उपालम्भ देने व किसी पर व्यग्य कसने आदि के लिए अपने में स्वतन्त्र अर्थ रखने वाली जिस लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित सक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का प्रयोग लोग करते हैं, उसे लोकोक्ति अथवा कहावत का नाम दिया जा सकता है।⁷⁵ डॉ० सहल ने लोकोक्ति का प्रयोग अपने कथन की पुष्टि के रूप में माना है, वहाँ डॉ० भोलानाथ तिवारी ने इसका प्रयोग किसी बात की पुष्टि अथवा विरोध के लिए माना है। डॉ० तिवारी ने लोकोक्ति की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—लोकोक्ति अनुभव, ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित ऐसी सक्षिप्त और सारगर्भित लोक प्रचलित उक्ति या कथन है, जिसका कि उपदेश किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है।⁷⁶ प्रस्तुत परिभाषा में परिभाषाकार ने निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया है—

(क) लोकोक्ति के आधार मानवीय अनुभव, प्राचीन कथाएँ व प्राकृतिक नियम हैं।

(ख) यह सक्षिप्त एवं सारगर्भित उक्ति है।

(ग) लोक प्रचलित होने पर कोई उक्ति लोकोक्ति का रूप धारण करती है।

(घ) इसका प्रयोग किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है।

इनमें प्रथम एवं अन्तिम तत्त्व जो कि लोकोक्ति के आधार एवं प्रयोग हेतु हैं, पर विशेष बल दिया है। प्राचीन कथाओं को ही लीजिए। अनेक लोकोक्तियाँ प्राचीन कथाओं पर आधारित होती हैं, उदाहरणार्थ दुर्योधन द्वारा कथित महाभारतकालीन लोकोक्ति है— 'सूर्यप्रमथि नैष दास्यामि विना युद्धेन केशव।' यह उक्ति सुप्रसिद्ध है, इसे ऐतिहासिक

महत्त्व की उक्ति कहा जा सकता है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण की दुर्योधन के प्रति उक्ति सूरदास के शब्दों में है—'द्वै विध भोजन कीजै राजा। विपत्ति परं कै प्रीत।' कुभनदास की सुप्रसिद्ध उक्ति—'भक्त कौ (भक्तनि कौ) कहा सोकरो काम' भी ऐतिहासिक महत्त्व की लोकोक्ति है। इसमें जहाँ भक्त प्रवर कुभनदास की निस्पृहता एवं निर्भयता व्यक्त है, वहाँ ऐतिहासिक घटना पर आधारित होने के कारण यह उक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण बन गई है।

डॉ० तिवारी ने लोकोक्ति का अन्य आधार प्राकृतिक नियम स्वीकार किया है। अनेक लोकोक्तियाँ प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती हैं, यथा समय एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने वाली एक लोकोक्ति है—'जैसी चले बयार, तब तैसी दीजै ओट।' कवि वृन्द ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया है—

बनती देख बनाइए, पूरन न दीजै खोट।

जैसी चले बयार तब, तैसी दीजै ओट ॥⁷⁷

'बयार' शब्द वायु का वाचक है। वात या वायु प्रकृति का महत्त्वपूर्ण उपादान है। 'जल' को लीजिए। पंचतत्त्वात्मक सृष्टि में 'जल' का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वर्षा पर आधारित अनेक लोकोक्तियाँ हैं। सावन-भादो मास पर आधारित एक लोकोक्ति है—'जैसा सूखा सावन, वैसे भरा भादों'।⁷⁸ जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुख प्राप्त होने के स्थान पर बराबर दुःख ही भोगना पड़ता है, तब इस प्राकृतिक लोकोक्ति का प्रयोग होता है। अनेक लोकोक्तियाँ प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी हैं। डॉ० तिवारी का यह कथन कि लोकोक्ति अनुभव, ऐतिहासिक-पौराणिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, पूर्णतः स्वीकार्य इसलिए नहीं कि क्योंकि इसमें अब्याप्ति दोष है। लोकोक्ति अनुभव पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु यह मानवीय अनुभव अनेकविध है, जिसका एक रूप प्रकृति भी है, अतः उनका यह आधार-निर्धारण दोष-पूर्ण हो जाता है। प्रकृति के अतिरिक्त लोकोक्ति लोक एवं शास्त्र पर भी आधारित होती है। कुछ लोकोक्तिमयों का आधार जहाँ लोक-न्याय है, वहाँ अनेक शास्त्रीय कथन लोकोक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अनुभवों का वैविध्य लोकोक्ति को व्यापक रूप प्रदान करता है। डॉ० तिवारी का यह कथन कि इसका उपदेश किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है, चिन्तन की अपेक्षा रखता है। उपदेश के अतिरिक्त लोकोक्ति में आलोचना का रूप भी प्राप्त होता है। विशेषतः जहाँ पुष्टि न होकर विरोध का स्वर मुखर होता है, लोकोक्ति में उपदेशात्मकता लुप्त हो जाती है। डॉ० तिवारी ने इसके प्रयोग के दो हेतु पुष्टि एवं विरोध स्वीकार किए हैं। कुछ लोकोक्तियों में दोनों के एकत्र दर्शन होते हैं। इनमें एक की पुष्टि तथा दूसरे का विरोध होता है। उदाहरणार्थ सस्कृत की एक लोकोक्ति है—'एक तु नभसि जित्वा क्षेप्तु पतति भूर्धनि।' अर्थात् आकाश पर कीचड़ फेंकने वाले व्यक्ति पर ही कीचड़ गिरता है। इसका भाव है यदि कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की निन्दा करे तो सज्जन निन्दनीय नहीं होता, प्रत्युत निन्दक स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। इसी भाव को स्पष्ट करने वाली एक लोकोक्ति है—'धूल डालने से सूरज

नहीं छिपता।⁷⁹ इसमें जहाँ मज्जन की सज्जनता की पुष्टि है, वहाँ दुर्जन की दुर्जनता के प्रति विरोध प्रकट किया गया है। एक लोकोक्ति है—“कुत्ते भूँसते रहते हैं और कारवां (हाथी) चलता रहता है।⁸⁰” तुच्छ लोगों की आलोचना की चिन्ता न करते हुए बड़े लोग अपना काम करते रहते हैं। यहाँ भी बड़े व्यक्तियों की कार्य पद्धति की पुष्टि एवं तुच्छ व्यक्तियों की आलोचना के प्रति विरोध प्रकट किया गया है।

लोकोक्तियों का प्रयोग पुष्टि-विरोध आदि भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भी होता है। पुष्टि को ही लीजिए। इसमें किसी बात का पोषण अथवा मण्डन होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति प्राणपण से अपनी प्रतिज्ञा निभाते हैं, उसे भंग नहीं करते। उनकी दृढ़ता की पुष्टि में एक लोकोक्ति है—

सिंह गमन सुपुरुष घचन, कदलो फिरे इफ़ बार।

तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार॥⁸¹

कवि नन्ददास ने भ्रमर के माध्यम से अधिकारी के महत्त्व की चर्चा की है—

अधिकारी घों भलौ रस जाने। अलि बिन कमलौंह को पहचाने॥⁸²

विरोध पुष्टि का प्रतिरूप है। इसका स्वर खण्डनात्मक होता है। यथा परछिद्रान्वेषण को ही लीजिए। इस प्रवृत्ति को घृणाहं एवं हेम माना गया है। इलाचन्द्र जोशी ने परछिद्रान्वेषी व्यक्ति के प्रति लोकोक्ति के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया है—‘काली पतौली अपनी ही तरह काली बलटोही को ‘काला’ कहती है।’ एक दोषी व्यक्ति का दूसरे दोषी व्यक्ति की आलोचना करने पर इसका प्रयोग होता है।

उपयोग की दृष्टि से डॉ० तिवारी की दो दृष्टियाँ—पुष्टि एवं विरोध के द्वारा सभी प्रकार की लोकोक्तियों को इनके अन्तर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। डॉ० सत्येन्द्र द्वारा विवेचित लोकोक्तियों के उपयोग की चार दृष्टियाँ साधारणतः मान्य रही हैं। ये हैं—पोषण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन। लोकोक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से डॉ० रमेशचन्द्र का यह कथन अपेक्षाकृत सम्यक् प्रतीत होता है—लोकोक्तियों के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनमें संक्षिप्तता, सारगर्भितता, सप्रणता, लोका-नुभव, लोकप्रियता, परम्परित ज्ञान, हास्य, व्यंग्यात्मकता, आलंकारिकता, सूत्रात्मकता, चमत्कार, प्रभावोत्पादकता, सत्यता, नीति, आलोचन, सूचन, निर्देश एवं पोषण आदि तत्त्व मिलते हैं।⁸³ डॉ० सत्येन्द्र द्वारा प्रतिपादित पोषण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन चार दृष्टियों में शिक्षण के स्थान पर डॉ० रमेश चन्द्र ने नीति का तथा ‘सूचन’ के साथ ‘निर्देश’ का प्रयोग किया है, वह सूचन के ही निकट है। उपयोग सम्बन्धी चार दृष्टियाँ ही विचारको ने प्रकारान्तर से स्वीकार की हैं। डॉ० रमेशचन्द्र ने लोकोक्ति में निहित हास्य, व्यंग्यात्मकता, आलंकारिकता आदि की चर्चा के साथ अन्य तत्त्व चमत्कार स्वीकार किया है। चमत्कार अथवा रमणीयता की सृष्टि करने वाली लोकोक्ति में कही अलंकार के माध्यम से सौन्दर्य के दर्शन होते हैं, तो कही हास्य-व्यंग्य आदि के द्वारा अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होता है। लोकोक्ति में निहित इस सौन्दर्य का उद्घाटन ही हमारे शोध-प्रबन्ध का विषय है। डॉ० रमेशचन्द्र ने जिन तत्त्वों को छोड़ दिया है, मुख्यतः वे हैं—

शब्द शक्ति, रस, ध्वनि, ब्रह्मोक्ति आदि। लोकोक्ति में जहाँ रसात्मकता होती है वहाँ उक्ति वैचित्र्य के भी दर्शन होते हैं। ध्वन्यात्मकता लोकोक्ति की एक विशेषता है। लक्षणा व्यजना शब्द शक्ति का माध्यम से लोकोक्ति अपने अर्थ गाम्भीर्य को प्रकट करती है। यही नहीं बिम्ब-विधान के सफल सयोजन के द्वारा लोकोक्ति एक चित्र उपस्थित करती है जिससे जहाँ इसके अर्थ का स्पष्टीकरण होता है, वहाँ इसका भाव भी हृदयगम हो जाता है तात्पर्य यह है कि लोकोक्ति में निहित सौन्दर्य तत्त्व का दर्शन विभिन्न दृष्टियों द्वारा किया जा सकता है। शब्द शक्ति की दृष्टि से विचार करते हुए डॉ० रमेशचन्द्र लिखते हैं—लोकोक्तियाँ वाक्यात्मक, लक्ष्यात्मक एवं व्यंग्यात्मक तीनों ही प्रकार की होती हैं, तुलनात्मक दृष्टि से व्यंग्यात्मक लोकोक्तियाँ सख्या में सबसे अधिक होती हैं।⁸⁴ पादचात्य विचारको ने भी लोकोक्तियों में शब्द शक्ति या अभिप्राय की अनिवायता स्वीकार की है।⁸⁵

लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों में डॉ० मदन लाल शर्मा ने अपने शोध प्रबन्ध में उपर्युक्त तत्त्वों के अतिरिक्त तीन अन्य तत्त्वों को अनिवार्य माना है। ये हैं—1 सरलता, 2 उपयोगिता, और 3 पूरा वाक्य या वाक्य समूह का प्रयोग।⁸⁶ प० मुरलीधर व्यास ने अपनी परिभाषा में लोकोक्ति को घरेलू भाषा कहकर इसकी सरलता की ओर संकेत किया है।⁸⁷ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार लोकोक्तियाँ बड़ी सरल भाषा में निबद्ध होती हैं जिससे सुनते ही इनका अर्थ हृदयगम हो जाता है। इनकी यही सरलता इनके अतिशय प्रभाव उत्पन्न करने का कारण है। जो वस्तु अथ काठिन्य के कारण समझ में नहीं आती उसका प्रभाव हृदय पर नहीं पड़ता। परंतु लोकोक्तियाँ अपनी सरलता और सरलता के कारण हृदय पर सीधे चोट करती हैं। जैसे—

नसकट पनही, बतकट जोय
जो पहिलीठी बिटिया होय।
पातर कृपों बोरहा भाय,
घाघ कहे दुख कहा समय।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पंर का काटने वाला जूता और (पति की) बात काटने वाली स्त्री कितनी दुःखदायी होती है। इसके साथ ही कमजोर फसल और शत्रुता रखने वाला भाई भी व्यक्ति के कष्ट का कारण हुआ करते हैं। घाघ ने इन्हीं बातों का बड़ी सीधी सादी भाषा में कहा है जिसका प्रभाव ग्रामीण जनो के हृदय पर अत्यंत सहजता से होता है।⁸⁸ अतः सरलता को लोकोक्ति की लोकप्रियता का यदि सहायक गुण स्वीकार किया जाए, तो आपत्ति न होगी।

उपयोगिता लोकोक्ति का एक अनिवार्य तत्त्व है। प्रायः देखा जाता है कि लोकोक्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर इसका प्रचलन भी अवश्य हो जाता है। डॉ० शर्मा ने लोकोक्तियों में यह उपयोगिता दो प्रकार की मानी है—

(1) शाश्वत उपयोगिता या सावदेशिक और सावकालिक होती है।

(2) अशाश्वत उपयोगिता जो समय और स्थानानुसार परिवर्तित होती रहती

है। शाश्वत उद्योगिता में एक 'सार्वभौम सत्य' निहित रहता है। जैसे—'एक हाथ से ताली नहीं धजती।' अतः उसका कभी लोप नहीं होता। अशाश्वत लोकोक्ति का उपयोग समय के व्यतीत होने के साथ ही साथ समाप्त भी हो जाता है। जैसे—'डफिनेच्छा बलीयसी' आदि।⁸⁹ उपयोगी न रहने के कारण ऐसी लोकोक्तियाँ काल कवलित हो जाती हैं।

डॉ० शर्मा ने लोकोक्ति का अन्तिम तत्त्व पूर्ण वाक्य या वाक्य समूह का प्रयोग माना है। 'पूर्ण वाक्य' या 'पूर्ण कथन' के बिना लोकोक्ति मुहावरे की कोटि में चली जाएगी क्योंकि 'मुहावरा' एक 'वाक्यांश' मात्र ही होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में प्रायः अनेक गुण तो समान ही होते हैं, परन्तु केवल 'वाक्य' और 'वाक्यांश' का ही अन्तर रहता है।⁹⁰ मुहावरे के साथ लोकोक्ति का अन्तर स्पष्ट करते हुए इस विषय पर विस्तार पूर्वक आगे विचार किया गया है।

लोकोक्ति की अन्य विशेषताओं में एक विशेषता है—तुक साम्य। तुकान्त होने पर लोकोक्ति शीघ्र ही याद हो जाती है। मुख-मुख लोकोक्ति को तुकान्त बनाने में सहायक होता है। तुकान्त लोकोक्ति चिरस्थायित्व प्राप्त करती है और लोक-जिह्वा पर नर्तन करके लोकप्रियता भी प्राप्त कर लेती है। लोकोक्तियाँ गद्यबद्ध और पद्यबद्ध दोनों प्रकार की होती हैं। गद्यबद्ध लोकोक्ति शुष्क वाक्य से भिन्न होती है। इसमें एक लय होती है। यदि लय का संगीत न हो तो भी लयांश (रिदम) अवश्य विद्यमान होता है। इस लय को तुक द्वारा सुविधा प्राप्त होती है, परिणामतः लोकोक्ति चमत्कारपूर्ण बन कर जन-वाणी में मुखरित हो जाती है और श्रोता अथवा पाठक को अपनी इस आकर्षण शक्ति द्वारा आकर्षित कर लेती है। एक लोक प्रसिद्ध उक्ति है—'बनिया जान-पूँचान वाले को और ठग अनजान को ठगता है—'बनिया मारे जान, चोर (ठग) मारे अनजान'।⁹¹ किन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। कहीं-कहीं सतुलित यणों की आवृत्ति से विशिष्ट शब्द-ध्वनि निर्मित होकर लयांश उत्पन्न करती है। यथा—'सैया भए कोतवाल अब डर काहे का'।⁹²

लोकोक्ति में अप्रस्तुत प्रयोग भी होता है। इस अप्रस्तुत प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरणार्थ—'नाथ न जानें बावरी रुहै आगन टेढ़ी।' यहाँ कर्म करने की बुद्धलता का सर्वथा अभाव है किन्तु अपनी अबुद्धलता या अनिपुणता को प्रच्छन्न रखने के अभिप्राय से किसी अनुपयुक्त कारण का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः विस्तृत होने के कारण आंगन नृत्य के उपयुक्त होता है किन्तु उसमें दोष बनाकर नृत्य न करने की विद्यता को प्रकट किया गया है। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत है कर्म करने की अनिपुणता के परिणामस्वरूप तत्कार्य के साधन को व्याज में अनुपयुक्त बनाकर अपनी अबुद्धलता को प्रच्छन्न रखना तथा अप्रस्तुत है नर्तन की अज्ञानता से आगन को विरपा ही दोषयुक्त बनाना। ऐसी लोकोक्तियों में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है, किन्तु लोकोक्ति और अप्रस्तुत विधान एक ही शब्द के दो पर्याय नहीं, क्योंकि हर लोकोक्ति अप्रस्तुत प्रयोग नहीं है और हर अप्रस्तुत-विधान लोकोक्ति नहीं है। कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ होती हैं जिनमें मात्र प्रस्तुत का ही प्रति-

पादन होता है, यथा—“इंदवरेच्छा बलीयसी”, ‘पराधीन सपनेहुं सुख नाही’⁹³ सूर की एक उक्ति भी इसी प्रकार की है—अति सद्यंत्र भलो नहीं, कहिये सन्त अनन्त । रहीम ने भी कहा है—

रहिमन अति न कीजिए, गहि रहिए निज कानि ।

सहिजन अति फूल डारि पात को हानि ।⁹⁴

इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि लोकोक्ति का यथार्थ स्वरूप व उसमें निहित शक्ति तभी प्रस्फुटित होती है जब उसका प्रसंगानुकूल प्रयोग किया जाए । यथा—‘गौरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज’ में मात्र ‘एक पंथ दो काज’ लोकोक्ति का प्रसंग रहित प्रयोग किया जाए तो वह प्रभावोत्पादक नहीं होगी, किन्तु प्रसंगवशात् गोपिकाओं के कथन रूप में यह लोकोक्ति ‘एक पंथ दो काज’ इसलिए सार्थक है क्योंकि एक साथ ही नवनीत-विक्रय एवं श्रीकृष्ण-दर्शन का द्विगुणित लाभ को बतलाया जाना अभिप्रेत है ।

डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्ति की निम्न विशेषताएं स्वीकार की हैं—

(क) लोकोक्ति साधारणतः लघु होती है, यथा—अगमौ सो सवायो ।

(ख) गद्य के अतिरिक्त पद्यबद्ध भी होती हैं तथा सतुलित होती हैं, यथा—‘स्यारी बाप ही ते न्यारी ।’ कभी-कभी शब्द-ध्वनि की सतुलित आवृत्ति से छन्द चरण निर्मित हो जाता है—‘घर की खाड किस किसी लाग, बाहर की गुड मीठो ।’

(ग) अधिकांश कथावर्त अन्वोक्तियां होती हैं । इससे अभिप्राय विस्तृत हो जाता है ।—‘आगे नाथ न पीछे पगहा ।’ यह बैल से सम्बन्धित है, पर अनाथ आबारा के लिए ठीक बैठेंगे । उक्ति में वर्णित ‘विशेष’ में जो ‘सामान्य’ रहता है, उसी ‘सामान्य’ के अर्थ में उसका चाहे जहा उपयोग किया जा सकता है ।

(घ) विशेष का संयोजन और उसके द्वारा वैचित्र्य का विकास—इसमें असाधारण कल्पना होती है, यथा—‘छदाम की बुडिया ।’ बुडिया छदाम कैसे हो सकती है ? ऐसे स्थलों पर कल्पना की सभावना-असभावना का ध्यान नहीं, वैचित्र्य का प्राधान्य होता है । ऐसी कथावर्तें (ब्रज में) बहुत कम, अपवाद स्वरूप ही हैं ।

(च) प्रकृति का गम्भीर निरीक्षण एवं तत्सम्बन्धी सचित अनुभव—ये ज्ञान कोश की भांति कृषि आदि में सहायक हैं । पशु-स्वास्थ्य-शुभाशुभ आदि के सम्बन्ध में कही गई लोकोक्तियां ज्ञानवर्द्धक होती हैं ।

(छ) घटना या कहानी से सम्बन्धित—यथा—‘कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा, जो सच्चा तो गधे का बच्चा ।’⁹⁵

उपर्युक्त विवेचन में डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्ति की जिन विशेषताओं से अवगत

कराया है, वे प्रायः पूर्वोक्त ही हैं। प्रथम विशेषता सक्षिप्तता है, द्वितीय तुकान्त। तृतीय और चतुर्थ विशेषता का अन्तर्भाव लोकोक्ति की आलंकारिकता एवं उक्ति-वैचित्र्य के अन्तर्गत हो जाता है। अन्तिम दोनो विशेषताएँ लोकोक्ति के विषयगत आधार प्रकृति एवं कथा के अन्तर्गत पूर्वतः वर्णित हैं। डॉ० सत्येन्द्र का यह प्रतिपादन इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताओं का पृथक्-पृथक् सोदाहरण निरूपण किया है। डॉ० गयासिंह 'तुलसी-काव्य की लोक तात्त्विक संरचना' नामक पुस्तक में लोकोक्ति की निम्न विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं—

लोकोक्तियाँ समाज-नीति, धर्म, अनुभव, व्यवहार, शिक्षा, उपदेश, विश्वास, रीति, ज्ञान आदि से सवलित रहती हैं। इनका स्वरूप घटनात्मक, कथात्मक, व्यंग्यात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक, सवादात्मक और उपदेशात्मक होता है। ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनो रूपों में होती हैं और प्रायः एक विचार, भाव, घटना आदि से सदाभित रहकर पूर्ण वाक्य या सार्थक पद-समूहों में व्यक्त की जाती हैं। एक ही मूल की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में कुछ सामान्य हेर फेर से इसका ढाँचा एक-सा रहता है। भाषा के कवि इनके माध्यम से अपने काव्यात्मक कथनों को अधिक तीव्र तथा प्रेयणीय बनाते एवं उनमें चमत्कार और मार्मिकता लाते रहे हैं।⁹⁶ कहना न होगा कि प्रस्तुत विवेचन में डॉ० गयासिंह ने लोकोक्ति के विषय-वैविध्य का प्रतिपादन करते हुए उसे उभयरूपा स्वीकार किया है। उनका यह कथन है कि एक ही मूल की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में कुछ सामान्य हेर-फेर से इसका ढाँचा एक-सा रहता है, उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके साथ उन्होंने जो यह कहा है कि लोकोक्ति के द्वारा काव्य भाषा में तीव्रता, प्रेयणीयता, चमत्कार एवं मार्मिकता की सृष्टि होती है, काव्य भाषा में इसके प्रभाव-सामर्थ्य का प्रतिपादन है। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लोकोक्ति की निम्नांकित विशेषताएँ निर्धारित की जा सकती हैं—

—सक्षिप्तता, सारगर्भितता एवं संप्राणता इन तीनों तत्त्वों का निरूपण श्री आर० सी० टूँच ने और चौथे तत्त्व लोकप्रियता को हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया। डॉ० कन्हैयालाल 'सहल' ने सक्षिप्तता, सारगर्भितता एवं संप्राणता किसी उत्कृष्ट लोकोक्ति के तो अपरिहार्य गुण स्वीकार किए हैं, किन्तु लोकोक्ति मात्र के अनिवार्य गुण नहीं माने हैं। डॉ० सहल ने अपने मत की पुष्टि के उपयुक्त उदाहरण भी उद्धृत किए हैं, जिनका खण्डन अनेक विद्वानों ने किया है। सक्षिप्तादि लोकोक्ति के अनिवार्य गुण हैं। यद्यपि कुछ लोकोक्तियाँ सक्षिप्त न होकर विस्तृत भी होती हैं; किन्तु इस प्रकार की लोकोक्तियाँ अपवाद स्वरूप ही कही जाएँगी, क्योंकि प्रायः लोकोक्ति सक्षिप्त होती है। सारगर्भितता एवं संप्राणता का अभाव लोकोक्ति को स्वीकार्य नहीं है। डॉ० लक्ष्मी नारायण धर्मा ने सजीवता को सारगर्भितता के अन्तर्गत माना है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। सारगर्भितता एवं संप्राणता लोकोक्ति के दो भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं।

लोकप्रियता लोकोक्ति का प्राणतत्त्व है।

—लोकोक्ति में निहित मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता के विषय में विद्वानों में विवाद रहा है। कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति के सत्य को चरम सत्य माना है तो कुछ विचारकों—टी०टी० भुगर आदि ने अर्द्धसत्य मात्र स्वीकार किया है। वस्तुतः जीवन के अन्त एवं बाह्य पक्ष का, इहलोक एवं परलोक का, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त विविध अनुभवों का उद्घाटन लोकोक्ति के माध्यम से होता है। अनुभवों का वैविध्य लोकोक्ति में प्रतिपादित ज्ञान को विविधता प्रदान करता है।

—कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति का आधार ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं एवं प्राकृतिक नियमों को माना है। लोकोक्ति का यह आधार अपनी सीमाओं का स्पष्ट संकेत कर देता है। मानवीय अनुभव का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, लोकोक्ति का विषयगत वैविध्य भी उतना ही व्यापक बन जाएगा। प्राकृतिक अनुभव भी मानवीय अनुभव का एक रूप है। इससे इतर भी लोक-शास्त्र आदि द्वारा भी अनुभवों का ग्रहण कर, उन्हें लोकोक्तियों में समाविष्ट किया गया है। ऐतिहासिक-पौराणिक घटना-कथा, प्राकृतिक अनुभव के अतिरिक्त लोक एवं शास्त्र का सारतत्त्व भी लोकोक्ति का आधार निर्मित कर इसे सारगर्भित बनाते हैं।

—प्रयोग की दृष्टि से डॉ० तिवारी ने पुष्टि अथवा विरोध—इन दो दृष्टियों की स्थापना की है, किन्तु उनका यह मन्तव्य सीमापूर्ण है। लोकोक्तियों का उपयोग डॉ० सत्येन्द्र द्वारा विवेचित चार दृष्टियों—पोषण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन द्वारा ही प्रायः मान्य रहा है। डॉ० रमेश चन्द्र ने अपने शोध प्रबन्ध में नीति, निर्देश आदि शब्दों का प्रयोग कर नवीनता लाने का प्रयत्न किया है, किन्तु प्रकारान्तर से उपयोग सम्बन्धी ये दृष्टियाँ डॉ० सत्येन्द्र के द्वारा विवेचित चार दृष्टियों के समानान्तर ही व्याख्यायित हुई हैं। इनके अतिरिक्त डॉ० रमेश चन्द्र ने इनमें हास्य, व्यंग्यात्मक, आलंकारिकता आदि विशेषताएँ स्वीकार की हैं।

—शब्दशक्ति की दृष्टि से लोकोक्तियाँ वाच्यात्मक, लक्षणात्मक एवं व्यंग्यात्मक तीनों ही प्रकार की होती हैं, किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से व्यंग्यात्मक लोकोक्तियों की संख्या सर्वाधिक होती है।

—लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों में डॉ० मदनलाल शर्मा ने तीन अन्य तत्त्व माने हैं। ये हैं—सरलता, उपयोगिता एवं पूर्ण वाक्य। प० भुरलीधर व डॉ० कृष्णदेव ने भी 'सरलता' पर विशेष बल दिया है।

—'तुल्य साम्य' लोकोक्ति की एक अपूर्व विशेषता है। गद्यबद्ध और पद्यबद्ध दोनों ही प्रकार की लोकोक्तियों में लय अथवा लयांश अनिवार्यतः होता है।

—डॉ० सत्येन्द्र के मतानुसार लोकोक्तिया प्रायः अन्योक्तिया होती हैं। आलंकारिकता लोकोक्ति की अभिन्न विशेषता है।

—लोकोक्ति समग्रतः सौन्दर्य की सृष्टिकर्त्री है। लोकोक्ति द्वारा निष्पादित सौन्दर्य का उद्घाटन रस, अलंकार, ध्वनि, उक्ति-वैचित्र्य, शब्द-शक्ति, व्यंग्य एवं बिम्ब-विधान आदि विभिन्न दृष्टियों के द्वारा देखा जा सकता है।

—लोकोक्ति की अन्तिम विशेषता है इसका प्रसंगानुकूल प्रयोग। इससे प्रकरण में प्रभावात्मकता आती है। लोक-व्यवहार के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में लोकोक्ति के प्रयोग के द्वारा काव्य-भाषा में तीव्रता, प्रेषणीयता, चमत्कार एवं मार्मिकता की सृष्टि होती है। डॉ० गयासिंह ने अपने विवेचन में काव्य भाषा और लोकोक्ति के सम्बन्ध पर विचार किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः लोकोक्ति के स्वरूप को इस प्रकार स्थिर किया जा सकता है—किसी ऐतिहासिक-पौराणिक घटना अथवा कथा, प्राकृतिक नियम, लोक व्यवहार (लोक-न्यायादि) एवं शास्त्र-सम्बन्धी मानवीय अनुभव पर आधारित ज्ञान (सत्य) को उद्घाटित करने में समर्थ प्रायः सक्षिप्त, सारगर्भित, सजीव, सरल, उपयोगी तथा लोकप्रिय सतुक (लय-लयानुयुक्त) गद्य या पद्यमय पूर्ण वाक्य अथवा वाक्य-समूह का जब प्रसंगानुकूल किसी पुष्टि, शिक्षा, आलोचना अथवा सूचना-निर्देश आदि के लिए प्रयोग होता है, तो उसे लोकोक्ति की सज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रकरण में जीवन्तता-प्रभावोत्पादकता तथा काव्य-भाषा में तीव्रता-प्रेषणीयता आदि की सृष्टि होती है। समग्रतः लोकोक्ति एक चमत्कार अथवा सौन्दर्य की सृष्टि-कर्त्री है। साहित्य में लोकोक्ति द्वारा निष्पन्न इस सौन्दर्य का दर्शन रस, अलंकार, ध्वनि, उक्ति-वैचित्र्य, शब्दशक्ति एवं व्यंग्य आदि विभिन्न दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इनके सभी काव्यांगों के आलोक में लोकोक्ति में निहित सौन्दर्य का अन्वेषण इन पक्तियों के लेखन की शोध कृति का मूल उद्देश्य है।

लोकोक्ति के समानान्तर कुछ अन्य शब्द भी प्रचलित हैं, जिनकी लोकोक्ति के साथ तुलना करते हुए भेदाभेद स्थापित करना आवश्यक है। ये हैं—लौकिक न्याय, वहायत, प्रहेलिका और सूक्ति अथवा प्राज्ञोक्ति आदि।

लोकोक्ति और लौकिक न्याय—सन् 1877 में डॉ० वीलर की काश्मीर-रिपोर्ट में न्याय शब्द का प्रयोग 'परिचित उदाहरणों से निकाले हुए अनुमान' के अर्थ में किया गया था। कर्नल जैक्स ने लौकिक न्याय के पर्याय रूप में Maxim शब्द ग्रहण किया था, किन्तु इस पर्याय से वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने तो केवल बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा न्याय के अर्थ में गृहीत Maxim शब्द को देखकर ही अपनाया था, अन्यथा उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजी भाषा में न्याय के अन्तर्गत दृष्टान्त, नियम और अधिवरण तीनों का सम्मिश्रण किया गया है। अंग्रेजी का Maxim शब्द इतना व्यापक नहीं है कि वह उक्त तीनों प्रकार के अर्थों का वाचक बन सके। इसलिए जैक्स के मतानुसार तो न्याय

शब्द का अप्रोजी अनुवाद न करके अप्रोजी भाषा में भी इसे ज्यों का-त्यों ग्रहण कर लेना चाहिए।⁹⁷

'लोकोक्ति' एवं 'लौकिक न्याय' में प्रायः विद्वानों ने अभिन्नता स्वीकार की है। प० रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तो 'संस्कृत में लौकिक न्याय के अन्तर्गत बहुसंख्यक सूत्र उस समय की या उससे पहले की लोक-विश्रुत कहावतें ही हैं। उसमें जो युक्ति-मूलक दृष्टान्त हैं, वे किसी एक समय क नहीं हैं, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पड़कर बुद्धिमानों को जो सच्चे अनुभव हुए, उन्हीं को उन्हींने सूत्रबद्ध करके जनता को सौंप दिया। जनता ने उनको उपयोगी समझकर अपना लिया। इस प्रकार मुक्तभोगियों के कितने ही सच्चे हृदयोद्गार लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए।⁹⁷ यहाँ त्रिपाठी जी ने यही विशेष बात कहा है कि संस्कृत साहित्य में लौकिक न्याय लोकोक्तियों से भिन्न नहीं है तथा लौकिक न्याय के अन्तर्गत बहुसंख्यक सूत्र अथवा युक्ति-मूलक दृष्टान्त से लोकोक्ति भिन्न नहीं है। लोक-विश्रुत कहावतों को जहाँ लौकिक न्याय के रूप में स्थान मिला, वहाँ अनेक सूत्रबद्ध युक्ति-मूलक दृष्टान्त लोकोक्ति के रूप में लोक-प्रचलित हो गए।

इस सम्बन्ध में डॉ० कन्हैयालाल सहल ने जो मतव्य-व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है—

- (1) अनेक न्याय ऐसे हैं जो एक पदात्मक है। मत्स्य न्याय, टिट्टिभन्याय आदि उदाहरण स्वरूप रखे जा सकते हैं। विद्वदों में शायद ही कोई ऐसी लोकोक्ति हो जो केवल एक पद में समाप्त हो जाती हो। छोटी-से-छोटी लोकोक्ति के लिए भी कम-से-कम दो पद आवश्यक है। ट्रेंच के मतानुसार *voll, toll* जर्मन-लोकोक्ति दुनिया की सबसे छोटी कहावत है।
- (2) प्रायः न्याय द्विशब्दात्मक हैं, जिनका सम्पूर्ण वाक्य की भाँति प्रयोग नहीं होता, यथा—अजाकृपाणोन्याय, अन्धगज, कूपमण्डूक न्यायादि। इनके मूल में कोई न-कोई कथा मिलती है, जिसको जाने बिना स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। अनेक लोकोक्तियाँ भी ऐसी हैं, जिनके पीछे कोई-न-कोई कथा पाई जाती है, किन्तु लोकोक्ति सम्पूर्ण वाक्य की तरह प्रयुक्त हाती है, दो-दो शब्दों में पद्याश की तरह नहीं। कहावती रूप में क्रिया का कभी-कभी अभाव होने पर भी क्रिया सदा गम्य रहती है।
- (3) कुछ न्यायों को लोक-प्रसिद्ध उपमाओं का नाम दिया जा सकता है, यथा धक्रभ्रमण न्याय, अरण्यरोदन न्यायादि। लोकोक्तियों में भी यद्यपि ऐसे उदाहरण प्राप्त हैं, किन्तु लौकिक न्यायों में इस प्रकार की उपमाओं का प्राचुर्य दृष्टिगत होता है।
- (4) कतिपय न्याय ऐसे भी हैं, जिनमें लोकोक्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे (क) भसितेऽपि लघुने न शान्तो व्याधि लहसन खाकर भी रोग शान्त न हुआ। जैकब इस प्रकार के न्याय के लिए 'प्रोवर्व' शब्द का ही प्रयोग करते हैं।

(ख) वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात्—कल के मयूर से आज का कपोत अच्छा ।

(ग) सर्वे पद हस्तिपदे निमग्नम्—हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं ।

(5) ऐसे न्याय जो कहावत के रूप में उपलब्ध हैं, जैसे 'गौ महिषी न्याय' अथवा राजस्थानी लोकोक्ति—'गाय की भंस के लागे और भंस की गाय के लागे ?' अर्थात् गाय और भंस का परस्पर क्या सम्बन्ध ?

(6) जैकब द्वारा सगृहीत और सम्पादित लौकिक न्यायाजलि में कही-कही न्याय के स्थान में निदर्शन और नियम शब्द का प्रयोग हुआ है। यथा (क) 'तम प्रकाश निदर्शनम्'। अर्थात् अन्धकार और प्रकाश की युगपत् स्थिति का दृष्टान्त । (ख) 'तेल फुलपित शालिबीजादं कुरानुदय नियम'। अर्थात् तेल से कलुपित बीज के अकुरित न होने का नियम ।

(7) प्रश्नोत्तर के रूप में न्याय, यथा—

प्रश्न : जागति लोको ज्वलति प्रदीप. सखी जनः पश्यति कौतुक मे ।

क्षणक मात्रं कुरु कान्तधैर्यं बुभुक्षितः किं द्विकरेण भुवते ॥

उत्तर : जागति लोको ज्वलतु प्रदीप. सखी जनः पश्यति कौतुक मे ।

क्षणक मात्र न करोमि धैर्यं बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् ॥

(8) आभाणक न्याय को न्याय का एक भेद माना गया है। 'बराटकान्वेषण प्रवृत्तश्चितामणि लब्धवान्' इसे आभाणक न्याय स्वीकार किया गया है।

(9) कुछ कवियों की उक्ति को न्यायान्तर्गत स्वीकार किया गया। यथा—

(क) छिद्रेष्वनर्षा बहुली भवन्ति (विष्णुशर्मा) अर्थात् विघ्न पर विघ्न आया करते हैं। (ख) सर्वारम्भा हि दोषेण घमेनाग्निरिवावृता. (गीता) अर्थात् जैसे अग्नि धूम से आवृत होती है, उसी प्रकार सब समारम्भ दोष से युक्त होते हैं।⁹⁹

डॉ० सहल का लौकिक न्याय एव लोकोक्ति विषयक यह प्रतिपादन यद्यपि उनकी सूक्ष्म विचारशीलता का परिचायक है, तथापि उपर्युक्त वर्गीकरण में कुछ संशोधन की अपेक्षा है। उदाहरण के लिए चतुर्थ वर्ग को उन्होंने न्याय का एक ऐसा रूप माना है, जिसमें लोकोक्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं। मेरे विनम्र मत में वस्तु स्थिति सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि इस वर्ग में निदिष्ट उदाहरण लोकोक्तियों के ही उदाहरण हैं। इनका प्रयोग भी संस्कृत में लोकोक्ति के ही रूप में हुआ है। हाँ, न्याय का लक्षण यदि इस प्रकार की लोकोक्ति में स्वीकार किया जाए तो आपत्ति न होगी, किन्तु इन लोकोक्तियों को न्याय स्वीकार करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ पर उन्होंने पंचम वर्ग के न्याय को कहावत के रूप में माना है और उदाहरण 'गौ महिषी न्याय' को उद्धृत किया है, उसके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि यह उदाहरण लोकोक्ति का उदाहरण न होकर न्याय वा उदाहरण ही है। इस प्रकार के ऐसे अनेक न्याय हैं जो आज लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं, अन्वेषण करने से प्रायः सभी वर्गों के लौकिक न्याय के रूप लोकोक्तियों

मे प्राप्त हो सकते हैं। इसका मात्र एक ही आधार है, वह है लोक-प्रचलित ढाँ० महल के अनुसार न्याय के अन्तर्गत लोक-प्रचलित पदाश, प्रसिद्ध उपमाएँ, विश्रुत दृष्टान्त, सूक्तियाँ तथा आमाणक अथवा लोकोक्तियाँ—सभी को स्थान मिल गया है, १०० किन्तु यही बात लोकोक्ति के विषय में भी कही जा सकती है। लोक-न्याय व उससे सम्बद्ध प्रकारों को लोकोक्ति अपने गर्भ में समाहित रखती है, किन्तु लोकप्रियता के अभाव में इन्हें मात्र सूत्र की सजा देना समीचीन प्रतीत होता है। वे स्वयं लिखते हैं कि बहुत से न्याय ऐसे हैं जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से लोकोक्ति तो नहीं कहा जा सकता किन्तु वे सूत्र-शैली में ग्रथित ऐसे पद-समुच्चय हैं जो अपने में गम्भीर अर्थ छिपाए हुए हैं।¹⁰¹

वस्तुतः 'लोकोक्ति एव लौकिक न्याय' के पार्यवयव का मुख्य कारण यह भी है कि 'लौकिक न्याय' जहा शास्त्र का विषय होने के कारण तार्किकों से सम्बद्ध है, वहा 'लोकोक्ति' का प्रयोग सर्वसाधारण एव शिष्ट सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा होता है। 'लौकिक न्याय' एव लोकोक्ति के परस्पर सम्बन्ध के विषय में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'लौकिक न्याय' के अन्तर्गत 'लोकोक्ति' तथा 'लोकोक्ति' के अन्तर्गत 'लौकिक न्याय' का भी समावेश है, किन्तु प्रत्येक 'लौकिक न्याय' में 'लोकोक्ति' और इसी प्रकार प्रत्येक 'लोकोक्ति' में 'लौकिक न्याय' का समावेश नहीं हो सकता। गूढ, शास्त्रीय अथवा दार्शनिक लौकिक न्याय मात्र शास्त्रबद्ध ही रहते हैं, जबकि इनसे पृथक् कुछ लौकिक न्याय अपने विशिष्ट गुणों के परिणामस्वरूप लोक-प्रचलित होकर कदाचित् क्वचित् परिवर्तन के साथ लोकोक्ति का पर्याय बन जाते हैं।

लोकोक्ति और कहावत—कुछ विद्वानों द्वारा इनमें परस्पर भेदाभेद स्थापित करने का प्रयत्न हुआ है। इस समस्या का श्रीगणेश तब हुआ जब कहावत कोश के संपादक डॉ० मुनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' एव श्री विक्रमादित्य मिश्र ने कहावत को श्रेष्ठसिद्ध करते हुए लोकोक्ति को सामान्य कोटि का बताया। यही नहीं उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मतों द्वारा साग्रह अपने मत की स्थापना की। उनका मन्तव्य इस प्रकार है—किसी भी सामान्य उक्ति को लोकोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन कहावत लोक की सामान्य उक्ति न होकर एक विशेष प्रकार की सर्वग्राह्य उक्ति होती है। इसके विपरीत लोकोक्ति सर्वग्राह्य होते हुए भी एक सर्वमान्य उक्ति होती है। लोकोक्ति के अन्तर्गत बच्चों के खेल-सम्बन्धी उक्तियाँ, मनोरजन विषयक उक्तियाँ, बुझौवल (पहेलियाँ), निरर्थक अथवा निरभिप्राय सार्थक अथवा साभिप्राय उक्ति होने के कारण लोकोक्ति का ही एक प्रकार है, जिसका एक विशेष प्रयोजन होता है। उपदेश, शिक्षा, ज्ञान, सूचना, आलोचना, मनोविज्ञान, कृषि, व्यवसाय, विधि नियेध, रीति-नीति, हास्य व्यंग्य आदि कहावतों के विशेष अभिप्राय होते हैं।... निष्कर्ष यह है कि कहावतें सार्थक तथा साभिप्राय होती हैं और उनमें सीधे चोट करने की ऐसी क्षमता है, जो शास्त्रीय उपदेश-वाक्यों में भी उपालम्भ सम्भव नहीं। किन्तु लोकोक्तियाँ सार्थक अथवा निरर्थक दोनों ही प्रकार की होती हैं।¹⁰² उनका यह मन्तव्य कहावत की उच्चता व श्रेष्ठता बताते हुए लोकोक्ति को निरर्थक एव महत्त्वहीन सिद्ध करता है। किन्तु यह भ्रामक है। उन्होंने लोकोक्ति एव कहावत के विषय में की

गई घर्चा को आधार बनाते हुए अपने मत को पुष्ट कर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उदाहरण देकर आगे वे लिखते हैं—तात्त्विक दृष्टि से कहावत और लोकोक्ति में अन्तर है। कहावत व्यक्ति की उक्ति होती है, किन्तु लोकोक्ति व्यक्ति की उक्ति होकर व्यक्तिगत विहीन होती है।¹⁰³ आगे वे लिखते हैं—कहावतें लोकोक्तियों का एक अंग है। ये निश्चय ही विशेष अभिप्राय से परिचालित होती हैं।¹⁰⁴ उपर्युक्त विवेचन में एक में कहावत को लोकोक्ति से बिल्कुल भिन्न तथा दूसरे में लोकोक्ति का ही एक प्रकार माना गया है। यह ठीक है कि कहावत लोकोक्ति का ही एक प्रकार है, किन्तु विशेष प्रकार की उक्ति होने के कारण इसका स्वतन्त्र अस्तित्व और विशेष अभिप्राय होता है। व्यक्ति की उक्ति तथा तो कहावत और लोकोक्ति, दोनों ही हैं, पर एक का अभिप्राय विशेष और दूसरे का सामान्य होता है। एक का सायंक तथा साभिप्राय होना आवश्यक है, पर दूसरे के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं।...कहावत भी लोकोक्ति ही है, पर वह कट्टे का एक विशिष्ट ढग है, जिसमें बुद्धि-वैभव के साथ-साथ सूक्ति की-सी मार्मिकता और गहरी अन्तर्दृष्टि तो होती है, उसमें सर्वाधिक प्रधान होता है 'लोकानुभव' जबकि लोकोक्ति का क्षेत्र इससे भिन्न और विस्तृत होता है।¹⁰⁵

श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव' के उपर्युक्त मन्तव्य से लोकोक्ति एवं कहावत के भेदाभेद से सम्बद्ध सन्देह तो उत्पन्न हो जाता है, किन्तु तार्किकता के अभाव के कारण इनमें भेदाभेद स्पष्ट नहीं हो पाता। डॉ० सत्येन्द्र के विचार इस विषय में द्रष्टव्य हैं। उनके विचारानुसार अन्य प्रकार के लोक-साहित्य से भी कहावतों का अधिक भाण्डार मिलता है। परसोकले, पटके, अनमिल्ला खुसि, महगड्ड आदि रूप और अभिप्राय के कारण कहावत के भेद ही हैं। वे लोकोक्ति के बड़े नाम से भी पुकारे जा सकते हैं। लोकोक्तियों में मानवीय ज्ञान का सार सन्निहित रहता है। इसमें नीति तो होती ही है, ग्रामीण दर्शन भी होता है। लोकोक्तियाँ सूत्रों की शैली पर हैं। सूत्र-शैली का विकास उपनिषदों के बाद हुआ और चाणक्य आदि के समय में 'सूत्र-प्रणाली' का अधिकाधिक विकास हुआ। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि संभवतः सूत्र में ही कहावतों और लोकोक्तियों का विशेष उत्कर्ष हुआ। यह वह उक्ति है जो लोक की उक्ति के साथ ही साथ साहित्य का अंग और साहित्य में भी सम्मान की भागी बनी।¹⁰⁶ प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'लोकोक्ति' 'कहावत' का समानार्थक शब्द है। लोकोक्ति का विकास उपनिषद युग के अनन्तर सूत्र-काल में सूत्र-शैली में हुआ। अर्थात् जब अनुमूल मानवीय ज्ञान को अति-साक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया तो ये सूत्र जो सुविज्ञो द्वारा निर्मित थे, प्रचार-प्रसार पाकर लोक-विद्ययात हो गए और लोक-वाणी का शृंगार बनकर लोकोक्ति के नाम से अभिहित हुए।

'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति अति विवादास्पद है, किन्तु इतना निश्चित है कि शाब्दिक दृष्टि से इसका प्रचलन 'लोकोक्ति' शब्द की अपेक्षा बाद में हुआ। 'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में डॉ० सहल ने द्वादश मनो की विस्तृत स्थापना की है, जिस का गारास एम प्रकार है—

प० रामदहिन मिश्र ने 'कहावत्' शब्द की व्युत्पत्ति 'कथावत्' शब्द से मानी है। प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार 'ध' को 'ह' हो जाता है। प्लेट भी इसी बात के समर्थक हैं। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्राकृत घातु 'वहाव' से भाव वाचक सज्ञा बनाने के लिए 'त्' प्रत्यय जोड़कर 'कहावत्' 'कहावत्' रूप बन सकता है। प्राकृत में 'कहावत्ता' और संस्कृत में 'कथावार्त्ता' शब्द के साथ भी इसका निकट का सम्बन्ध है। टर्नर के नेपाली शब्द-कोश में भी इस मत की पुष्टि की गई है। कहावत् से मिलते-जुलते अनेक शब्द हैं—'कहाउत्' 'कहावत्' (नेपाली), 'कहौत' (पजाबी), 'कहात' (सिन्धी) आदि। मूल रूप 'कथ' है, जिससे उत्पन्न 'कथापित', 'कपोद्धात' या 'कथावृत्त' से इसकी उत्पत्ति होना सम्भव है। अपभ्रंश में 'आभाणव', 'अहान' आदि शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, किन्तु 'कहावत्' के किसी पूर्व रूप का नहीं। कुछ विद्वानों के मत में 'कहावत्' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में उर्दू-फारसी शब्द-रचना—'मुसीवत्' जैसे शब्द सामने रखकर विचार करना चाहिए। स्व० आचार्य केशवप्रसाद मिश्र का अनुमान है कि 'कह' घातु के आगे अरबी 'आवत्' प्रत्यय लगाकर 'कहावत्' शब्द बन सकता है। इन सबसे भिन्न कुछ विद्वान् 'कथावस्तु' को इसका मूल रूप स्वीकार करते हैं।¹⁰⁷ अभिप्राय यह है कि 'कहावत्' की व्युत्पत्ति का कार्य विवाद की अधिकता के परिणामस्वरूप जटिल बन गया है। विभिन्न मतों के विशेषण करने से इसकी व्युत्पत्ति-विषयक दो सम्भावनाएँ प्रकट होती हैं—

(1) कहावत् शब्द की व्युत्पत्ति यदि किसी संस्कृत शब्द से हुई है तो उसके लिए सम्भावना 'कथावार्त्ता' शब्द से है, जिसका प्राकृत रूप 'कहावत्ता' ध्वनि और अर्थ दोनों दृष्टियों से 'कहावत्' शब्द के सन्निकट है। दूसरी बात यह है कि 'कथावार्त्ता' शब्द 'कथावत्' आदि शब्द की तरह कल्पित शब्द न होकर प्रयोग में भी आता है।

(2) यदि 'कहावत्' शब्द सादृश्य के आधार पर प्रचलित हुआ है तो 'लिखावट' 'साजावट' आदि के सादृश्य पर कहावट (कहावत्) शब्द का बन सकना असम्भव नहीं है। राजस्थानी भाषा में कथन के अर्थ में 'कुहावट', 'कुवावट' आदि शब्द बोलचाल में अब भी प्रयुक्त होते हैं।¹⁰⁸ कन्नौजी में भी कहावत् के लिए 'कहनावति', 'कहाउति' और 'कहाउट' शब्द मिलते हैं। ब्रज में भी इससे मिलते जुलते कई शब्द हैं, यथा सूर ने एक स्थान पर 'कहनावति' शब्द का प्रयोग किया है—'साची भई कहनावति उमकी ऊंची दुकान अरु भीठी पकवान'। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर सादृश्य के आधार पर इस शब्द की व्युत्पत्ति की बात कष्ट कल्पना नहीं प्रतीत होती।¹⁰⁹

शब्दिक दृष्टि से भी 'लोकोक्ति' शुद्ध तत्सम शब्द होने के कारण इसकी परम्परागत प्रचलन की मान्यता पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है, जबकि 'कहावत्' शब्द तद्भव शब्द है। अतः यह निश्चित है कि इसका प्रचलन 'लोकोक्ति' शब्द की अपेक्षा बाद में ही हुआ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'कहावत्' शब्द का जन्म 'लोकोक्ति' शब्द के पश्चात् कालान्तर में हुआ और इसे हम यदि जन्म होने के स्थान पर रूपांतर होना स्वीकार करें, तो यह कथन उपयुक्त प्रतीत होगा।

लोकोक्ति और पहेली—लोकोक्ति और पहेली का मूल एक ही है—लोक-

मानस । पहली भी लोक की उक्ति है । लोक-मानस इसके द्वारा किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता है और इसको बुद्धि-परीक्षा का साधन बनाता है, फिर भी लोकोक्ति और पहली में पर्याप्त भिन्नता है ।

पहली का शुद्ध रूप 'प्रहेलिका' है । सस्कृत-साहित्य में इसके लिए एक और नाम ब्रह्मोदय मिलता है । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में यह अनुष्ठान का एक भाग था । अश्व की वास्तविक बलि के पूर्व 'होता' और 'ब्राह्मण' ब्रह्मोदय पूछते थे । इसे पूछने का अधिकार केवल दो व्यक्तियों को ही था ।¹¹⁰ किन्तु कुछ कर्मकाण्डी विद्वानों ने इस यज्ञ में बलि को स्वीकार नहीं किया है । जहाँ तक ब्रह्मोदय अथवा प्रहेलिका का प्रश्न है, वैदिक साहित्य में इसका प्रचुर प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद को उसकी रहस्यात्मक ऋचाओं के कारण 'पहेलियों का वेद' कह सकते हैं ।¹¹¹ उपनिषदों में इस प्रकार के कितने ही रहस्यात्मक प्रश्न मिलते हैं । नधिकेता ने यम से वह रहस्यपूर्ण तत्व बताने का आग्रह किया था जिसे प्राप्त कर लेने से मनुष्य अमर हो जाता है । गीता में श्रीकृष्ण द्वारा सासारिक सृष्टि का वर्णन अत्यन्त गूढात्मक शैली पर है । महाभारत में उपलब्ध यज्ञ-युधिष्ठिर सवाद प्राचीन काल की पहेलियों का एक सुन्दर उदाहरण है जब युधिष्ठिर ने यज्ञ द्वारा पूछे गए चार प्रश्नों का उत्तर क्रम से दिया था । सस्कृत साहित्य में 'अन्तर्लापिका' और 'बहिर्लापिका' नामक पहेलियाँ मिलती हैं । सुभाषित सग्रहों में इनकी अगणित संख्या है, जहाँ कोई प्रश्न करते हुए उत्तर अलग से दिए गए हैं या प्रश्नोत्तर साथ-साथ हैं । पद-भंग करके प्रश्न का उत्तर समझ लिया जाता है या श्लोक के कुछ चरणों में प्रश्न करके एक चरण में सबका उत्तर दे दिया जाता है ।¹¹² लोकोक्ति की भाँति 'प्रहेलिका' भी सुदीर्घ काल से लोक प्रचलित रही है । हिन्दी-साहित्य की कों के अनुसार—'लोकोक्ति' केवल 'कहावत' ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार की उक्ति लोकोक्ति है । इस विस्तृत अर्थ को दृष्टि में रखकर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं—एक पहली, दूसरी कहावतें । पहली भी लोकोक्ति है । लोक-मानस इसके द्वारा अर्थ गौरव की रक्षा करता है और मनोरंजन प्राप्त करता है । यह बुद्धि-परीक्षा का भी साधन है । यद्यपि पहेलियाँ स्वभाव से कहावतों की प्रवृत्ति से विपरीत प्रणाली पर रखी जाती हैं, क्योंकि पहेलियों में एक वस्तु के लिए बहुत से शब्द प्रयोग में आते हैं, भाव से इनका सम्बन्ध नहीं होता, प्रकट को गोप्य करने की चेष्टा इनमें रहती है, ये बुद्धि कौशल पर निर्भर करती हैं, जबकि कहावत में सूत्र प्रणाली होती है, लघु प्रयत्न में विस्तृत अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रहती है, फिर भी पहेलियाँ उतनी ही उक्तिवादी हैं जितनी कहावतें ।¹¹³ इससे स्पष्ट है कि पहेलियाँ लोक में लोकोक्तियों के समान ही विख्यात हैं, इस समानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि इनमें वैषम्य भी प्राप्त होता है जो इस प्रकार है—

(1) पहेलियाँ बुद्धि-परीक्षा का साधन हैं और इनका साध्य है बुद्धि-विकास । ये बुद्धि-योग पर निर्भर करती हैं जबकि हमने विपरीत लोकोक्ति का सम्बन्ध अनुभूत मानवीय ज्ञान से है । लोकोक्तियों में निहित मानवीय अनुभव की प्रवणता उन्हें प्रहेलिका

की कौतूहल-प्रदर्शन की प्रवृत्ति से पृथक् कर लघु प्रयत्न से अर्थ के विस्तृत आशय प्रदान करती है।

(2) पहेली में प्रकट को गोप्य रखने की चेष्टा रहती है जबकि लोकोक्ति के श्रवण मात्र से अर्थ व्याप्त हो जाता है। अर्थ की दृष्टि से पहेलिया अपनी स्वाभाविक गुण धर्मिता के कारण क्लिष्ट होती हैं। अर्थात् इसके अर्थ बोध के लिए मस्तिष्क को भीषण श्रम करना पड़ता है, वही लोकोक्ति एक बार पढ़कर अथवा श्रवण कर हृदयगम हो जाती है। लोकप्रियता की दृष्टि से परस्पर साम्य प्रतीत होने पर अन्य दृष्टियों से इनका परस्पर वैपम्य स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्षतः 'लोकोक्ति' 'पहेली' से भिन्न विधा है।

लोकोक्ति एव अलंकार—लोकोक्ति में आलंकारिकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं, किन्तु लोकोक्ति मात्र को लोकोक्ति नामक विशिष्ट अलंकार के अन्तर्गत समाहित करके कुछ अलंकारशास्त्री विद्वानों ने इसके साथ अन्याय किया है। 'भारतीय साहित्य कोश' के अन्तर्गत इस विषय में लिखा गया है—लोकोक्ति एक गौण अलंकार है। जब प्रसंग-प्राप्त किसी लोकोक्ति (मुहावरा) का प्रयोग किया जाए तो लोकोक्ति अलंकार होगा। 'लोकोक्ति' का अर्थ लोक-कथन या कहावत है। यदि किसी प्रसंग में लोक प्रसिद्ध कहावत का प्रयोग किया जाए और उससे कथन में चमत्कार का आधान हो तो वही यह अलंकार होगा।¹²⁴

'लोकोक्ति' को अलंकार का रूप देने का श्रेय अप्यदीक्षित को है। दीक्षित के इस प्रयत्न का स्रोत भोजकृत लोकोक्ति ही है। इन्होंने भोज के उदाहरण में प्रतिपादित 'लोचनेमीलयित्वा' को भी यथावत् ग्रहण किया है। उदाहरण है—'सहस्र कतिचिन्मासान् 'सीलयित्वा विलोचने'। यहाँ नायक के द्वारा विरहिणी के सदेश का वर्णन है। आँखें मूढ़कर (मीचकर) कुछ मास और व्यतीत कर लो। दीक्षित के अनुसार जब काव्य में लोक प्रवाद या लोकोक्ति का अनुसरण किया जाय तो 'लोकोक्ति अलंकार' होगा।¹²⁵ यहाँ उपर्युक्त लोकोक्ति का उदाहरण वस्तुतः लोकोक्ति का उदाहरण न होकर मुहावरे का उदाहरण दिया गया है। 'लोचने मीलयित्वा' अर्थात् ध्यान हटाकर इसका लक्ष्यार्थ है। ध्यान की विस्मृति का द्योतक यह मुहावरा प्रथम भोज द्वारा और तदनन्तर अप्यदीक्षित द्वारा लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होने के साथ-साथ 'लोकोक्ति अलंकार' के लक्षण का भी अंग बन गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता। इधर भोज ने लोकोक्ति को एक शब्दालंकार के अन्तर्गत माना है। छाया नामक शब्दालंकार के यह भेदों में एक भेद 'लोकोक्तिछाया' किया है। काव्य में कवि के द्वारा लोकोक्ति के प्रयोग होने पर प्रस्तुत शब्दालंकार का भेद होता है—

अन्योक्ति नामनुवृत्तिश्छायासापीहपद् विधा।

लाकञ्छेकामंकोन्यस्त पीटामतोक्ति भेदत ॥¹²⁶

अग्निपुराणकार के मतानुसार छाया अन्य की उक्ति का अनुकरण है। यह चतुर्विधा है—लोकोक्ति, ऐकोक्ति, अमंकोक्ति एव मत्तोक्ति—तत्रान्योक्तेरनुवृत्तिरच्छाया साऽपि

चतुर्विधा ।¹¹⁷

केशव मिश्र ने आभाणक को लोकोक्ति की संज्ञा स्वीकार कर इसका पूर्ववत् 'लोकोक्तिच्छाया' के रूप में वर्णन किया है—

आभाणको हि लोकोक्तिः । यानुधावति लोकोक्तिच्छायामिच्छन्ति ता वुधा ॥¹¹⁸

रीतिकालीन आचार्यों में जसवन्तसिंह, मतिराम तथा पद्माकर आदि ने अप्य-दीक्षित द्वारा निर्धारित लोकोक्ति अलंकार के लक्षण को स्व-स्व ग्रंथों में अनूदित किया है—

(क) लोक उक्ति वच्छु वचन जो लीन्हे लोक प्रवाद (भाषा भूषण, 184) ।

(ख) जह कहनावति अनुकरण, लोक उक्ति मतिराम (ललित ललाम, 366) ।

(ग) लोकोक्ति जह लोक की कहनावति ठहराउ (पद्माभरण, 257) ।

इनसे पृथक् उद्योतवार नागेश ने चमत्कार के अभाव में इसे अलंकारत्व भी प्रदान नहीं किया ।¹¹⁹ प्रस्तुत विवेचन लोकोक्ति की अलंकारिकता को एक विशिष्ट प्रकार में परिवर्द्ध कर देता है, जो लोकोक्ति के साथ न्याय नहीं करता । लोकोक्तियों में शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का सुन्दर संयोजन हुआ है । कहीं भी ये अलंकार कृत्रिम रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत इनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में ही हुआ है । अतः लोकोक्ति मात्र को एक विशिष्ट अलंकार के अन्तर्गत सीमित करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । शोध-प्रबन्ध के स्वतन्त्र परिच्छेद में लोकोक्तियों में निहित अलंकारगत रमणीयता का विस्तृत विवेचन किया गया है ।

लोकोक्ति एवं प्रज्ञोक्ति अथवा सूक्ति—प्रज्ञोक्ति के अन्तर्गत प्रज्ञासूत्र (Aphorism), व्यवहार-सूत्र (Maxim), मर्मोक्ति (Epigram) आदि आती हैं । प्रज्ञा-सूत्र के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द Aphorism ग्रीक के Aphorismos से निकला है, जिसका अर्थ है परिभाषा देना । Apo का अर्थ है 'से' और Horsos का अर्थ है 'सीमा' । 'Aphorism' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हुआ 'किसी विचार-बिन्दु को सीमाबद्ध करके उसका लक्षण निर्धारित करना अर्थात् उसे निश्चयात्मक रूप देना ।' प्रज्ञा-सूत्र एक प्रकार की ऐसी सक्षिप्त और सारगर्भित उक्ति है जिसमें किसी सामान्य सत्य की अभिव्यक्ति हुई है । Maxim (व्यवहार-सूत्र) लेटिन शब्द Maxima से निकला है जिसका अर्थ है सबसे बड़ा । आग्ल भाषा के शब्द-कोष में 'सर्वाधिक गुणतापूर्ण उक्ति को' इसकी संज्ञा दी गई है । व्यवहार-सूत्र प्रज्ञा-सूत्र की भाँति जीवन के सत्य को मुखरित करता है, किन्तु प्रज्ञा सूत्र जहाँ विचार को लेकर प्रवृत्त होता है वहाँ व्यवहार-सूत्र का सम्बन्ध आचार-व्यवहार से है । 'मर्मोक्ति' के विषय में कहा गया है कि 'मर्मोक्ति' ऐसी निदान-दार उक्ति को कहते हैं जो अपने पीछे एक प्रकार की घटक छोड़ जाए । संस्कृत-साहित्य में 'सूत्र, सूक्ति, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, नर्मोक्ति, मर्मोक्ति, छेकोक्ति, मुक्तव और सुभाषित आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन्तु सुभाषित एक अत्यन्त व्यापक शब्द है जिनमें प्रज्ञा-सूत्र, व्यवहार-सूत्र तथा मर्मोक्ति आदि सभी का समावेश किया जा सकता

है।¹²⁰ सुभाषित में इन सबका समाहार हो जाता है। इस 'सुभाषित' को 'प्राज्ञोक्ति' के पर्याय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

लोकोक्ति एवं प्राज्ञोक्ति के परस्पर भेदाभेद का निरूपण अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। किसी भी विद्वान् ने इनकी अभिन्नता पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं की है। लोकोक्ति एवं प्राज्ञोक्ति के पार्यव्यय का उद्घाटन विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है—

(1) प्राज्ञोक्ति में ज्ञानी के ज्ञान का जो निष्कर्ष हमें मिलता है, वह सुचिन्तित होता है और प्रायः उपदेशमूलक नीति-वाक्य के रूप में देखा जाता है किन्तु प्रवाद या लोकोक्ति पाण्डित्य, चिन्तन तथा उपदेशात्मक को लेकर अप्रसर नहीं होती। लोकोक्ति तो स्वतः प्रसूत होती है और सरस तथा सक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त होती है। किन्तु प्राज्ञोक्ति ज्ञान और चिन्तन के परिपक्व फल के रूप में देखी जाती है। नीति-शिक्षा, तत्त्व ज्ञान और उच्चादर्श लोकोक्तियों के प्रेरक हेतु नहीं है।¹²¹

(2) प्राज्ञोक्ति नैतिक जगत् का सत्य होते हुए भी व्यावहारिक जगत् का तथ्य नहीं होती और लोकोक्ति व्यावहारिक जगत् का तथ्य होते हुए भी नैतिक जगत् का सत्य होती है।¹²²

(3) व्यवहार सूत्र या सूक्तियाँ इकट्ठे हुए सिक्के हैं जबकि लोकोक्तियों को प्रचलित सिक्कों के नाम से अभिहित किया जाता है। व्यवहार-सूत्र यदि प्रचलित न हो तो केवल पुस्तकों की शोभा बढ़ाते हैं जबकि लोकोक्तियाँ जनता की जिह्वा पर नृत्य करती रहती हैं।¹²³

(4) व्यवहार-सूत्र कहावत तो है किन्तु भिन्नगों की अवस्था में। पर उगने पर ही भिन्नगा उड़ सकता है। जब इसको लोक हृदय ने स्वीकार कर लिया हो और यह सर्व साधारण में प्रचलित हो जाए, तभी व्यवहार-सूत्र लोकोक्ति का रूप धारण करता है।¹²⁴

(5) जनसाधारण की उक्ति होने के कारण लोकोक्ति को सूत्र, सूक्ति, मर्मोक्ति या सुभाषित से भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि सूक्ति आदि का सम्बन्ध विद्वानों, प्राज्ञों से है—वे प्राज्ञों की उक्तियाँ हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्हें लोकोक्तियों में ग्रहण नहीं किया जाता। हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में कितनी ही लोकोक्तियाँ प्राचीन साहित्य एवं लोक-साहित्य दोनों स्रोतों में आई हैं। .पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण अनेक लोकोक्तियों को देखकर यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन जन-साधारण की उक्ति थी, जिसने काव्यात्मकरूप धारण कर लिया और कवि की उक्ति भी जो लोकोक्ति बन गई।¹²⁵

(6) इतिहास को प्रत्यक्ष कर जब हम देखते हैं तब लोकोक्ति का विकास ही प्रकारान्तर से सूक्ति या सुभाषित बन जाता है। लोक की उक्ति लोकोक्ति है, वही जब कवि विशेष द्वारा उद्गरित हुई तो सूक्ति हो गयी, सुभाषित हो गयी। अतः ये तीनों नाम सूक्ति सुभाषित-लोकोक्ति एक ही सजा के पर्याय हैं।...जैसे लोकोक्ति का अर्थ

है—लोक (विराट् समाज) की उक्ति अर्थात् मान्यता, नीति वचन, वैसे ही सूक्ति का सामान्य अर्थ है—सु-उक्ति. सुन्दर या सौष्ठवपूर्ण वचन, शब्द अर्थ वा ललित-अन्वय विधान । सामान्य लोकवाणी से विचित्र, प्रभावकारी विशेष कथन को ही आरम्भ में सूक्ति कहा गया ।¹²⁶

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

- (1) प्राज्ञोक्ति में निहित पाण्डित्य, चिन्तन, तत्त्वज्ञान एवं उच्चादर्श से भिन्न लोकोक्ति सरस एवं स्वतः प्रसूत होने के कारण नीति-शिक्षा, उपदेशात्मकतादि से रहित होती है ।
- (2) प्राज्ञोक्ति में नैतिकता का अभाव होता है; जबकि लोकोक्ति में व्यावहारिकता एवं नैतिकता दोनों का युगपत् समन्वय होता है ।
- (3) प्राज्ञोक्ति अथवा व्यवहार-सूत्र ही लोक-प्रचलित होकर लोकोक्ति का रूप धारण कर लेते हैं ।
- (4) लोकोक्ति जन-साधारण की युक्ति होने के अतिरिक्त प्राज्ञों की भी उक्ति है । लोकोक्ति के लोक-साहित्य एवं शिष्ट-साहित्य (प्राचीन साहित्य) दोनों ही स्रोत हैं ।
- (5) लोक की उक्ति जब कवि द्वारा उद्गरित होती है तो सूक्ति बन जाती है ।

उपर्युक्त निष्कर्षों में प्रथम मन्तव्य पूर्णतः मान्य नहीं है । इसका कारण यह है कि लोकोक्ति में प्राज्ञोक्ति जैसा तत्त्व-चिन्तन, नीति-कथन व उपदेशात्मकता के दर्शन होते हैं, किन्तु लोक-प्रिय होकर प्राज्ञोक्ति जहाँ लोकोक्ति बन जाती है, वहाँ प्रचलन के अभाव में अनुपयोगी बनकर पुस्तको तक सीमित रह जाती है । द्वितीय निष्कर्ष द्वारा इसकी पुष्टि होती है कि प्राज्ञोक्ति जहाँ सीमा पूर्ण है, उसमें व्यावहारिकता का अभाव रहता है, वहाँ लोकोक्ति में नैतिकता के साथ व्यावहारिकता के भी एकत्र दर्शन होते हैं । यही कारण है कि लोकोक्ति का सम्मान लोक एवं शास्त्र दोनों के द्वारा होता है । निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूक्तियों (प्राज्ञोक्तियों) एवं लोकोक्तियों में भिन्नता का आधार प्रचलन है । प्राज्ञोक्तियाँ जहाँ प्राज्ञों द्वारा निर्मित होकर शास्त्रों अथवा विद्वत्समुदाय में ही सम्मानित रहती हैं, वहाँ लोकोक्तियाँ लोकप्रिय होकर देश-देशान्तर तक भ्रमण करती हुई सार्वदेशिक सम्पत्ति बन जाती हैं । ●●

मुहावरा : स्वरूप-विवेचन

मुहावरा-विमर्श

यह शब्द महाविरा, महावरा, मुहावरा, मुहाविरा, मुहव्वरा, मुहावुरा एव महावुरा आदि के रूपों में भिन्न-भिन्न ढंग से लिखा हुआ प्राप्त होता है, इससे यह प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है कि इसका शुद्ध रूप कौन-सा है ? 'लुगात किश्वरी' में इसके

विषय में लिखा है कि इस शब्द के 'मीम' (م) पर 'पेश' (ۛ) जो 'उ' की मात्रा का प्रतीक है और 'वाव' (و) पर 'जबर' (ۛ)

जो 'अ' को ध्वनि देता है—लगा है।¹²⁷ इस आधार पर मुहावरा (محاورا)

ही शुद्ध एव उपयुक्त शब्द प्रतीत होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में विवाद का प्रायः अभाव है। 'मुहावरा' शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति

'हौर' (حور)—(हे-वाव-रे) से हुई है। 'गयासुल्लुगात' में इसके विषय में कहा

गया है—'मुहावरा विरिज्जम मीम, वकतेह, वाव्, वायक, दीगर कलाम करदन व पासुख दादन यक दीगर—अज से राह वकन्ज वगैर आ।¹²⁸ इसका हिन्दी-अनुवाद करके 'लुगात किश्वरी' में कहा गया है—'मुहावरे का अर्थ है आपस में कलाम (बातचीत करना), एक-दूसरे को जवाब देना, गुप्तगू-बातचीत (यक दीगर कलाम करदन व पासुख दादन) आदि।¹²⁹

'फरहंग आसफिया जिल्द चहारूम' में अपेक्षाकृत विस्तृत एव सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है—'मुहावरा इस्म मुजबकर (सज्ञा, पुल्लिंग),

(1) हम कलामी, बाहम गुप्तगू, सवाल जवाब।

(2) इस्तिलाह आम, रोजमर्दा, वह कलमा या कलाम जिसे चन्द सकात (विश्वासपात्र) ने लगवी मानी कि मुनासिबत या गैरमुनासिबत से किसी खास मानी के वास्ते मुक्तस (रूढ) कर लिया गया हो। जैसे 'हैवान' से कुल जानदार मकसूद (अभिप्रेत) है, मगर मुहावरे में गैर जीउल-अक़ल (बुद्धिहीन) पर उसका इतलाक (प्रयोग) होता है और जीउल-अक़ल (बुद्धिमान) को इन्मान कहते हैं।

(3) आदत, चस्का, महारत (कुशलता), मरक (अभ्यास), रन्त-जैसे मुझे अब इस बात का मुहावरा नहीं रहा।¹³⁰

मुहम्मद मुस्तफा खा मदाह ने उर्दू-हिन्दी शब्दकोश में मुहावरे के प्रचलित पर्यायों में मुहरंफ, मुहरिफ, मुहावरत तथा मुहावरात आदि शब्द दिए हैं।

मुहरंफ — टेडा किया हुआ, वज्रित, वक्र, फेरी हुई बात या इवारत मूल अर्थ से हटाया हुआ।

मुहरिफ—टेडा करने वाला, बात को कुछ का कुछ बनाने वाला।

मुहावरा—रोजमर्रा, बोलचाल, किसी भाषा के वाक्यों का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलने वाले करते हैं और जिसका अर्थ अभिधेय अर्थ से पृथक् होता है।¹³¹ इन शब्दों के अतिरिक्त उर्दू में मुहावरे के लिए 'तर्ज कलाम' तथा 'इस्तलाह' आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 'मुहावरा' अरबी शब्द होते हुए भी हिन्दी और उर्दू में अरबी की अपेक्षा व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है।¹³² 'मुहावरा' से मिलते जुलते शब्द हैं—मुहावरत और मुहावरात। मुहावरत शब्द का अर्थ है—आपस में बातचीत करना तथा मुहावरात मुहावरे का बहुवचन है।¹³³

आंग्ल भाषा में मुहावरे के पर्याय के रूप में इडियम (Idiom) शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यह शब्द लैटिन और फ्रेंच में होता हुआ ग्रीक भाषा से आया है। डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त इसके इतिवृत्त के विषय में लिखते हैं—'सोलहवी शताब्दी में ग्रीक शब्द 'इडियोमा' (Idioma) से लैटिन में (Idioma) 'इडियोमा' फ्रेंच से इडियोटिस्म (Idiotisme) के रूप में वही शब्द अंग्रेजी में आया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द मूढता की ओर संकेत करता है। 'इडियट' शब्द से संबोधित होने के नाते 'इडियोसी' की ध्वनि भी इससे निकलती है। अब अंग्रेजी में इस शब्द का प्रायः लोप हो गया और इसके स्थान पर 'इडियम' शब्द का प्रयोग होने लगा है।¹³⁴ सोलहवी शताब्दी के अनन्तर कदाचित् सत्रहवी शताब्दी के आसपास इडियोटिस्म के स्थान पर 'इडियम' शब्द मुहावरे के लिए प्रायः सर्वमान्य हो गया होगा और वर्तमान काल में 'इडियम' शब्द ही इसके लिए रूढ हो चुका है। आंग्ल भाषा के प्रायः सभी कोशों में इसी शब्द को ग्रहण किया गया है।

डॉ० मोनियर विलियम्स ने 'मुहावरा' शब्द के निम्न संस्कृत पर्याय स्वीकार किए हैं—वाग्धीति, वाग्बृत्ति, वाग्ब्यापार, वाग्व्यवहार, वाग्धारा, विशेष वाक्य, विशेष वचन, सविशेष वाक्य, भाषा विशेषण, विशेष भाषा, विशिष्ट वचन, विशिष्ट वाक्य, विशिष्ट भाषा, भाषा लक्षण, भाषा वच्छेद, अवच्छेदक वाक्य तथा सप्रदाय।¹³⁵ इन पर्यायों द्वारा 'मुहावरा' शब्द के वास्तविक अर्थ का सम्पक् बोध नहीं हो पाता, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि संस्कृत में मुहावरों का प्रयोग नहीं हुआ। कुछ विद्वानों ने वाक् पद्धति, भाषा सम्प्रदाय, आदि शब्दों को इसका उपयुक्त पर्याय भी स्वीकार किया है। प० रामदाहिन मिश्र ने 'भाषा सम्प्रदाय' को तथा डॉ० कृष्णचन्द्र शर्मा ने 'वाक् पद्धति' शब्द को उचित पर्याय माना है। प० रामदाहिन मिश्र के अनुसार—संस्कृत तथा हिन्दी में मुहावरा शब्द के यथार्थ अर्थ का बोधक कोई शब्द नहीं है।

प्रयुक्तता, वाग्नीति, वाग्धारा और भाषा-सम्प्रदाय आदि शब्दों को इसके स्थान में रख सकते हैं। हिन्दी में मुहावरे के बदले विशेषतः 'वाग्धारा' शब्द का व्यवहार देखा जाता है किन्तु मुहावरा शब्द के बदले 'भाषा सम्प्रदाय' शब्द लिखना वही अच्छा है, क्योंकि वाग्नीति, वाग्धारा और प्रयुक्तता इन तीनों शब्दों का अर्थ इससे ठीक-ठीक मलक जाता है और भाषागत अन्यान्य विषयों का आभास भी मिल जाता है।¹³⁶ प० रामदहिन मिश्र द्वारा मान्य 'भाषा सम्प्रदाय' पर्याय प्रचलन के अभाव में स्वीकृत न हो सका। अन्य कुछ विद्वानों ने इसके लिए अन्यान्य शब्दों का प्रयोग किया, किन्तु प्रायः मान्य न हो सके। डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कुछ विद्वानों ने 'वाग्नीति' या 'रमणीय प्रयोग' का व्यवहार इसके लिए किया है, परन्तु वास्तव में ये उपयुक्त नहीं जचते क्योंकि इनसे 'मुहावरे' के भाव का सम्यक् प्रकाशन नहीं होता।¹³⁷ जहाँ तक मुहावरो का संस्कृत में प्रयोग का प्रश्न है, निस्संदेह वहाँ इनका प्रयोग-बाहुल्य है। संस्कृत में मुहावरो के लिए कोई उपयुक्त पर्याय चाहे न मिलता हो किन्तु मुहावरो का इस भाषा में कभी अभाव नहीं रहा। 'अगुलिदाने मुज गिलसि' (आर्या सप्तशती) तथा 'ईदश राजकुल दूरे बन्दयताम्' (कर्पूर मञ्जरी) जैसे प्रयोग संस्कृत ग्रन्थों में प्रायः उपलब्ध होते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी संस्कृत भाषा में मुहावरो का जो सैद्धान्तिक विश्लेषण नहीं मिलता, इसका संभवतः कारण यही है कि संस्कृत के आचार्य मुहावरो को लक्षणा के अन्तर्गत मानकर चले हैं।¹³⁸ गुजराती भाषा में मुहावरे के लिए प्रयुक्त शब्द 'रूढि प्रयोग' के विषय में श्री रामचन्द्र वर्मा लिखते हैं—लक्षणा के हमारे यहाँ दो भेद किए गए हैं—रूढा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा—इनमें से रूढा लक्षणा में वे शब्द प्रयोग आते हैं जो रूढ या प्रचलित हो जाते हैं और प्रयोजनवती लक्षणा में किसी प्रयोजनवश शब्दों के अर्थ में विशेषता आती है। तत्सवत मुहावरा हमारे यहाँ की रूढा लक्षणा के अन्तर्गत आता है। अतः हम मुहावरे को 'रूढि' और मुहावरेदार को 'रूढ' कह सकते हैं। हमें इसके लिए एक दूसरा शब्द 'वाक् सम्प्रदाय' भी सुझाया गया है, पर यह शब्द बहुत बड़ा है, अतः यदि मुहावरे के लिए 'रूढि' शब्द ही रूढ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। और फिर यदि अपने यहाँ कोई उपयुक्त शब्द न होने के कारण हम स्वयं 'मुहावरा' शब्द भी चलने दें तो यह कोई बलक या लज्जा की बात नहीं है।¹³⁹ 'रूढि' शब्द के प्रयोग के लिए वर्मा जी स्वयं आप्रही नहीं हैं। उनके मतानुसार उपयुक्त शब्द के अभाव में 'मुहावरा' शब्द को यथावत् ग्रहण करना उचित है। इससे स्पष्ट है कि 'मुहावरे' के लिए 'रूढि' शब्द का प्रस्ताव उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 'मुहावरे' के विस्तृत आध्याय को रूढा-लक्षणा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। मुहावरा-मीमांसकार ने मुहावरे के स्थान पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रयुक्त-वाक् सम्प्रदाय, विशिष्ट प्रयोग, वाक् वैचित्र्य, वाग्योग तथा इष्टप्रयोग आदि बारह नामों का उल्लेख किया है। इस विषय में स्पष्ट मत है कि इन बारह शब्दों में से कोई भी शब्द मुहावरे के सही पर्यायवाची शब्द के रूप में नहीं रखा जा सकता।¹⁴⁰ यद्यपि अनेक हिन्दी विद्वानों ने 'मुहावरे' के लिए विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के अन्वेषण का स्तुत्य प्रयत्न किया है, किन्तु अद्यावधि मुहावरे के समान लोक रूपात एव विद्वज्जनो

द्वारा सर्वमान्य किसी पर्याय का निर्धारण नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में 'मुहावरा' शब्द को यथावत् रूप में ग्रहण करना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

मुहावरे की परिभाषा एवं रूप-संरचना

मुहावरे के विषय में विभिन्न कोशों में अपनी-अपनी दृष्टि से विचार किया गया है। आंग्ल भाषा के विभिन्न विश्वकोशों एवं अन्यान्य कोशों में एतद्विषयक विस्तृत विवेचन किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में मुहावरे के पर्याय 'इडियम' शब्द के विषय में कहा गया है—1 किसी भाषा के लिए शब्दों, व्याकरण-सम्बन्धी रचनाओं, वाक्य-रचनाओं इत्यादि के वर्णन का विशिष्ट ढंग, 2. कभी-कभी किसी विशेष भाषा की विचित्रता भी, 3 एक विभाषा (ग्रीक इडियोमा) कोई विचित्र और व्यक्तिगत चोज 'मुहावरा' है।¹⁴¹

वेबस्टर के अन्तर्राष्ट्रीय कोश के अनुसार—1. (अ) किसी भाषा के विशेष ढांचे में ढला वाक्य (आ) वह वाक्य जिसकी व्याकरण-सम्बन्धी रचना उसी के लिए विशिष्ट हो और जिसका अर्थ उसकी साधारण भाषा शब्द-योजना से न निकल सके, 2 किसी एक लेखक की व्यंजना शैली का विषय, रूप अथवा वाग्विचित्र्य। यथा—श्राउनिंग के दुरुह मुहावरे।¹⁴²

'डिक्शनरी आफ द इंग्लिश लेंगुएज' के आधार पर 'मुहावरा' अथवा 'इडियम' फ्रेंच इडियोमी 1 सार्वलौकिक व्याकरण अर्थात् भाषा के प्रचलित नियमों के व्यवहार से सर्वथा बाहर और किसी एक बोली के स्वभाव से बधा हुआ बोलने अथवा लिखने का ढंग, किसी भाषा के लिए विशिष्ट वर्णन शैली 2 किसी भाषा का विचित्र स्वभाव 3. एक विभाषा अथवा भाषा की विचित्रता है।¹⁴³

इम्पीरियल डिक्शनरी के अनुसार मुहावरा 1. किसी भाषा की विशिष्ट वाक्य-शैली, वर्णन अथवा शब्द विन्यास की विशेषता, किसी भाषा अथवा लेखक के अभिप्राय से मुद्रित, उनकी व्याकरणिक तथा तात्त्विक युक्तियों से विलक्षण वाक्यांश। 2 किसी भाषा की मुख्य या विशेष रचना। 3 बोली, भाषा का विशेष रूप है।¹⁴⁴

मरे के कोश के आधार पर मुहावरा 1 किसी जाति अथवा देश का मुख्य या विशेष बोलचाल का ढंग, निजी भाषा या बोली। सकीर्ण अर्थ में किसी भाषा का वह भेद जो किसी सीमित क्षेत्र अथवा जाति में प्रसिद्ध हो, बोली। 2 किसी भाषा का विशिष्ट गुण, स्वभाव या लक्षण, वर्णन का स्वाभाविक या विशिष्ट ढंग। 3 किसी भाषा का विशिष्ट शैली या व्याकरणिक रचना है।¹⁴⁵

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'मुहावरा' (1) (अ) किसी देश या जनसमूह अथवा उचित बोलने की भाषा या बोली की विशिष्टता है। (आ) किसी एक ऐसी भाषा का विशिष्ट रूप है जो किसी सीमित जनपद या लोगों के वर्ग अथवा बोली की मुख्य विशेषता है।

(2) किसी भाषा का विशिष्ट रूप, गुण या प्रज्ञा, अभिव्यक्ति का ढंग जो कि

इसके प्रति स्वाभाविक और विशिष्ट है।

(3) किसी भाषा की अभिव्यक्ति का रूप व्याकरणिक संरचना, वाक्यांश या पदावली आदि। किसी भाषा के प्रयोग द्वारा पदावली की विशिष्टता की मान्यता और व्याकरणिक एवं तार्किक विशिष्टता के अतिरिक्त महत्त्व को 'मुहावरा' रखता है।

(4) विशेष रूप या गुण, विशेष प्रकृति विशेष रूप से इसमें होती है।¹⁴⁶

इसमें सन्देह नहीं कि मरे वे शब्द कोश एवं आक्सफोर्ड कोश के मुहावरे विवेचन में पर्याप्त साम्य है। इनमें भाव साम्य के अतिरिक्त भाषिक समानता भी प्राप्त होती है।

लोगन पीयरसल स्मिथ कृत 'वर्ड्स एण्ड इडियम्स' में मुहावरे के बारे में लिखा है—
चूँकि इस शब्द के बहुत अर्थ हैं, इसलिए मुझे इसकी उपयोगिता बताने देनी चाहिए।
1. कभी-कभी फ्रेंच की तरह ही अंग्रेजी में 'इडियम' शब्द का अर्थ किसी जाति अथवा राष्ट्र की विलक्षण वाक्य शैली होता है। (2) फ्रेंच शब्द इडियोटिस्मी के स्थान में भी हम लोग 'इडियम' शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात् व्युत्पत्तिलभ्य और युक्तिसंगत अर्थ की दृष्टि से भिन्न अर्थ देते हुए भी जो कहने का ढंग, व्याकरण सम्बन्धी रचना अथवा वाक्य रचना किसी भाषा की प्रयोग-सिद्ध विशेषता हो, मुहावरा है (3) भाषा और जातिगत स्वभाव। (4) व्याकरण अथवा तर्क के नियमों का उल्लंघन।¹⁴⁷

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

—मुहावरा किसी देश, जाति अथवा जनसमूह की विलक्षण वाक्य शैली का नाम है।

—मुहावरा किसी भाषा का विशिष्ट रूप, गुण स्वभाव अथवा लक्षण है तथा एक व्याकरणिक रचना है।

—मुहावरा किसी भाषा का वह विशिष्ट वाक्यांश या पदावली है, जिससे भाषा में विचित्रता अथवा वाग्विचित्र्य की सृष्टि होती है।

—इसका अर्थ सामान्य भाषा एवं उसकी शब्द योजना से ग्राह्य नहीं होता है। यह भाषा के विशिष्ट ढाँचे में ढला हुआ होता है।

यद्यपि 'मुहावरा' शब्द अरबी भाषा का है तथा 'हिन्दी' में फारसी के माध्यम से आया है, तथापि हिन्दी के मान्य विद्वानों द्वारा एवं विभिन्न शब्द कोशों में एतद्-विषयक चिन्तन मत्तन किया गया है। हिन्दी शब्द कोशों में इसका विवेचन इस प्रकार है—

भाषा विज्ञान कोश के अनुसार—मुहावरा भाषा-विशेष में प्रचलित प्रयोग, वाक्यांश या कुछ पदों या शब्दों का समूह, जिसका लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ लिया जाता हो, मुहावरा कहलाता है। इसका अर्थ अभिधार्थ से भिन्न है।¹⁴⁸

हिन्दी शब्द-सागर के आधार पर—मुहावरा लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग जो किसी एक ही बोली अथवा लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष (अभिधेय) अर्थ से विलक्षण हो। किसी एक भाषा में दिखाई पढ़ने वाली असाधारण शब्द-योजना अथवा शब्द प्रयोग। जैसे—'लाठी खाना' मुहावरा

है, क्योंकि इसमें 'खाना' शब्द अपने साधारण अर्थ में नहीं आया है, लाक्षणिक अर्थ में आया है। लाठी खाने की चीज नहीं है पर बोलचाल में लाठी खाने का अर्थ लाठी का प्रहार सहना किया जाता है। इसी प्रकार 'गुल खिलाना', 'घर करना', 'घमड़ा सीचना' 'चिकनी चूपटी बातें करना' आदि मुहावरे के अन्तर्गत हैं। कुछ लोग इसे रोजमर्रा या बोलचाल कहते हैं। अम्मास, आदत जैसे आजकल मेरा लिखने का मुहावरा छूट गया।¹⁴⁹

फारसी एवं अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मुहावरे के लिए प्रयुक्त असाधारण अथवा विशिष्ट शब्द-योजना के स्थान पर हिन्दी-कोशकारों ने अर्थ-तत्त्व के लिए लक्षणा एवं व्यञ्जना शब्द-शक्तियों का व्यवहार इसलिए किया है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों—अभिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना का विस्तारश प्रतिपादन किया गया है, किन्तु फारसी व अंग्रेजी काव्य शास्त्र में यह विवेचन अप्राप्त था, अतः हिन्दी कोशकारों ने शब्दशक्तिमूलक प्रयोगों के आधार पर इस समस्या का समाधान किया।

हिन्दी कोशकारों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों द्वारा भी मुहावरे की परिभाषा एवं स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर' मुहावरे का परिचयात्मक बोध कराते हुए लिखते हैं—'मुहाविरा'—(1) अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वातचीत करना अथवा प्रश्न का उत्तर देना परन्तु परिभाषित हो जाने के कारण विलक्षण अर्थ में मुहाविरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—लज्जित होना। (11) मुहाविरों का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता, अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक एक वाक्याश विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण 'मुहाविरा' बन जाता है। (111) वाक्याश होने के कारण मुहावरे में उद्देश्य और विधेय का अभाव होता है।¹⁵⁰

श्री रामचन्द्र वर्मा 'अच्छी हिन्दी' में 'क्रियाएँ और मुहावरे' के अन्तर्गत मुहावरे का विवेचन करते हुए लिखते हैं—(1) शब्द और क्रिया-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बना लिए जाते हैं जो मुहावरा कहलाते हैं। अर्थात् मुहावरा उस गठे हुए वाक्याश को कहते हैं जिससे कुछ लाक्षणिक अर्थ निकलता है और जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर लाक्षणिक अर्थ नहीं निकल सकता।¹⁵¹

डॉ० उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी मुहावरो का विवेचन करते हुए मुहावरे के निम्न दो लक्षण निर्धारित किए हैं—(1) हिन्दी-उर्दू में लक्षणा अथवा व्यञ्जना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही 'मुहावरा' कहते हैं। (2) मुहावरे के अर्थ में अभिधेयार्थ से विलक्षणता रहती है।¹⁵²

श्री राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार मुहावरे की दो विशेषताएँ हैं—मुहावरा वाक्य के बाहर नहीं आता और 'मुहावरा' अपना असली रूप नहीं बदलता।¹⁵³

प० रामदहिन मिश्र ने मुहावरे का समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्दी मुहावरे' में तत्सम्बन्धी विभिन्न कोशकारों एवं समीक्षकों के मतों को सार रूप में एकत्र कर इसकी द्वादश मान्यताएँ वर्णित की हैं—(1) कितने ठीक-ठीक सेल, सँली व बोलने के ढंग को मुहावरा मानते हैं। जैसे जहाऊ के तरह-तरह के गहन।

यहां तरह-तरह के जडाऊ गहने लिखना मुहावरा है । (2) कोई-कोई व्याकरण-विरुद्ध होने पर भी सुलेखक के लिखे होने का कारण किसी-किसी शब्द और वाक्य को मुहावरा बतलाते हैं । जैसे—उपरोक्त (उपर्युक्त) सराहनीय (श्लाघनीय) (3) कोई-कोई कहावत को ही मुहावरा कहते हैं—नौ नकद न तेरह उधार (4) कोई-कोई विलक्षण अर्थ प्रकाशित करने वाले वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं । जैसे—बाल की खाल निकालना । (5) कितने मगी-पूर्वक अर्थ-प्रकाशन के ढंग को ही मुहावरा कहते हैं । जैसे—फारसी भाषा के कवियों ने इस नई भाषा को शाहजहानी बाजार में अनवस्था में इधर-उधर फिरते देखा । उन्हें इसकी भोली सूरत पसंद आई, वह इसे अपने घर ले गए । (6) बहुतों ने शब्द या वाक्य को भिन्नार्थ बोधक होने से ही मुहावरा माना है । जैसे—आख, यह अन्याय कब तक चलेगा । (7) कोई-कोई आलंकारिक भाषा को ही मुहावरा कहते हैं । यथा—वसन्त वरसो पेरे, नेत्रों के सामने सब नाचने लगते हैं । (8) बहुत लोप विचित्र रूप से अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य को मुहावरा कहते हैं । यथा—अप्रेजो के राज्य में बाघ-बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं । (9) कोई-कोई एक खास अर्थ के बोधक वाक्य को मुहावरा कहते हैं । यथा—लघु शका करते जाओ । (10) कोई-कोई एकार्थ में वह क्रिया आदि को मुहावरा कहते हैं जैसे—हाथी चिंगघाडता है, घोडा हिनहिनाता है । (11) कोई-कोई प्रचलित शब्द प्रयोग को ही मुहावरा बतलाते हैं—जैसे नेहर की जगह 'मैके' आदि । (12) कोई-कोई किसी विषय पर प्रायः प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य लाने को ही मुहावरा कहते हैं । जैसे—किसी के राज्य वर्णन में राम-राज्य कह देना ।¹⁵⁴ यहां प० रामदाहिन मिश्र ने मुहावरे सम्बन्धी लोगों के भ्रम का निवारण किया है । कहावत और मुहावरे में पर्याप्त भिन्नता है, जिसका अन्यत्र वर्णन किया गया है । प्रत्येक मगिमापूर्ण वाक्यांश मुहावरा नहीं बन सकता, यद्यपि मुहावरो में वैदग्ध्य के दर्शन होते हैं । इसी प्रकार आलंकारिकता आदि मुहावरे की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तथापि प्रत्येक आलंकारिक कथन मुहावरा नहीं हो सकता । मुहावरे के निर्धारित स्वरूप से अपरिचित होने के कारण ही कुछ लोग भ्रमवश होकर किसी-किसी क्रियापद आदि को ही मुहावरा समझने की भूल करते हैं । हिन्दी के अनेक विद्वानों ने मुहावरे का स्पष्ट स्वरूप-निर्धारित करने का साधु प्रयत्न किया है । डॉ० रमेशचन्द्र ने अपने शोधप्रबन्ध में मुहावरे के निम्नलिखित षट् लक्षण स्वीकार किए हैं—(1) मुहावरा वाक्यांश होता है । (2) मुहावरा भाषा विशेष की विलक्षणता है जो भाव के किसी विशेष पहलू को व्यक्त करता है । एक भाषा के मुहावरो का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता । (3) मुहावरा शब्द का अर्थ है अम्मास, स्वभाव या बातचीत । इसी अर्थ का प्रयोग भाषा में भी होता है और इसी के कारण मुहावरा रूढ़िगत प्रयोग कहलाता है । (4) मुहावरे की उत्पत्ति विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं, अस्पष्ट ध्वनियों के अनुकरण, कहानी, कहावतों, विभिन्न अलंकारों तथा लक्षणा-व्यङ्गना शब्द-शक्तियों आदि के आधार पर होती है । (5) मुहावरा ऐसा शब्दबद्ध रूप का नाम है जो व्याकरण के नियमों से निरपेक्ष होता है तथा प्रयुक्त शब्दों के मूल अर्थ से भिन्न अर्थ की व्यङ्गना करता है । (6) मुहावरा भिन्न-भिन्न देश, जाति

अथवा समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों की सूचक सजा है।¹⁵⁵ इन लक्षणों के आधार पर डॉ० रमेशचन्द्र ने मुहावरे का स्वरूप स्थिर किया है। इसे परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं—मुहावरा किसी तिरित अथवा कथ्य भाषा में प्रचलित वह वाक्यांश है जिसका अर्थ प्रत्यक्ष (अभिधेय) अर्थ से विलक्षण होने के कारण लक्षणा अथवा व्यञ्जना द्वारा सिद्ध हो। उदाहरणार्थ 'मार खाइवो' वाक्यांश एक मुहावरा है, क्योंकि इसमें 'खाइवो' अपने साधारण अर्थ में न आकर लाक्षणिक अर्थ 'सहन करना' में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 'नदी के किनारे पं' वाक्यांश कोई भी विलक्षण अर्थ न प्रस्तुत करने के कारण मुहावरा नहीं है। अतः यह कथन कि 'सब मुहावरे वाक्यांश होते हैं परन्तु सब वाक्यांश मुहावरे नहीं होते', सर्वथा युक्ति-युक्त एवं समीचीन है।¹⁵⁶

डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त ने मुहावरा-मीमांसा में मुहावरे की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—प्रायः शारीरिक चेष्टाओं, अस्पष्ट ध्वनियों, कहानी और कहावतों अथवा भाषा के कतिपय विलक्षण प्रयोग के अनुकरण या आधार पर निर्मित और अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देने वाले किसी भाषा के गठे हुए रूढ वाक्य, वाक्यांश अथवा शब्द इत्यादि को मुहावरा कहते हैं। जैसे—हाथ-पंर मारना, सिर घुनना, अगारो पर लोटना, आग से खेलना आदि।¹⁵⁷ डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त ने इस परिभाषा में तीन तथ्यों पर विशेष बल दिया है, ये हैं—(क) मुहावरो का निर्माण भाषा आदि कुछ विलक्षण प्रयोग के अनुकरण अथवा आधार पर होता है। (ख) मुहावरे अभिधेयार्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ के धोतक होते हैं तथा (ग) ये किसी भाषा के गठे हुए रूढ वाक्य, वाक्यांश अथवा शब्द होते हैं।

डॉ० प्रतिमा अप्रवाल अपने शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी मुहावरे' में इसकी लाक्षणिकता पर विचार करती हुई लिखती हैं—मुहावरा लाक्षणिक प्रयोग है और इसके द्वारा भाषा को वक्रता एवं चुटीलापन प्राप्त होता है। 'लाक्षणिक प्रयोग' कहने का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि लाक्षणिक प्रयोग और मुहावरा समानार्थी हैं एवं हर लाक्षणिक प्रयोग मुहावरा है। लाक्षणिकता के साथ ही साथ दूसरा अनिवार्य गुण अपेक्षित है—रूढ होना अर्थात् उस विशेष अर्थ में वह लाक्षणिक प्रयोग रूढ एवं जनप्रचलित हो। इस गुण अभाव में मुहावरा मुहावरा हो ही नहीं सकता। लाक्षणिक प्रयोग एवं मुहावरो के बीच सीमा रेखा खींचना सरल नहीं। कहा कौन-सा लाक्षणिक प्रयोग, अपनी विद्युद् आलंकारिकता छोड़कर मुहावरे की सीमा स्पर्श करता है, और कहा अपनी सीमा में ही बद्ध आलंकारिक प्रयोग मात्र है, यह कहना कठिन है।¹⁵⁸ प्रस्तुत विवेचन में डॉ० अप्रवाल ने मुहावरे एवं लक्षणा शब्द-शक्ति के सम्बन्ध-स्थापन में जिस बात पर विशेष बल दिया है, वह यह है कि मुहावरा लाक्षणिक प्रयोग का पर्याय न होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। डॉ० अप्रवाल मुहावरे को परिभाषित करती हुई लिखती हैं—मुहावरा वह विशिष्ट पद-रचना है जो अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष लाक्षणिक अर्थ को सम्मुख रखती है या किसी अभिधेयार्थ को गौण बनाकर कोई विशेष अर्थ को ध्वनि देती है।¹⁵⁹

उपर्युक्त मन्तव्यो के आधार पर निष्कर्षित कहा जा सकता है कि 'मुहावरा' एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका प्रयोग विलक्षण अर्थ में किया जाता है। अभिधेयार्थ से नितान्त भिन्न मुहावरा वह वाक्यांश है जो किसी भाषा के लाक्षणिक एवं व्यञ्जनामूलक अर्थ में लोक-विश्रुत होकर रूढ हो गया हो।

'मुहावरा' एवं रोजमर्रा (बोलचाल) — हिन्दी शब्द-सागर में मुहावरे की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि कुछ लोग इसे 'रोजमर्रा' या 'बोलचाल' भी कहते हैं।¹⁶⁰ इसलिए 'रोजमर्रा' एवं 'मुहावरे' के साम्य वैषम्य पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है।

रोजमर्रा का प्रयोग सर्वप्रथम 'फरहग आसफिया' में प्राप्त होता है। इसके आधार पर श्री गया प्रसाद शुक्ल, प० रामदहिन मिश्र प्रमृति चिन्तकी ने मुहावरे के निरूपण के साथ ही इसका भी विवेचन किया है। मौलाना 'हाली अपनी कृति मुकदमा-दोरो शायरी' में लिखते हैं कि मुहावरे के जो मानी हमे अब्बल (पहले) बयान किए हैं, वह आम यानी दूसरे माइनो (अर्थों) में भी शामिल हैं, लेकिन दूसरे मानो पहले मानो से खास हैं। पर जिस तरकीब की लिहाज से भी मुहावरा कहा जायेगा, उसको दूसरे मानो के लिहाज से भी मुहावरा कहा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस तरकीब (व्यापार) को पहले मानो के लिहाज से मुहावरा कहा जावे, उसको दूसरे माइनो (अर्थों) के लिहाज से भी मुहावरा कहा जावे। मसलन, 'तीन पाच करना' (भगडा टटा करना)। उसको दो मानो के लिहाज से मुहावरा कह सकते हैं क्योंकि यह तरकीब अहले-अबान की बोलचाल के भी मुआफिक है, और चीज उसमें 'तीन पाच' का लपज अपने हकीकी मानो में नहीं, बल्कि मजाजी (साकेतिक) माने में बोला गया है। लेकिन रोटी खाना या मेवा खाना या पाच-सात या दस-बारह वगैर सिर्फ पहले मानों के लिहाज से नहीं, क्योंकि यह तमाम तरकीबें अहले अबान के मुआफिक तो जरूर हैं, मगर उनमें कोई लपज मजाजी मानो में इस्तेमाल नहीं हुआ।¹⁶¹

मौलाना 'हाली' के इस वक्तव्य के आधार पर 'मुहावरा' सज्ञा से उसे अभिहित किया जा सकता है जो मजाजी मानो अर्थात् साकेतिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, जबकि 'रोजमर्रा' के लिए इस प्रकार का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है अतः साकेतिक अर्थ एक ऐसी विभाजक रेखा है जो रोजमर्रा को मुहावरे से पृथक् करती है।

मौलाना 'हाली' के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए श्री रामचन्द्र वर्मा लिखते हैं—कुछ लोग बोलचाल के प्रचलित और शिष्ट सम्मत प्रयोगों को ही मुहावरा समझते हैं, पर वास्तव में वह 'मुहावरे' का दूसरा और गौण अर्थ है। यह वह तत्त्व है जिसे उर्दू वाले 'रोजमर्रा' कहते हैं। यह 'रोजमर्रा' भी होता ता है—प्रायः कुछ गढ़े हुए या निश्चित शब्दों में ही, पर उन शब्दों से सामान्य अर्थ निकलता है। उस प्रकार का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, जिस प्रकार का मुहावरे से निकलता है। जैसे—हम यह तो कहेंगे कि 'यह पाच सात दिन पहले की बात है', पर यह नहीं कहेंगे कि यह पाच-आठ दिन पहले की बात है या छह नौ दिन पहले की बात है। बोलचाल का बधा हुआ रूप

‘दिन दूना और रात चौगुना’ ही है। इसे हम रात दूना और दिन चौगुना नहीं कर सकते। कुछ सजाओ के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित क्रियाएं आती हैं, वे इसी बोलचाल के तत्त्व की सूचक हैं।¹⁶²

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न तथ्य उपस्थित होते हैं—

(क) बोलचाल का प्रचलित एवं शिष्ट-सम्मत प्रयोग वस्तुतः मुहावरा न होकर उसका दूसरा और गौण अर्थ है।

(ख) यह गौण अर्थ उर्दू में रोज़मर्रा के नाम से प्रचलित है।

(ग) ‘रोज़मर्रा’ का प्रयोग भी कुछ गढ़े हुए या निश्चित शब्दों में ही होता है, पर उन शब्दों से सामान्य अर्थ ही व्योक्त होता है।

(घ) मुहावरे के द्वारा कोई विशेष अर्थ अभिव्यजित होता है।

वर्मा जी ने मौलाना ‘हाली’ के विचारों को स्पष्टता प्रदान की है, इसमें सन्देह नहीं। वर्मा जी का सामान्य अर्थ मौलाना ‘हाली’ के हकीकी अर्थ के समानान्तर प्रयुक्त हुआ है और विशेष अर्थ मजाजी मानो के रूप में आया है, अतः मुहावरा हकीकी अथवा सामान्य अर्थ या अभिधेयार्थ से नितान्त भिन्न विशेष अर्थ अथवा मजाजी मानो में प्रयुक्त होता है।

श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ‘बोलचाल’ नामक अपनी पुस्तक में ‘मुहावरे’ व ‘रोज़मर्रा’ के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तृत निरूपण किया है। वे लिखते हैं—“मुहावरे और रोज़मर्रा या बोलचाल पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना है—पहले भाषा की दृष्टि से उनकी अलग-अलग उपयोगिता और आवश्यकता पर, और दूसरे उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर। जैसे मौलाना साहब ने कहा है—उपयोगी तो दोनों हैं, परन्तु आवश्यक जितना रोज़मर्रा है, मुहावरा उतना नहीं। भाषा को यदि एक स्त्री मानें तो रोज़मर्रा उसके शरीर की सावयवता और गठन तथा मुहावरे (उसके) किसी अंग विशेष का सौन्दर्य है। रोज़मर्रा का सम्बन्ध भावों के बाह्य परिधान, शब्दों के क्रम सान्निध्य और इष्ट प्रयोग तक ही विशेष रूप से सीमित रहता है। आशय, तात्पर्य, अथवा व्यंजना का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता, जबकि मुहावरे के लिए भावों के बाह्य परिधान, शब्द-क्रम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यजित तात्पर्यायों की रूढ़ियों का पालन करना भी अनिवार्य है।¹⁶³ उदाहरण के द्वारा आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं—‘कुत्ते भौंकना’ एक वाक्यांश है। रोज़मर्रा की दृष्टि से चूक कुत्ते के साथ ‘भौंकना’ क्रिया ही आनी चाहिए, इसलिए ‘कुत्ते भौंकना’ इसका अर्थ कोई भ्रगडे की बात छेड़ना, किसी भी अर्थ में लें, रोज़मर्रा के पद से व्युत्पन्न नहीं हो सकता; किन्तु यह वाक्यांश मुहावरा केवल अपने अर्थ में ही हो सकता है, दोनों अर्थों में नहीं। संक्षेप में हम यह सवते हैं कि बोलचाल या रोज़मर्रा और मुहावरे में वही सम्बन्ध है, जो शरीर और शरीरी में होता है। जिस प्रकार शरीर के बिना शरीरी अति सुन्दर और प्रिय होने पर भी मूत्र और पित्त ही समझा जाता है, वही उसकी ओर आवृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार रोज़मर्रा (इष्ट प्रयोग) के बिना ‘मुहावरा’ सर्वथा अप्रिय और कर्ण कट्टी ही

सगता है।¹⁶⁵ इस प्रकार उपाध्याय जी के अनुसार—

- (क) मुहावरे एव रोजमर्रा की तुलना में आवश्यकता की दृष्टि से, रोजमर्रा अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक है, तथापि दोनों की उपयोगिता, असंदिग्ध है।
- (ख) रोजमर्रा भाषिक शरीर की सावधवता या गठन है तो विशेष का सौन्दर्य है।
- (ग) रोजमर्रा भाषा के बाह्य परिधान-शब्दों में क्रम, साम्निध्य और इष्ट प्रयोग तक सीमित है वही मुहावरे में इनके साथ ही अभिव्यक्ति तात्पर्यायों की रूढ़ियों का पालन भी अनिवार्य है।
- (घ) इन दोनों में परस्पर शरीर-शरीरी का सम्बन्ध होने के कारण भाषा में दोनों की ही महत्त्वपूर्ण उपयोगिता एव आवश्यकता है।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि गठन तथा वाक्य-विन्यास की दृष्टि से दोनों में समानता है तथा भाषा में दोनों की महत्त्वपूर्ण उपयोगिता एव अनिवार्यता है, किन्तु फिर भी सापेक्षता की दृष्टि से यदि रोजमर्रा शरीर है तो मुहावरा शरीरी। प्रथम यदि साधन है तो द्वितीय साध्य। प्रथम यदि भाषिक स्त्री की सावधवता है तो द्वितीय उसका लावण्य। अर्थ तत्त्व की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता है, क्योंकि प्रथम में अभिधेयार्थ की विद्यमानता है तो द्वितीय में साकेतिक अर्थ को, तथापि भाषा में दोनों का ही महत्त्व है।

मुहावरे के साथ तुलना करते हुए विद्वानों ने पहिलिया, रोजमर्रा, सुभाषित, लौकिक न्याय, दृष्टिकूट, प्रतीक, सयुक्त क्रियाएँ तथा व्याकरण-तर्क आदि के साथ मुहावरे का साम्य-वैषम्य प्रदर्शित किया है¹⁶⁶, किन्तु विस्तार-भय से इसकी चर्चा संभव नहीं है। हाँ! कई बार कुछ चलते क्रियापदों को मुहावरा समझने का भ्रम हो जाता है, अतः युग्मक क्रियापद अथवा सयुक्त क्रियाएँ एव मुहावरे की तुलना आवश्यक हो जाती है। डॉ० अप्रवाल के शब्दों में—हिन्दी साहित्य-भाषा में प्रयुक्त कुछ सयुक्त क्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें एक ही अर्थ में दो क्रियाएँ आती हैं, जैसे मारपीट कर, बिना कहे-सुने आदि। ये युग्मक क्रियापद मुहावरेदानी के आस-पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वास्तव में मुहावरे नहीं हैं। 'मारपीट करना', 'कहासुनी करना', 'ना' प्रत्यान्त होने पर ही वे मुहावरे होते हैं।¹⁶⁷

मुहावरे एव सयुक्त क्रियाएँ—जब किसी क्रिया को कुछ विशिष्ट कृदन्तों के आगे जोड़ कर क्रिया बनती है, सयुक्त क्रिया कहलाती है, यथा—मरने/मारने लगना, खा/पी सकना, करने/मरने देना आदि में कृदन्तों के आगे क्रमशः लगना, सकना, देना क्रियाएँ जोड़कर सयुक्त क्रिया बन गई है। सयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया का कोई न कोई कृदन्त-रूप होता है और सहकारी क्रिया जो कृदन्त की विशेषता चोखित करती है, काल के रूप में रहती है। उठना, आना, करना, चाहना, चुकना, जाना, लगना, सकना, होना आदि क्रियाएँ इसी प्रकार की हैं, जो सयुक्त क्रियाओं में आती हैं। इन सहकारी

क्रियाओ का मुख्य क्रियाओ के साथ मेल होने से समुक्त क्रियाओ में एक नवीन अर्थ उत्पन्न होता है, जिससे समुक्त क्रिया और मुहावरे को एक मानने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इस प्रकार की समुक्त क्रियाएँ लक्षणा-व्यजना-सिद्ध न होने के कारण मुहावरे की श्रेणी में नहीं आती हैं। यथा—'माला टूट गई और मोती बिखर गए' वाक्य में 'गई' और 'गए' सहायरी क्रियाएँ हैं। 'टूट गई' और 'बिखर गए' समुक्त क्रियाएँ हैं। 'टूट गई' समुक्त क्रिया से मुक्ता य सूत्र के सम्बन्ध-विच्छेद का बोध होता है। इससे मिलता-जुलता एक मुहावरा है 'टूट पड़ना' जिसका अर्थ लक्षणा द्वारा होता है—पूरी रावित के साथ आश्रमण करना। इसके विपरीत अन्य मुहावरा है 'टूटी जुड़ना'। इसका अभिप्राय है—पुनः सम्बन्ध स्थापित हो जाना। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है—'पिता को आते देखकर लडका उठ बैठा'। इस वाक्य में प्रयुक्त 'बैठा' सहायक क्रिया के द्वारा अविलम्ब-स्वरित उठने की क्रिया की व्यजना हुई, किन्तु धातुगत अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत 'उस लडके का अपने साधियों के घरों में उठना बैठना है' इस वाक्य में व्यवहृत रेखांकित मुहावरे में धातुवर्ष का परिवर्तन हुआ है। इससे भी प्रकट है कि समुक्त क्रियाएँ एवं मुहावरे में पर्याप्त पार्थक्य है।

समुक्त क्रियापद एवं मुहावरे में पारस्परिक भेद का एक अन्य आधार यह भी है कि समुक्त क्रियापद में उच्चारण करते समय बलाघात-प्रधान क्रियापद रहता है और सहायक क्रियापद अल्पतर प्रयत्न से बोला जाता है, यथा—'बह चला गया होगा'। वाक्य में प्रयुक्त 'चला' प्रमुख क्रियापद और 'गया होगा' सहायक क्रियापद है। वाक्य बोलते समय बलाघात प्रथम क्रियापद 'चला' पर ही सुनाई देता है। इसके विपरीत मुहावरो का उच्चारण करते समय मुहावरे के दोनों पद समान होते हैं अर्थात् किसी एक पद पर बलाघात प्रमुख या गौण नहीं होता।¹⁶⁸ यथा—'राम आता है—सीता आती है'। यहाँ क्रियाएँ कृदन्त तिङन्त (समुक्त) हैं। 'आता-आती' कृदन्त मुख्य क्रियाएँ हैं और 'है' तिङन्त, सहायक क्रिया।¹⁶⁹ किन्तु 'राम का श्याम के घर आना जाना है' या 'सीता श्यामा के पास आती जाती है'। इन वाक्यों में दोनों पद समान हैं। 'आने' की क्रिया से सम्बन्धित अनेक मुहावरे हैं, यथा 'आइ जुरी', 'आइ जुरें' या 'आइ परे'¹⁷⁰ आदि। इनका अभिप्राय है एकत्रित हो गईं तथा एकाएक (विपत्ति आदि) उपस्थित हो गईं। स्पष्ट है कि यहाँ मुहावरो में कोई एक पद प्रमुख या गौण न होकर दोनों पद समान रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

लोकोक्ति एवं मुहावरे में साम्य-वैषम्य

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पर्याप्त साम्य होने पर भी वस्तुतः भिन्नता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इनमें परस्पर अभेद स्थापित करने की चेष्टा की है। डॉ० स्मिथ एक स्थान पर लिखते हैं—कुछ लोकोक्तियाँ तथा लोकोक्तिपरक वाक्यांश भी हमारी बोलचाल की भाषा में घुल-मिल गए हैं, इन्हें भी शायद मुहावरा मान सकते हैं, यथा—

एवं सिर से दो सिर अच्छे हैं (Two heads are better than one)

पुराने मूर्खों की तरह कोई मूर्ख नहीं है (No fool like an old fool)¹⁷¹
 डॉ० स्मिथ ने अपने कथन की पुष्टि में जो उदाहरण दिए हैं, वे लोकोक्तियों के ही उदाहरण हैं, मुहावरों के लक्षणों का इनमें अभाव है। डॉ० स्मिथ की भांति प० राम दहिन मिश्र भी 'हिन्दी मुहावरे' नामक अपनी पुस्तक में मुहावरे के द्वादश लक्षणों में एक लक्षण के अन्तर्गत इन दोनों के पारस्परिक भेद को समाप्त कर देते हैं—'कोई-कोई कहावत को भी मुहावरा कहते हैं—जैसे, नौ नकद न तेरह उधार, नौ की लकड़ी नब्बे खर्च, आदि।¹⁷² डॉ० रमेशचन्द्र के अनुसार इन दोनों को अभिन्न समझने का प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि ये दोनों ही विलक्षण (असामान्य) अर्थ देते हैं, परन्तु इस एक समानता के अतिरिक्त इन दोनों में रूपान्तरक, अर्थपरक तथा अन्य दृष्टियों से भी भेद होता है।¹⁷³ वस्तुतः डॉ० रमेशचन्द्र द्वारा कथित इन दोनों की समानता का आधार असामान्य अर्थ मात्र ही नहीं है, कुछ अन्य भी आधार हैं—यथा लोकादि एव मुहावरे दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय एव लोक-प्रचलित हैं, इनके उद्भव एव विकास का इतिहास भी एक समान है, दोनों ही कथन को रोचक एव प्रभावपूर्ण बनाते हैं तथा दोनों ही लक्षणा-व्यञ्जना शक्ति से युक्त होते हैं, भाषा में आलंकारिकता, चार्मदग्ध्य आदि विशिष्टताओं के कारण चमत्कार की सृष्टि करते हैं आदि आदि।

डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार लोकोक्ति एव मुहावरे को अभिन्न समझे जाने का एक कारण यह भी है कि तनिक से परिवर्तन के साथ अनेक मुहावरे लोकोक्ति में परिणत किए जा सकते हैं।¹⁷⁴ बहुत से मुहावरेदार वाक्यांश का प्रयोग कहावतों की भांति होता है और बहुत सी कहावतों के कलेवर में मुहावरों का समावेश पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तनिक से परिवर्तन से मुहावरे कहावतों का और कहावतें मुहावरों का रूप धारण कर लेती हैं।¹⁷⁵ उदाहरण के लिए एक मुहावरा है—'उगली पकड़ते पहुचा पकड़ना', जिसका अर्थ है—अल्पाश्रय ग्रहण कर फिर पूर्णाधिकार जमाना। इस मुहावरे का प्रयोग अनेक कवियों द्वारा किया गया है, यथा—

—छर्व छिगुली पहुचो गिलत अति दीनता दिखाइ।

बलि बावन की ब्याँतु सुनि को, बलि तुम्हे पत्याइ।

—कहा एती चतुराइ पढी आप जदुराई,

आमुरि पकरि पहुचा की पनरत हो।

- प्रथम देवरानी फिर सौत कहते हैं इसको ही

अगुली पकड प्रकोष्ठ पकड लेना।¹⁷⁶

विहारी ने इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए 'उगली पकड़ने' के स्थान पर 'छर्वे छिगुली' तथा गुप्त जी ने 'पहुचा' की जगह 'प्रकोष्ठ' शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु इससे मुहावरे का अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, अपितु कवि की नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का परिचय प्राप्त होता है। मुहावरे का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ। इधर सूरदास ने एक स्थान पर इस मुहावर का लोकोक्ति परक प्रयोग किया है, जिसका भाव है—वह व्यक्ति जो अल्पाश्रय ग्रहण कर तदनन्तर पूर्ण अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है, अपने इस कार्य-

कलाप को मुक्त नहीं रखा, उगरी अधिष्ठान यस्तु आदि का भेद लोच को प्राप्त हो जाता है—

अगुरि गहत गह्यो जिहि पट्टघो बंसं दुरति दुराए ।¹⁷⁷

गूरदास का मुहावरे का सोबोविनपरक यह प्रयोग उनके शोक-ज्ञान का परिचायक है। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका परस्पर सम्बन्ध भी कम नहीं है। मुहावरों की परतन्त्रता से लाभ उठाकर अनेक सोबोविनयो का निर्माण मुहावरों के आधार पर ही होता है। डॉ० मुक्तेद्वर तियारी अपने अपने शोध-प्रबन्ध— भोजपुरी सोबोविनयाँ एव मुहावरे' के अन्तर्गत इसी तथ्य की पुष्टि में निम्नोक्त उदाहरण प्रस्तुत कर विषय स्पष्ट करते हैं—

(क) 'घर के बगुआ बाहर गइसन—मुह सूति को चोचा भइसन ।'

(ख) 'गरजू मघनिया अपनी तेले नाचल बरे ।'

(ग) 'बाठ गढ़से चौवन होला, घात गढ़से दसर होला ।'

(घ) 'कोति खातिर गइली, मांगो गंवाइ के भइली ।'

(ङ) 'जे दोसरा खातिर बूझा रानेला, भगवान ओकेरा के भगाइ खोने सन ।'

इनमें पहली कहावत का तात्पर्य है कि "घर से बालक परवेश गया" उसका मुत्त सूखकर सूख कर चंचुयत् हो गया। इस कहावत में दो मुहावरे हैं 'बाहर गइसन' और 'मुह सूत कर चोचा भइसन' दूसरी कहावत का तात्पर्य है, 'मजदूरी से अपना ही खर्च करके किसी का कार्य करना।' इसमें 'अपने तेले नाचल' मुहावरा है, जिसका अर्थ होगा अपना ही खर्च करके नाचना। तीसरी कहावत का मतलब होगा कि लकड़ी गड़ने से चिकनी होती है, किन्तु बात गड़ने से कटुता बढ़ती है। इस कहावत में 'बाति गढ़न' मुहावरा है, जिसका तात्पर्य है 'बात बढ़ाना'। चौथी कहावत का मतलब है पुत्र कामना के लिए गई, किन्तु पति भी गया बैठी। इसमें 'कोल खातिर गइले' (पुत्र के लिए जाना) तथा मांग गया के आइल (पति गवाकर आना) ये दो मुहावरे हैं। इसी प्रकार पाचवी कहावत का अर्थ होगा—जो दूसरो का अहित चाहते हैं, भगवान् स्वयं उसको बच्य देते हैं। इस कहावत में भी 'कुआ खोनल' (अनिष्ट चाहता) और 'भगाइ खोनल' (बच्य देना) ये दो मुहावरे हैं।¹⁷⁸ इससे ज्ञात होता है कि लोकोक्तियों के निर्माण में मुहावरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि कहीं-कहीं इनका पारस्परिक भेद इतना सूक्ष्म होता है कि इनका पृथक्करण दुष्कर प्रतीत होता है। डॉ० सरोज अप्पावल का कथन उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि कहावतों और मुहावरों का यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि प्रायः कहावतों को मुहावरे और मुहावरों को कहावतों समझ लिया जाता है। विभिन्न कहावत-कोशों में कहावतों के साथ मुहावरे और 'मुहावरा-कोशों' में मुहावरों के साथ कहावतें भी सम्मिलित कर दी गई हैं।¹⁷⁹ किन्तु मूलतः लोकोक्तियाँ और मुहावरे अपना पृथक्-पृथक् अस्तित्व रखते हैं। पर्याप्त साम्य होने पर भी वस्तुतः इनमें पारस्परिक अन्तर होता है। इनकी पारस्परिक भिन्नता के अनेक ऐसे आधार हैं, जिनके द्वारा इनमें अभेद-स्थापन के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ मान्य

विद्वानों के मत प्रस्तुत हैं—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त की दार्शनिक विचारणी में मुहावरे वाक्य के सूक्ष्म शरीर हैं और स्थूल शरीर के बिना उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती परन्तु लोकोक्ति वाक्य-समाज (भाषा) के प्रामाणिक व्यक्ति हैं जिनकी व्यक्तित्व ही उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण होता है, जहाँ-कहीं और जिस किसी के पास बैठे, उनकी तूती बोलने लगे।¹⁸⁰ बाबू गुलाबराय के मत में लोकोक्ति का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, जबकि मुहावरा परतन्त्र है—'कहावत में एक पूर्ण सत्य या विचार की पूरी अभिव्यक्ति हो जाती है। वह पूरे वाक्य का अंश नहीं बनता वरन् एक स्वतन्त्र वाक्य होता है। मुहावरा स्वतन्त्र नहीं होता, वह किसी वाक्य में रखे जाने का मुहताज रहता है। 'तेरे पांव पसारिए, जेती लाबी सौर', 'ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है', 'ये कहावतें हैं, लेकिन 'टेढ़ी खीर', 'पापड बेतना', 'दांतो तले उगली देना', 'दांत खट्टे करना', ये मुहावरे हैं।¹⁸¹

श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा 'दिनकर' इस सम्बन्ध में कहते हैं कि दोनों में बड़ा अन्तर है, दोनों को एक समझना भूल है। (अ) 'हाथ पाव भारना'। (ब) 'देनी पड़े बुनाई, घटा बसाए सूत'। (अ) एक मुहावरा है, अतएव वाक्यांश है। (ब) एक लोकोक्ति है और वाक्य है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है और लोकोक्ति का स्वतन्त्र रूप से। मुहावरा वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है और लोकोक्ति किसी बात के समर्थन के लिए प्रयुक्त होती है।¹⁸² श्री 'दिनकर' के प्रस्तुत विवेचन का अन्तिम अंश कि मात्र मुहावरा ही वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करता है तथा लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन के लिए होता है, आपत्तिजनक है। वस्तुतः दोनों ही भगिमापूर्ण विधान कर वैचित्र्य की सृष्टि करते हैं। लोकोक्ति के द्वारा भी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उसके प्रयोग का प्रश्न है, उन्होंने मात्र समर्थन के रूप में ही लोकोक्ति का प्रयोग स्वीकार किया है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के विरोध आदि के लिए भी होता है। लोकोक्ति के प्रयोग की पोषण, शिक्षण, आलोचन आदि दृष्टिपूर्व विवेचित हैं। यहाँ मात्र इतना कहना आवश्यक है कि लोकोक्ति मात्र को प्रयोग की दृष्टि से 'किसी बात के समर्थन के रूप में' मानना अव्याप्ति दोष से युक्त होगा।

श्री रामस्वरूप त्रिपाठी का मन्तव्य श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा 'दिनकर' के कथन से मिलता-जुलता है। उनके अनुसार—मुहावरा वाक्य का अंश होता है। वह स्वतन्त्र रूप से व्यवहार में नहीं लिया जा सकता। पर कहावत एक स्वतन्त्र वाक्य होती है और अपना स्वतन्त्र अर्थ रखती है। किसी कथन को पुष्ट करने के लिए उदाहरण के तौर पर अलग से उसका प्रयोग किया जाता है।¹⁸³ यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि इस विवेचन में नवीनता का अभाव है, पूर्व विवेचित मन्तव्य से इस विवेचन की भिन्नता नहीं है।

कहावत-कोशकार ने लोकोक्ति एवं मुहावरे के पार्थक्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है—मुहावरा एक वाक्य-खण्ड अथवा वाक्यांश होता है, जबकि कहावत एक सम्पूर्ण तथा स्वतन्त्र सामासिक सूत्र वाक्य। कहावत में एक पूर्ण सत्य अथवा विचार की अभिव्यक्ति

होती है, पर मुहावरे में ऐसा नहीं होता। मुहावरा किसी भाषा में एक साक्षणिक प्रयोग होता है। कोई भी मुहावरा जब तक किसी वाक्य में स्थान नहीं पाता, तब तक यह लग-भग निरर्थक होता है। मुहावरे की सबसे बड़ी पहचान है—उसका प्राय. 'ना' प्रत्ययान्त होना। अधिकांश मुहावरे त्रिया की तरह 'ना' प्रत्ययान्त होते हैं और इनसे किसी कार्य या व्यापार का बोध होता है।¹⁸⁴ अपने विवेचन को विस्तार प्रदान करते हुए आगे वे लिखते हैं—कुछ मुहावरेदार वाक्य भी ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कथावर्तों की तरह होता है। इनके विषय में जल्द निर्णय कर पाना कठिन होता है कि ये सचमुच कथावर्त हैं या मुहावरेदार वाक्य। यथा, 'भले घर में धन देलउ (मुज० 2) एक मुहावरेदार वाक्य है, जिसमें 'भले घर में धन देहन।' (भले घर में धान देना) एक मुहावरा है, जिसका मानी है—किसी जबरदस्त व्यक्ति से उलझना। गो० तुलसीदास ने भी इसका प्रयोग मुहावरे के रूप में किया है—'भले भयन अब धान दोग्हा।' इस मुहावरे वाक्य का प्रयोग अक्सर कथावर्त के रूप में भी होता है।¹⁸⁵ वस्तुतः मुहावरा होने के कारण कथावर्त के रूप में इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता। कथावर्त-कोशकार का यह कथन कि मुहावरा साक्षणिक प्रयोगमात्र है, इसलिए अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि मुहावरो में व्यंग्यात्मकता का भी प्राधान्य होता है। इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों में भी व्यंग्यात्मकता के साथ-साथ निरूढा लक्षणा भी कार्य करती है, अतः मुहावरे को साक्षणिक प्रयोग मात्र स्वीकार करके इनका भेद-स्थापन नहीं हो पाता।

डॉ० प्रेम नारायण शुक्ल के दृष्टिकोण के अनुसार मुहावरो की भाँति लोकोक्तियाँ भी भाषा और भाव-सौन्दर्य की सृष्टि करती हैं। इन दोनों में अन्तर यह है कि मुहावरो में साक्षणिक अर्थ लिया जाता है और लोकोक्ति के पीछे कोई घटना होती है, जिसके द्वारा प्रस्तुत विषय का समर्थन किया जाता है।¹⁸⁶ कहना न होगा कि उक्त कथन में डॉ० शुक्ल लोकोक्ति एवं मुहावरे के भेद को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। इसका पुष्ट प्रमाण यह है कि इन्होंने मुहावरो की सूची में—'बालू माहि तेल नहि निकसत काहू विधि' तथा 'गंगा उलटि फरि फरि जमुना माहूँ आणि' जैसे कथावर्तों के उदाहरणों को भी उसमें सम्मिलित कर दिया है। अतः शुक्ल जी का प्रस्तुत विवेचन इस दृष्टि से अपूर्ण ही कहा जा सकता है।

डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा द्वारा लोकोक्ति एवं मुहावरे के साम्य-वैषम्य-निरूपण में अधोलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं—

वाक् पद्धतियाँ (मुहावरे)

(1) व्यजना रुद्धियाँ हैं। ये अभिव्यक्ति को बल प्रदान करती हैं। इनका प्रयोगान्तर्गत रूप-परिवर्तन सम्भव है।

(2) खण्ड वाक्य अपूर्ण विचार की बाहिका।

लोकोक्तियाँ

चिरकाल के अनुभवों और गहन विचारों की निष्कर्षात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं। ये अपरिवर्तनीय हैं।

सक्षिप्त वाक्य तथा सम्पूर्ण विचार-वाहिका।

- | | |
|--|---|
| (3) भाव को हृदयगम कराने में सहायक
अप्रस्तुत विधान के समान | तर्क को प्रमाण प्रदान कर अन्तिम
व्यवस्था |
| (4) भाषा की शृंगार-मञ्जूषा | एक निर्णय की उद्घोषिका |
| (5) वाणी को चित्र तथा चित्र को सजी-
वता देने वाली | लोक-मनीषा की सग्राहिका |
| (6) गद्य गरिमा से युक्त | सतत उद्धत उद्धरण काव्य बीज-
मण्डित |

इनके अतिरिक्त इनमें कुछ साम्य भी है, यथा—सक्षिप्ति, सुस्पष्टता, कुशाग्रता, विदग्धता आदि जो वाक् पद्धतियों और लोकोक्ति में समान रूप से पाई जाने वाली विशेषताएँ हैं।¹⁸⁷ डॉ० शर्मा ने अपने इस विवेचन में लोकोक्ति एवं मुहावरे की पृथक्ता के कुछ आधार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु यदि इन आधारों को वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया जाता, तो उनका यह प्रतिपादन स्थिर एवं मान्य हो सकता था, जबकि इस विवेचन में भी अपूर्णता के दर्शन हो जाते हैं, यथा—अंतिम आधार ही लीजिए—मुहावरे जहाँ गद्य-गरिमा से युक्त होते हैं, वहाँ, लोकोक्तियों गद्य एवं पद्यबद्ध दोनों ही रूपों में प्राप्त होती हैं। फिर भी डॉ० शर्मा का यह विवेचन इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन जाता है कि इन्होंने लोकोक्ति एवं मुहावरे में परस्पर भेद-स्थापित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करने का प्रयत्न किया है।

डॉ० भोलानाथ तिवारी इन दोनों के परस्पर वैषम्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं—मुहावरा वाक्य में बिल्कुल मिल जाता है, किन्तु लोकोक्ति को अलग सत्ता रहती है। इसका कारण यह है कि अर्थ की दृष्टि से लोकोक्ति अपने आप में—सूत्र रूप में ही सही—पूर्ण होती है, किन्तु मुहावरे में यह बात नहीं होती। उसे अन्य शब्दों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही मुहावरा हमारा अभिव्यक्ति का अंग होता है, किन्तु लोकोक्ति उस रूप में अंग नहीं होती। उससे प्रायः किसी बात का समर्थन या खण्डन आदि ही किया जाता है। इन अन्तरो के बावजूद कभी कभी दोनों एक दूसरे के पर्याप्त निवृत्त होते हैं और कभी-कभी तो लोकोक्तियों का क्रिया आदि जोड़कर मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। जैसे 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' करना या 'आँखें कहीं ओर दित कहीं ओर होना' आदि।¹⁸⁸

अलंकार एवं शब्दशक्ति के आधार पर श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने दोनों में पायेंवय इस प्रकार स्थापित किया है—'सम्पूर्ण कहावती का अन्तर्भाव लोकोक्ति अलंकार में ही जाता है। किन्तु मुहावरो के पक्ष में यह नियम लागू नहीं होता। मुहावरे सश्लेषण और व्यञ्जना पर आश्रित हैं, अतएव अलंकार मुहावरो में आ जाते हैं। शब्दालंकार भी मुहावरो में मिलते हैं किन्तु कहावती में उनका आधिक्य पाया जाता है। स्वभावोक्ति, सन्निह तथा श्लोकोक्ति आदि अलंकारों का प्राचुर्य देखने को मिलता है।¹⁸⁹ अलंकारों की प्रचुरता लोकोक्तियों के अन्तर्गत प्राप्त होती है, अतः लोकोक्तिमात्र की 'लोकोक्ति अलंकार' में अन्तर्भूत करना न्यायोचित नहीं है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों में अलंकार-

प्राचुर्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपाध्याय जी ने मुहावरों को लक्षणा व्यञ्जना पर आश्रित माना है, किन्तु मुहावरों की भाँति लोकोक्तियों में भी उभय शब्दशक्तियों का कार्य-व्यापार अमन्द गति से चलता है।

श्री कन्हैयालाल सहल इस सम्बन्ध में अपने मत की स्थापना करते हुए लिखते हैं— कहावत और मुहावरे में एक अन्य प्रमुख अन्तर है। कहावतों को 'अनुभव की दुर्हिता' कहा गया और अनुभव की समानता दुनिया के प्रत्येक देश में देखने को मिलेगी। यही कारण है कि एक देश की अनेक कहावतें दूसरे देश की कहावतों से बहुत कुछ मिल जाती हैं। कभी-कभी तो बहुत सी कहावतें परस्पर अनूदित सी जान पड़ती हैं, किन्तु मुहावरों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता।¹⁹⁰

उपर्युक्त मन्तव्यों का सार इस प्रकार है—

- (क) लोकोक्ति पूर्ण वाक्य का अंश न बनकर स्वतन्त्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्याशमात्र होता है तथा स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त न होकर वह परतन्त्र होता है।
- (ख) लोकोक्ति का स्वरूप प्रयोग-काल में प्रायः अपरिवर्तनीय होता है, जबकि मुहावरे के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
- (ग) लोकोक्ति का प्रयोग खण्डन-मण्डन-शिक्षण आदि के रूप में होता है, जबकि मुहावरे के प्रयोग का प्रयोजन मात्र वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर उसे सार्थकता प्रदान करना है। मुहावरे का स्वतन्त्र प्रयोजन लोकोक्ति की भाँति नहीं होता।
- (घ) अनेक लोकोक्तियों के अन्तर्गत मुहावरे समाविष्ट होते हैं, जबकि किसी मुहावरे में लोकोक्तियों का अन्तर्भाव नहीं होता।
- (ङ) कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात् उनको परस्पर पृथक् करना दुष्कर हो जाता है।
- (च) लोकोक्ति में किसी पूर्ण विचार, सत्य अथवा मानवीय अनुभव की सशक्त अभिव्यक्ति होती है, जबकि मुहावरे में किसी भाव, दशा, श्रिया, चेष्टा आदि का ही प्रदर्शन अभीष्ट होता है।
- (छ) मुहावरे का लाक्षणिक एवं ध्वन्यात्मक अर्थ ग्रहण किया जाना आवश्यक होता है, जबकि उपदेशप्रधान, नीति-शिक्षा आदि से सम्बन्धित अभिधा-प्रधान लोकोक्ति के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- (ज) कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति का अन्तर्भाव 'लोकोक्ति अलंकार' के अन्तर्गत किया है, जबकि मुहावरों को किसी अलंकार विशेष में परिवर्द्ध नहीं किया गया, यद्यपि लोकोक्तियों एवं मुहावरों में अनेक सम्बन्धकारो एवं अर्थ-लंकारो के सुष्ठु प्रयोग प्राप्त होते हैं।
- (झ) लोकोक्तियाँ अनुभव की दुर्हिता होने के कारण यत्किञ्चित् भेद से विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में प्रचलित हैं, अतः इनका एक भाषा से दूसरी

भाषा में सुगमतापूर्वक अनुवाद किया जा सकता है, परन्तु मुहावरों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता ।

(अ) इन दोनों में एक प्रमुख अन्तर यह भी है कि 'मुहावरा' प्रायः 'ना' प्रत्ययान्त होता है और लोकोक्ति में क्रिया का पूर्ण स्वरूप विद्यमान रहता है ।

लोकोक्ति एवं मुहावरों के विवेच्य वैषम्य को स्पष्टता एवं स्थिरता प्रदान करने लिए लोकोक्ति एवं मुहावरों से सम्बन्धित विषय पर शोध-कार्य करने वाले अन्य शोध-त्राओं के तत्सम्बन्धी प्रतिपादन का अवलोकन आवश्यक है । प्रायः इन समस्त शोध-त्राओं ने विभिन्न नियमों के आधार पर इनमें परस्पर भेद स्थापित करने का प्रयत्न या है । इन्होंने रूपात्मकता, अर्थपरकता, उपयोगिता, प्रयोगात्मकता तथा शैली आदि दृष्टि से लोकोक्ति एवं मुहावरों के परस्पर भेद को स्पष्ट किया है । डॉ० मुक्तेश्वर शारी 'बैसुय' ने 'भोजपुरी लोकोक्तियाँ तथा मुहावरें' नामक शोध-प्रबंध में तीन नियमों के आधार पर, डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा ने 'मूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अर्थ' में चार, डॉ० छोटे लाल द्विवेदी ने 'हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियों का सांस्कृतिक अर्थ' में पाँच, डॉ० रमेश चन्द्र ने 'कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अर्थ' में दस तथा डॉ० सरोज अग्रवाल ने 'भक्तिकालीन ब्रज साहित्य में मुहावरें' में अपने शोध-प्रबंध में षोडश नियमों के आधार पर यह भेद स्थापित किया है । सरोज अग्रवाल के ये आधार हैं—रूप, संरचना, प्रत्यय, शब्द-योजना, समावेश रूप, अर्थ, उद्देश्य-विधेय, शब्द-शक्ति, शैली, अलंकार, निर्माण, क्षेत्र (देश), अनुवाद, उपयोग तथा नीति तत्त्व । इनमें कुछ आधार ऐसे हैं, जिनका कुछ प्रमुख आधारों में भी हो सकता है, यथा—प्रथम आधार रूपात्मकता अथवा संरचना को लिया जा सकता है । अनेक प्रारम्भिक आधार इसमें अन्तर्भूत हो सकते हैं, अतः कुछ प्रमुख आधारों पर इनका वैषम्य प्रदर्शित सुगमतापूर्वक सम्भव है ।

रूपात्मकता अथवा शाब्दिक कलेवर की दृष्टि से लोकोक्ति एवं मुहावरों में मूल-भेद यह है कि कहावतें मुहावरों की तुलना में बृहत्तर होती हैं डॉ० ओम्प्रकाश के शब्दों में लोकोक्ति और मुहावरों में सबसे बड़ा अन्तर तो उनके शाब्दिक कलेवर का है । अंग्रेजी शब्दों में प्रायः सर्वत्र लोकोक्ति को वाक्य और मुहावरा के खण्ड वाक्य अथवा पद कहा गया है ।¹⁹¹ उदाहरणार्थ 'अधिक मिठाई माँ कीरा परत है' लोकोक्ति में वाक्य की स्पष्टता है, किन्तु 'नौ हुई स्यारह हीब' या 'भार खाय' मुहावरों में केवल वाक्य का ही प्रयोग किया गया है । इससे प्रकट है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है लोकोक्ति एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र या सूत्र वाक्य होती है । मुहावरों की संरचना में कम दो या अधिक पदों का होना अनिवार्य है । अधिकांशतः मुहावरों में सज्ञा, सवनाम, क्रिया विशेषण, कृदन्त, अव्यय आदि पदों के साथ क्रियापद के योग से बनते हैं, कहावतों की संरचना में अनेक पद होते हैं । वे समास शैली में पूर्ण वाक्य हैं । अनेक में एक से अधिक वाक्य भी पाए जाते हैं ।¹⁹²

लोकोक्ति एव मुहावरे की रूपात्मकता के परिवर्तन के विषय में हरिऔध जी का कथन है कि कहावतो का रूप निश्चित है और उनके शब्द प्रायः निश्चित रूप में ही बोले जाते हैं।¹⁹³ इधर डॉ० सरोज अग्रवाल लिखती हैं कि मुहावरो की शब्द योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अवाञ्छनीय है। शब्द न्यूनाधिक्य या शब्द परिवर्तन से उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है। कहावतो के शब्दों के हेरफेर से उनका रूप नष्ट नहीं होता।¹⁹⁴ इसके विपरीत डॉ० रमेश चन्द्र का मत है कि कहावत का वाक्य प्रायः ज्यों का त्यों रहना है, अधिक से अधिक कभी-कभी कोई भले ही आगे-पीछे रख दिया जाय या कम-बढ़ती कर दिया जाय, किन्तु सदैव अपने उसी रूप में बोली जाती हैं, किन्तु मुहावरो में ऐसी बात नहीं पाई जाती। वे काल, पुरुष, वचन और व्याकरण के अपेक्षित नियमों के साथ साथ बदलते रहते हैं, यथा—घूरे में पामरो गाड़ियो—के स्थान पर—घूरे में पामरो गड़ि गयो, घूरे में पामरि गड़ि विगे, घूरे में पामरो गाड़ि दूगो। आदि कहावतो में इस प्रकार का रूप परिवर्तन करने से उनकी अर्थ बाधगम्यता नष्ट हो जायगी। इसलिए कहावतो में रूप परिवर्तन नहीं होता।¹⁹⁵ परस्पर विरोधी मन्तव्यों को पढ़कर सन्देह उत्पन्न होता है कि इनमें रूप की दृष्टि से परिवर्तन होता है अथवा नहीं? वस्तुतः उपर्युक्त कथन में मुहावरो का जो परिवर्तन बताया गया है उससे मुहावरे के मूल स्वरूप को क्षति नहीं पहुँचती, मान लिया ही अशत परिवर्तितन हुई है। जैसे एव मुहावरा है—'पेट में घूहे दौड़ना'। इस मुहावरे को वाक्य में वर्तमानकालिक के रूप में प्रयोग करते हुए इस प्रकार भी प्रयोग में ला सकते हैं कि 'पेट में घूहे दौड़ रहे हैं', किन्तु इससे मूल स्वरूप नष्ट नहीं होगा, किन्तु यदि दौड़ने की क्रिया के स्थान पर चलने या भागने की क्रिया का भी प्रयोग करेंगे, तो मुहावरा नष्ट हो जाएगा। जहाँ तक लोकोक्तियों के स्वरूप-परिवर्तन का प्रश्न है निस्सन्देह सुप्रसिद्ध लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्यतः उसका यथायत् ही प्रयोग करते हैं यथा—'अन्न के अगे गाँठ के घूरे', 'अध जल गगरी छनकत जाय', 'मिया की दौड़ मरिजत तक', 'लाए घना रहे घना' आदि लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए यकता दाका अपरिचित रूप में ही प्रयोग करता है, किन्तु जब कोई साहित्यकार अपने साहित्य में इन्हें स्थान देना है तो छन्द-रचना आदि की दृष्टि में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाता है, किन्तु लोकोक्ति का दाँचा अथवा मूल रूप नष्ट न हो कर घँगा ही बना रहता है। उदाहरणार्थ एक लोकोक्ति है—'विष का वृक्ष भी लगाकर नहीं काटा जाता', जिसका अभिप्राय है—'पाप-पाप के बाद दुष्ट में दुष्ट मनुष्य को भी हानि नहीं पहुँचाई जाती। तुमको ने इस का प्रयोग इस प्रकार किया है—

पाप के रूपानु स्थान-दान को न मारिए,

और काटिए न भाव । विष टू को कल माइकं ।¹⁹⁶

इस प्रकार का मूल में अपने शब्दों में इस प्रकार का व्यञ्जन किया है—

'घोले ही बिरवा लगाइने काटन माहि बहोरी ।¹⁹⁷

नष्ट है कि इनमें साहित्य परिवर्तन होकर भी मूल भाव में कोई अन्तर नहीं आया है।

इस प्रकार का शब्दों में मुहावरो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा

सकता। मुहावरो के पदो और उसकी योजना मे किया हुआ किसी प्रकार का परिवर्तन मुहावरो के अभिप्रेत अर्थ को नष्ट कर देता है। जैसे 'काठ कौ उल्लू', 'बिना घीऊ के फुलका', 'गोबर गणेश हैबो' के स्थान पर 'काठ उल्लू', 'घीऊ के फुलका चुपरिवो', 'गोबर को गणेश हैबो' प्रयोग करें तो शब्दो न्यूनाधिक्य हो जाएगा। इससे मुहावरो की मुहावरेदानी और अर्थ-सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा। किन्तु कहावतो मे पद-क्रम-विपर्यय, पद-परिवर्तन, पद-क्रम-भंग एव शब्दो का न्यूनाधिक्य हो सकता है। जैसे, 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' यहा 'अढ़ाई कोस' क्रिया विशेषण 'चले' क्रिया के बाद प्रयुक्त हुआ है। 'नाच कूद बादरा टूक जोगना खाई' इस कहावत मे 'बादरा' कर्त्ता नाच कूद क्रिया के बाद और 'टूक' कर्म 'जोगना' कर्त्ता के पूर्व प्रयुक्त हुआ है। 'होंग की कोथरी मे बासु ई बासु' इस कहावत मे 'होति ए' क्रिया का लोप है।¹⁹⁸

लोकोक्ति और मुहावरे मे एक प्रमुख अन्तर यह है कि 'मुहावरा' प्राय 'ना' प्रत्ययान्त होता है और लोकोक्ति मे क्रिया का पूर्ण स्वरूप विद्यमान होता है। डॉ० छोटे लाल द्विवेदी लिखते हैं—हिन्दी मे प्राय नान्त पद वाले वाक्य-खण्ड मुहावरे होते हैं, यथा—'आख आना, आल उठाना, बात बनाना' आदि। इस आधार पर भी मुहावरो और लोकोक्तियो का अन्तर स्पष्ट है, यद्यपि दो-चार नान्त पद वाली लोकोक्तिया भी मिल जाती हैं, जैसे 'कम खाना, गमखाना'।¹⁹⁹ अन्वेषण से 'ना' प्रत्ययान्त अन्य लोकोक्तिया भी उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे—

(क) ऊधो का न लेना न माधो का देना।

(ख) कम खा लेना पण कम कायदे न रखना।²⁰⁰

लोकोक्तियो मे उद्देश्य और विधेय वा पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ समझने के लिए प्रसंग आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु मुहावरो मे उद्देश्य-विधेय का विधान स्पष्टत नहीं होता, यही कारण है कि इनका अर्थ समझने के लिए परिस्थिति, प्रसंग और प्रयोजन को समझना नितान्त आवश्यक है।²⁰¹ किसी भी वाक्य मे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य एव विधेय का होना आवश्यक है। परिवेश के आधार पर कहावत एक वाक्य के रूप मे अपने अर्थ गौरव को प्रस्फुटित करती है जबकि मुहावरा वाक्य मे प्रयुक्त होकर अपनी अर्थ गरिमा को निर्भरित करता है।²⁰² लोकोक्तियो मे अर्थ का अध्याहार भी विद्यमान होता है। इस विषय मे डॉ०सहल लिखते हैं—स्वल्पाक्षरता श्रेष्ठ कहावत का गुण है। इसलिए जिन कहावतो मे न्यूनतम शब्दो के प्रयोग के द्वारा अधिकतम अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वे कहावतों श्रेष्ठ समझी जाती हैं। अनेक कहावतें ऐसी होती हैं जिनमे अर्थ का अध्याहार करना पडता है। यह अर्थ का अध्याहार राजस्थानी लोकोक्ति मे अनेक रूपो मे उपलब्ध होता है। अध्याहार के विविध रूप—

(क) उद्देश्य (Subject) का अध्याहार

(अ) 'ढल्यो घाटी, हुयो माटी'।

अर्थात् जब भोजन कठ की घाटी को पार कर गया, तो मिट्टी हो गया,

क्योंकि स्वाद तो जिब्हा में ही है। इसमें भोजन का अध्याहार है।

(स) विधेय (Predicate) का अध्याहार

(अ) 'राजा को दान, प्रजा को स्नान'।

अर्थात् राजा दान करके और प्रजा स्नान करके ही पुण्य लाभ करती है, क्योंकि दान देने की शक्ति सामान्य प्रजा जन में नहीं होती।²⁰³

यहा लोकोक्ति के बाद में 'पुण्याजित करती है' का अनुवर्तन अथवा अध्याहार करने से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि लोकोक्तियों में कही उद्देश्य का और कही विधेय का अध्याहार रहता है, जबकि मुहावरे में उद्देश्य-विधान के स्पष्टतः अभाव के कारण उसके प्रसंगादि का ज्ञान आवश्यक है। मुहावरे में उद्देश्य (कर्त्ता) का तो प्रायः अभाव ही रहता है, किन्तु कही-कही कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त होने पर भी उसके प्रयोग के लिए तदनुकूल वाक्य-रचना आदि अपेक्षित होती है, यथा—

(क) तुम अघे की यष्टि हमारी। बनो न हा गान्धारी। (मैथिलीशरण गुप्त)

(ख) अघों में काना राजा।²⁰⁴

यहा प्रथम मुहावरे 'अघे की यष्टि' के प्रयोग के लिए 'अंघे' शब्द से पूर्व उद्देश्य 'तुम' शब्द का तथा बाद में 'न बनो' विज्ञेय का अनुवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार द्वितीय सज्ञार्थक मुहावरे 'अघों में काना राजा' के साथ वाक्य-रचना का प्रयोग नितान्त आवश्यक है, तभी वह भाव-भंगिमा लाने में समर्थ हो सकता है।

अर्थ प्रकाशन की दृष्टि से कहावतें प्रायः किसी तथ्य या ज्ञान के पोषण, शिक्षण, नीति, आलोचना तथा सूचन को स्पष्ट करती हैं, परन्तु मुहावरो का प्रयोग वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्य से अधिक समृद्ध, उत्कृष्ट, प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी एवं ओजपूर्ण बनाने के लिए होता है, जैसे—आजु तो राधा चाद कौ टकृ लति रई ऐ।²⁰⁵ डॉ० छोटे लाल द्विवेदी भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं—उप-योगिता की दृष्टि से मुहावरे का प्रयोग अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्य से अधिक रोचक, सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बना देता है, किन्तु लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, पुष्टीकरण, आलोचना, विरोध, खण्डन जैसे उद्देश्यों के लिए होता है। 'राम नाम जपना, पराया माल अपना' लोकोक्ति ढोगियो के आचरण की आलोचना ही करती है परन्तु 'जले पं नमक छिड़कना' मुहावरा वाक्य में जमकर उसे रोचक और प्रभावपूर्ण बना देता है।²⁰⁶

डॉ० सरोज अग्रवाल ने लोकोक्ति एवं मुहावरे में भेद-स्थापनार्थ अपने विवेचन में दो अन्य स्थापनाएँ की हैं, वे हैं—

(क) मुहावरों का प्रायः निर्माण आवेशपूर्ण मन स्थिति में होता है, क्योंकि उन का सम्बन्ध मानव-प्रकृति से है; जबकि कहावतों का निर्माण जन मानस के सामान्य अनुभवों से होता है।

(ख) अधिकांशतः कहावतों के मूल में कोई न कोई कथा छिपी रहती है, किन्तु मुहावरो के मूल में यह अनिवार्य नहीं, यद्यपि कुछ मुहावरे प्राचीन कथाओं के आधार

पर बने हैं।²⁰⁷ इनमें प्रथम वा वर्णन अप्रत्यक्षत पूर्व विवेचन में हो गया है कि प्रयोजन की दृष्टि से मुहावरे अर्थ-व्यवहार उत्पन्न करते हैं, अतः इनका प्रयोग सामान्य मन-स्थिति से हट कर होता है, इधर लोकोक्ति सामान्य अनुभवों पर आधारित होने के कारण समर्थन-सूचन आदि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती है। डॉ० अग्रवाल की यह स्थापना कि बहावतो वे मूल में कथा छिपी रहती है, भी महत्त्वपूर्ण है। गुजराती की एक लोकोक्ति 'अग्ने-अग्ने विप्र जटालो ते जोगी, अग्ने बच्चे नो जे कन्द ते आरोगे आनन्द' के पीछे रोचक कथा है—एक गाव में एक ब्राह्मण और एक जोगी भोल मागते-भागते एक घर के सामने आए। घरवाली ने दोनों को मिलाकर एक जड़मूल के साथ पूरा ईल का दंडा दिया और कहा कि आपस में बांट लो। ईल लेकर दोनों चल दिए, पर बाटते समय दोनों में झगडा हुआ। ऊपर का पत्ते वाला भाग और जड़मूल किसको मिलना चाहिए और बीच वाला रसदार भाग किसको? कोई निर्णय नहीं हो पाता था। इतने में वहां से एक बनिया जा रहा था। उसको दोनों ने बुलाया और उसको पच बनाकर झगडा सुलझाने को कहा। बनिये ने इष्ट दण्ड हाथ में लिया और कहा—“देखिए, शास्त्र में लिखा है कि अग्ने-अग्ने विप्र होता है। तब यह ईल का छोटी वाला भाग ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण को देता हू। जोगी के जटाए होती हैं, तो नीचे का मूलियो वाला भाग जटिल समझना चाहिए। वह मैं जटा वाले जोगी को देता हू। अब जो बीच वाला कन्दयुक्त भाग है वह मेरे पत्ते का गया, वह मैं ले जाता हू।²⁰⁸ इसी प्रकार हमारी कामनाएं हमेशा पूरी नहीं होती। विषयसे सम्बन्धित अग्नेजी की कहावत—*There's many a slip twixt the cup and the lip* के पीछे एक कथा है—अरब देश में पुराने जमाने में गुलामी की प्रथा थी। एक मालिक अपने गुलामी के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार करता था। उसने उनको अपने अगूरी बाग में काम में लगा दिया। वह जुल्म-जबरदस्ती तथा मारपीट से उनसे काम करवा लेता था। पीड़ितों के मुँह से शापवाणी निकली—“इतनी ज़ोरों जबरदस्ती से तुम यह अगूर बाग हमसे बनवा ले रहे हो, लेकिन इन अगूरों से बनी शराब तुम्हारे मुँह में नहीं पड़ेगी।” यह सुनकर मालिक चौंका उठा। आगे चल कर जब पहली भट्टी की शराब तैयार हुई तब उसने उसी गुलाम से पहला प्याला भरवाया और व्यग्य से कहा, ‘देखो बच्चू, अब तो मैं शराब पीने वाला हू। तेरा शाप विफल होगा। “तिस पर गुलाम ने कहा, ‘साहब, प्याला होठों तक जाने में काफी अडचनें हैं।’ इतने में वहां ऐसी खबर आ धमकी कि उस बगीचे में जगली सूअर घुस गए हैं। बगीचा पूरा चौपट न हो इसलिए मालिक ने भाला उठाया और वह फुर्ती से बगीचे की ओर चल पड़ा। पहला प्याला वैसा ही भरा पड़ा रहा। सूअर से लड़ते-लड़ते वह मारा गया और गुलाम की शापवाणी सही साबित हुई।²⁰⁹

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पाठ्यव्यय का एक प्रमुख आधार यह भी है कि अनुभव की दुहिता होने के कारण लोकोक्ति की अनुभव जन्य समानता सार्वदेशिक एवं सार्वभाषिक होती है, जबकि एक देश या भाषा के मुहावरे दूसरे देश या भाषा में नहीं मिलते। प्रत्येक देश, जाति, समाज एवं भाषा के मुहावरे भिन्न होते हैं तथा वे अपने-अपने क्षेत्र की

सूचना देते हैं, इसलिए विभिन्न भाषाओं के मुहावरों में पर्याप्त भेद पाया जाता है। डा० सहल का यह कथन सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है—अनुभव की समानता के कारण एक भाषा की कहावतों का दूसरी भाषा में अपेक्षतया सरलता से अनुवाद हो सकता है, किन्तु एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना टेढ़ी खीर है।²¹⁰ इसकी पुष्टि के लिए कुछ लोकोक्तियाँ प्रस्तुत हैं—चचल स्त्री से सम्बन्धित लोकोक्तियाँ देखिए—

चचल स्त्री की चाचल्यपूर्ण अस्थिर मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप उस पर अविश्वास प्रकट करते हुए उसके चरित्र के प्रति भी सन्देह किया गया है। श्वेतसपीयर एक नाटक में विशय सदर्म में लिखते हैं—चचलता। तेरा नाम स्त्री है—*Fraillty* ' thy name is women । एक पंजाबी की उक्ति है—“रन्ना चचल हारीआ, चचल कम्म करे। दिन डरन परछविआ, राती नदी तरे।” यहाँ ‘रन्ना’ सम्बोधन दुश्चरित्र स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाइला लोकोक्ति भी चेतावनी देती है—“नदी, नारी, शृगधारी, एइ तिने ना विश्वास करो।” अर्थात् नदी, बँल और स्त्री के चाचल्य से विश्वास करना बुद्धिमत्ता नहीं है। एक कन्नड की कहावत है कि चचल स्त्री का पाव अपने विस्तर पर नहीं ठहरता—“हादर गित्तिग कालु हासिगेय मेले निरुल्लु।” स्त्री की अविश्वसनीयता पर विदेशी भाषाओं की कहावतों में भी व्यंग्य कसा गया है। अंग्रेजी कहावत देखिए—*‘A whistling woman and crowing hen, neither fit for God, nor for men’* यह लोकोक्तिकार के अतिवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक अन्य कहावत में स्त्री को हवा और भाग्य की भाँति चचल बतकर परिवर्तनशील कहा है—*‘Women, wind and fortune are ever changing’* जर्मन की एक कहावत के अनुसार स्त्रियाँ अप्रैल मास की हवा की भाँति चचल एवं घोसा देने वाली होती हैं—*‘Weiber sind veranderlich wie April wether’* पुर्तगाली भी स्त्रियों का विश्वास करना नहीं चाहता—*‘Da mal mother te guardaeda boa nao fies nada’* अर्थात् युरो स्त्री से बचकर रह और अच्छी औरत का विश्वास न करें। डैनिश की एक उक्ति का भाव भी यही है। स्पैनिश की एक लोकोक्ति के अनुसार स्त्री और सरबूजे को ऊपर से पहचानना कठिन है—*‘Elmelon la muger malos son de conser’* इन्होंने स्त्रियों पर सख्त निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है—*‘Wepenen, Vrouwen, enboeken behoeven dagelijksche be handeling’* अर्थात् हृषिकारों, स्त्रियों तथा पुस्तकों पर प्रतिदिन नजर रखनी चाहिए। एक भोजपुरी उक्ति है—‘अरेलया गइल संभान किये, सोग कहिन कि हेराय मेले।’ अर्थात् मोई स्त्री बाहर शीघ्र करने गई, तो सोगा ने सोचा कि भाग गई। स्त्री के विषय में इतनी आशंका, ऐसा सहई का साबितनियाम है कि सहमा थोना या पाठक आश्चर्यचकित हो जाता है। यह स्त्री स्त्री में रहकर बटुनुती बन गई है—आग हमारी बल तुम्हारी, देखो लोगो केराकरी (हेराकरी)।’ पंजाबी की एक लोकोक्ति में भी यही आशय प्रकट किया गया है—*‘Varium et mutabile est femina’* एक और व्यंग्य वाण्य दमिए—‘तिरिया चरित न जाँ प्येय, सतय मारके सती होय।’ सम्राट की भी उक्ति है—‘स्त्रियश्चरितं

पुरषस्य भाग्य, देयो न जानाति कुतोः मनुष्यः ।' एक इतालियन लोकोक्ति देखिए—
'Donna si lagna si doule, donna, S'ammala quando la vuole.' अर्थात्
स्त्री द्रतनी ढोगी होती है कि जब चाहती है, उसे दुःख होता है, उसे दर्द होता है और वह
बीमार भी हो जाती है, चाहे जिस समय वह अपना रंग बदल सकती है। अपना काम
निकालने के लिए वह बहुरूपिया बनकर पुरुषों को आसानी से ठग लेती है।²¹¹ कहना
अनुचित न होगा स्त्री मात्र के विषय में उनकी यह धारणा अनिवादी और एकांगी दृष्टि
को परिचायक है, मध्ययुगीन कल्पना से सम्पृक्त है। उपर्युक्त वर्णन के द्वारा यहाँ मात्र
यह बताना अभीष्ट था कि अनुभव की समानता होने के कारण एक ही विषय से सवधित
लोकोक्तियाँ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो जाती हैं, किन्तु मुहावरो पर यह नियम
लागू नहीं होता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकोक्ति और मुहावरे
में पर्याप्त साम्य होने पर भी अल्पधिक वैषम्य है और दोनों में मूलतः स्पष्ट अन्तर है।
मात्र कुछ अपवादों को, जो उभयनिष्ठ उक्तियों के अन्तर्गत हैं, छोड़ दिया जाए तो
लोकोक्ति एवं मुहावरे स्पष्ट ही भिन्न-भिन्न रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसके अतिरिक्त
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उभयनिष्ठ उक्तियों का लोकोक्ति एवं मुहावरे—दोनों रूपों
में प्रयोग यत्किञ्चित् परिवर्तन के साथ ही किया जा सकता है, न कि अपने मूल रूप में।
उदाहरणार्थ कुछ मुहावरेदार प्रयोग देखिए—1. 'ऊल छोड़कर भाग चिचोरना',
2. 'एक पंथ दो काज होना', 3 'एक प्राण दो शरीर होना', 4. 'कुत्ते की पूँछ का लोधी न
होना' आदि।²¹² इनका लोकोक्ति के रूप में प्रयोग द्रष्टव्य है—

(1) (क) 'सूरदास प्रभु ऊल छोड़के चतुर चिचोरत भाग ।'
(ख) 'सूरदास प्रभु आक चिचोरत, छाड़ि ऊल की मूढ ।'²¹³

(2) (क) पीपल पूजन में चली, निगम बोध के घाट ।

पीपल पूजत पी मिले, एक पंथ दो काज ।²¹⁴

(ख) ज्ञान बुझाइ खवर दे आवहु, एक पंथ द्वे काज ।²¹⁵

(3) (क) 'एक प्राण बपु बोइ ।' (ख) 'एक प्राण द्वे देह' आदि ।²¹⁶

(4) (क) 'स्वान पूँछ कौऊ कोटिक लागे, सूधी कहू न करी' ।²¹⁷

(ख) 'सूधे होत न स्वान पूँछ ज्यों, पचि-पचि बढ मरे' ।²¹⁸

इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की उभयनिष्ठ उक्तियों का लोकोक्तियों एवं मुहावरो के
रूप में किञ्चित् परिवर्तन के साथ ही प्रयोग होता है। मुहावरे जहाँ अपूर्ण वाक्य के रूप
में प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतन्त्र एवं पूर्ण वाक्य के रूप में ही हुआ
है।

निष्कर्षतः रूपात्मकता, अर्थ-विधान, प्रयोजन और प्रयोग आदि निकषों के
आधार पर सिद्ध करने के अनन्तर कहा जा सकता है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में इतना
वैषम्य है कि वे एकरूप नहीं हो सकते। सुविधा की दृष्टि से इन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत
किया जा सकता है—

- (क) विशुद्ध लोकोक्ति—जो लोकोक्ति के निकष पर खरी उतरती है।
 (ख) विशुद्ध मुहावरे—जो मुहावरे के निकष पर खरे उतरते हैं।
 (ग) उभयनिष्ठ उक्तिया—जो अन्यत्र के आधार पर लोकोक्ति भी हो सकती हैं और मुहावरा भी।

लोकोक्ति एव मुहावरे का क्षेत्र

लोकोक्तियो एव मुहावरो का प्रयोग दो क्षेत्रो मे स्वीकृत है—(क) जनसाधारण, (ख) साहित्य। मानव जीवन की कोई ऐसी गतिविधि नहीं, जिसे इनके क्षेत्र से बाहर कहा जा सके। इनम मानव जीवन के सुख दुःख, हर्ष-विषाद, ईर्ष्या लोभ, रश्चि-अरुचि, प्रेम-विद्रोह, रीति-रिवाज, मनन-चिन्तन, आचार-विचार, आर्थिक, धार्मिक राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन—सभी की अभिव्यजना होती है। यही कारण है कि जहा इन्हें एक ओर लोक उ्याति प्राप्त होती है, वहा साहित्य मे भी पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलती है। डॉ० रवीन्द्र भ्रमर के अनुसार इनके व्यवहार से साहित्य को दुहरा लाभ होता है। एक तो उसमे लोकभाषा की मिठास आ जाती है, दूसरे लोकाभिव्यक्ति का सीधा पन।²¹⁹ डॉ० गया सिंह के शब्दो मे लोक प्रचलित उक्तियो—लोकोक्तियो, मुहावरो आदि के प्रयोग से अभिजात साहित्य की लोक तात्त्विक विशेषता मे वृद्धि होती है, साथ ही बोलचाल की अभिव्यक्ति विधि से सयोग होने से उसकी अभिव्यजना को लोकप्रियता सहजता और सम्प्रेषण्यता प्राप्त होती है।

लोकोक्तियो एव मुहावरो का क्षेत्र अतिविस्तृत है। लोकख्यात लोकोक्तियो एव मुहावरो को जहा लोक-साहित्य की विधा-विशेष के रूप मे प्रतिष्ठित स्थान मिला है, वहा शिष्ट अथवा अभिजातसाहित्य मे भी इन्हे गौरवपूर्ण पद से अलंकृत किया गया है, किन्तु अभिजात-साहित्य मे अभिनन्दित होकर भी लोकोक्तिया एव मुहावरे मूलत लोक साहित्य के ही अंग हैं। इनके क्षेत्र का सम्यग्ज्ञान करने के लिए लोक-साहित्य का ज्ञान आवश्यक है।

‘लोक साहित्य’, ‘लोक वार्ता’ (Folk lore) का अंग है। ‘लोकवार्ता’ शब्द अंग्रेजी के ‘फोक लोर’ पर्यायवाची पद के रूप मे प्रचलित है। हिन्दी मे इसके प्रयोग का श्रेय प्राय श्रीकृष्ण गुप्त एव डॉ० वामुदेव शरण अग्रवाल को है। डॉ० वामुदेव शरण अग्रवाल ने हिन्दी मे वैष्णवो के वार्ता-सम्बन्धी ग्रन्थो के अनुरूप फोक लोर का पर्याय ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’, ‘चौरासी वैष्णव की वार्ता’ आदि के आधार पर ‘लोक-वार्ता’ स्वीकार किया है। डॉ० सत्येन्द्र भी इस विचार से अपनी सहमति प्रकट करते हैं।²²⁰

लोक वार्ता विषयक वाटकिन के विचार से द्रष्टव्य हैं—लोकवार्ता बहुत दूर की या कोई बहुत प्राचीन वस्तु नहीं है, बल्कि वह हम लोगो के बीच का ही एक गतिशील एव जीवित सत्य है। कारण, यहा अतीत वर्तमान से ओर अशिक्षित समाज, उस समाज से कुछ बहना चाहता है, जो अपने मौलिक मौखिक एव लोबतान्त्रिक ससृष्ट के

मूल और प्रारम्भिक रूपों के मान से अपनी कलाओं की जड़ तक पहुंचना चाहता है और जिससे उसकी कलाओं के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश पड़ता है।²²¹

लोकवार्ता के सम्बन्ध में विचार करने वाले पाश्चात्य विचारकों में प्रमुख में रेड गोम्मे, फ्रेजर, लैंग्विस स्पेंस आदि हैं। इन विद्वानों ने लोकवार्ता के क्षेत्र में स्वरूप पर विचार करते हुए उसके अन्तर्गत उन समस्त अभिव्यक्तियों को स्थान दिया है, जिसमें आदिम मानव के अवशेषों के दर्शन अद्यावधि होते हैं।²²²

आधुनिक युग की एक मान्यता के अनुसार ससार की प्रत्येक जाति ने अपनी यात्रा का आरम्भ आदिम अवस्था या बर्बरावस्था से ही किया है। इनके अनुसार मनुष्य की दैवी उद्भावना या दिव्य महत्तायुक्त आरम्भ के विषय में अविश्वास करना मूर्खता का द्योतक है।²²³ इस मत के पक्षधरो का विश्वास है कि आधुनिक मानव की इस चिर-यात्रा के उपरान्त उपाजित सभ्यता के विकास के साथ ही कुछ तद्दुगीन अवशेष भी अवशिष्ट हैं, जिसके द्वारा उस आदिम लोक-प्रवृत्ति का अध्ययन भी 'लोक वार्ता' के अध्येता करते हैं, किन्तु उपर्युक्त मन्तव्य आप्त कथन या स्थिर मत नहीं बन सका है, इसके विपक्ष में भी अनेक विचारको ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक प्रतिपक्षीय मान्यता के आधार पर लोक वार्ता जिन अवशेषों का अध्ययन करती है वे (अवशेष) मूल आदिम मनुष्य के हैं, इस बात को निश्चय पूर्वक आज किसी भी शास्त्र अथवा विज्ञान को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरम्भिक आदिम मनुष्य इतना प्रागैतिहासिक है और मनुष्य के अनुमान के भी इतने परे है कि उसके सम्बन्ध में भी कुछ भी कहना अवैज्ञानिक समझा जाएगा।²²⁴

प्रत्येक वार्ता में स्पष्टतः दो बातें मिलती हैं—(1) कोई न कोई आधारभूत तथ्य तथा (2) इसका स्वरूप।²²⁵ तथ्य तो तथ्य है यथा सविता को ही लीजिए— सविता तो सविता ही है, किन्तु उसके स्वरूप-निर्धारणार्थ प्राकृतिक विज्ञान-वेत्ता के लिए जहां वह एक अग्नि पिण्ड है, क्योंकि उसको सविता का भौतिक स्वरूप ही अभिप्रेत है, वहां लोकवार्ताकार के लिए सविता इससे भिन्न भी बहुत कुछ है। यह सूर्य पुरुषवत् आचरणों को करता हुआ मोहासक्त भी हो जाता है। सूर्य प्रिय है और उसकी प्रियतमा उषा है। वह उस अपूर्व सुन्दरी तथा अनिष्ट धोवना उषा के सौन्दर्य-जाल में आवद्ध होकर उसकी आकर्षण शक्ति से आकर्षित होकर उसका पीछा करता है।²²⁷

लोकवार्ता का प्रतिपादन करते हुए चार्लट सोफिया बर्न ने अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला है। उनके आधार पर डॉ० सत्येन्द्र ने भी इस पर विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार 'लोकवार्ता' शब्द विशद अर्थ रखता है। इसके अन्तर्गत वह समस्त आचार-विचार की सम्पत्ति आ जाती है, जिसमें मानव का परम्परित रूप प्रत्यक्ष हो उठता है और जिसके स्रोत लोक-मानस होते हैं, वे लोक-मानस जिनमें परिमार्जन अथवा संस्कार की चेतना काम नहीं करती होती। लौकिक धार्मिक विद्वानों, धर्म गाथाएं तथा कथाएं, बहावतें, पहेलियाँ आदि सभी लोकवार्ता के अंग हैं।²²⁶ स्पष्ट है कि डॉ० सत्येन्द्र ने लोकवार्ता के अन्तर्गत मानव-जीवन के समस्त आचार-विचार, जो लोकोक्तियों आदि

82 : लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

के द्वारा अभिव्यक्त होने हैं, सन्निविष्ट किया है। 'लोकवार्ता' का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। डॉ० वामुदेव धरण अप्रवाल लिखते हैं—लोक में बसने वाला जन, जन की भूमि और भौतिक जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जन की सस्कृति—इन तीनों क्षेत्रों में लोक के पूरे ज्ञान का अन्तर्भाव होता है और लोकवार्ता का सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ है।²²⁸ 'लोकवार्ता' के अन्तर्गत समस्त विषयों के विभाजन का कार्य अनेक विद्वानों ने किया है इस दृष्टि से सोफिया वर्न का प्रयत्न महत्त्वपूर्ण है। उन्हींने लोकवार्ता के विषयों की तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। उनके इस वर्गीकरण को डॉ० सत्येन्द्र ने निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किया है—

- (1) लोक विश्वास एवं अन्ध परम्पराएँ, जो निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित हैं—(क) पृथ्वी और आकाश से; (ख) वनस्पति जगत् से; (ग) पशु-जगत् से; (घ) मानव से; (ङ) मनुष्य-निर्मित वस्तुओं से; (च) आत्मा तथा इसके जीवन से; (छ) परा-मानवी व्यक्तियों से; (ज) शकुनों-अपशकुनों, भविष्यवाणियों से; (झ) जादू-टोनों से; (ण) रोगों तथा स्थानों की कला से;

- (2) रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ—

(क) सामाजिक एवं राजनीतिक; (ख) व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, धर्म तथा उद्योग; (ग) तिथियाँ, व्रत तथा त्योहार; (घ) खेल कूद तथा मनोरंजन।

- (3) लोक-साहित्य—

(क) कहानियाँ—(अ) जो सच्ची मानकर कही जाती हैं, (आ) जो मनोरंजन के लिए होती हैं।

(ख) गीत सभी प्रकार के

(ग) कहावतें तथा पहेलियाँ

(घ) पद्यबद्ध कहावतें तथा स्थानीय कहावतें।²²⁹

डॉ० सत्येन्द्र ने लोक-साहित्य का स्वरूप निम्न प्रकार से निर्धारित किया है—

- (1) लोक वार्ता साहित्य—(क) धर्म गाथा साहित्य

(ख) साधारण लोक वार्ता साहित्य


- (2) लोक-साहित्य—(ग) ग्राम साहित्य

(घ) नागरिक साहित्य²³⁰


मानव ईश्वर की सबसे सुन्दर सृष्टि है। स्वभावतः मानव सामाजिक प्राणी है। उसके सम्बन्ध का पहला रूप कौटुम्बिक है। पुरुष > स्त्री > यौन > आकर्षण पति-पत्नीत्व > यौन > सभोग > सहवास > सहकार > सन्तान जन्म > मातृत्व > पितृत्व > पोषण—रक्षण = कुटुम्ब। इस कुटुम्ब में प्रत्येक प्रक्रिया और स्थिति के लिए कुछ विशेष आनुष्ठानिक प्रक्रियाएँ होने लगती हैं। कुटुम्ब-कुटुम्ब मिलते अथवा मानव-समूह मिलकर विविध सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो सामाजिक सस्कृति का जन्म होता है।

इस सामूहिक स्थिति की अपनी एक विशेष प्रकार की जीवन-यात्रा होती है, जिसे परिस्थितियों से, प्रकृति से, अपने ही कौटुम्बिक अवयवों से बाहरी दलों से सघर्ष करना पड़ता है। इन सबके साथ एक लोकवार्ता और अनुष्ठान प्रस्तुत हो जाता है।²³¹ मानव इस 'लोकवार्ता' का नियन्ता है। समस्त मानव समुदाय के मानवीय स्वरूप को तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम लोक-मानस, द्वितीय जन-मानस, तृतीय मुनि-मानस। लोक-मानस वह मानसिक स्थिति है जो आज आदिम मानव को परम्परा में है, उसी का अवशेष है। आज के सम्य समाज के मानसिक स्वरूप में इसे सबसे नीचे का घरातल माना जा सकता है। मुनि-मानस वह मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सम्यता के विकास के साथ-साथ उपाजित की है। यह आज के समाज के मानसिक स्वरूप का सबसे ऊँचा घरातल माना जा सकता है। मध्य की स्थिति जन-मानस की है। लोक-मानस से लोक-वार्ता का जन्म होता है। मुनि-मानस से दर्शन, शास्त्र, विज्ञान और उच्च कलाओं का। जन-मानस साधारण व्यवसायात्मक बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है।²³²


लोकवार्ताकार मानव ने इसका द्विविध निर्माण किया है— (क) लोककला-विलास तथा (ख) लोक वाणी-विलास के रूप में लोक कला-विलास के अन्तर्गत उत्पादन सम्बन्धी, सग्रह सम्बन्धी आदि वस्तु-पदार्थ आते हैं। डॉ० सत्येन्द्र ने शरीर विलास में उन आनुष्ठानिक कलाओं का जन्म स्वीकार किया है जो चित्र, मूर्ति, नाट्य आदि से सम्बन्धित होती हैं। वाणी-विलास में उन अनुष्ठानों का समावेश होता है जिनका सम्बन्ध वाणी-सम्बन्धी अभिव्यक्तियों से होता है। शरीर-विलास की आनुष्ठानिक कलाओं का विभाजन²³³ इस प्रकार किया गया है—




वाणी-विलास भी जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और उत्पादन व उपयोग तथा कुटुम्ब और समाज से निरन्तर लिपटा रहता है। फिर भी इसके कई रूप मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं—





लोक-वाणीविलास के इन रूपों को पहले तीन प्रकार मान सकते हैं—बात, कथात्मक और गेय। कला के आदिम विकास में विविध अन्य तत्त्वों के समावेश से वाणी विलास में कई विशिष्ट प्रकारों का जन्म हुआ। कथात्मक वाणी विलास का जन्म अलग-अलग प्रेरणाओं से पृथक् रूप में हुआ। वार्तालाप तथा कथात्मक प्रकार सामाजिक मूल से सम्बन्धित हैं। गेय' का सम्बन्ध वैयक्तिक एवं सामाजिक द्विविध प्रवृत्ति से है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'अर्द्ध गेय' अथवा 'पाठ्य' रूप का विकास भी होता है।²³⁴ इनका वर्गीकरण करते हुए डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्तियों को 'बात' तथा 'अर्द्ध गेय लोक-साहित्य' के अन्तर्गत रखा है। उनका विभाजन इस प्रकार है—





इसमें सन्देह नहीं कि डॉ० सत्येन्द्र ने अपनी भूमिका-लेखन में लोकवार्ता को अधिकाधिक विस्तृत रूप में वर्गीकृत करके उसका व्यवस्थित प्रतिपादन किया है, किन्तु इस विवेचन की एक सीमा तो यह है कि इसमें मुहावरो को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लोकोक्तियाँ डॉ० सत्येन्द्र के उपर्युक्त तीन प्रकारों—वात, कथात्मक एवं गेय के अन्तर्गत प्रथम एवं अंतिम में ही ग्रहण की गई हैं, जबकि द्वितीय प्रकार 'कथात्मकता' से लोकोक्ति का महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, क्योंकि इनके मूल में प्रायः कथा भी होती है। उन्होंने 'लोकोक्ति' को उसके लोक-प्रचलित अर्थ कथावत के रूप में ग्रहण न करके लोक की उक्तियों-कथावत-मुहावरा तथा प्रहेलिका को लोकोक्ति-साहित्य में समाविष्ट कर उसका अर्थ-विस्तार कर दिया है। लोक-साहित्य के एक प्रमुख भाग के रूप में स्वीकार करके उन्होंने लोकोक्ति-साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार है—²³⁵





वस्तुतः लोकोक्ति-साहित्य के अन्तर्गत प्रहेलिका एवं मुहावरे आदि का समाहार इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इनका स्वतन्त्र अस्तित्व है। डॉ० सत्येन्द्र का यह वर्गीकरण यद्यपि कुछ सीमा तक व्यवस्थित बन पड़ा है, तथापि सर्वथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता। इसमें लोकोक्ति अथवा कहावत का वर्गीकरण जितने अच्छे ढंग से किया है, मुहावरे का नहीं किया। इसके अतिरिक्त कहावत के सामाजिक वर्ग के अन्तर्गत धार्मिक-राजनीतिक कहावतों का समावेश अनुचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक कहावतों के समानान्तर पौराणिक कल्पित कथाओं पर आधारित कहावतों को भी अलग से लिया जा सकता था। जीवन-दर्शन का क्षेत्र भी अत्यन्त विस्तृत है, इसे मात्र दो भागों में विभक्त करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। इसमें विभिन्न मानवीय स्वभाव के अतिरिक्त लोक-विश्वास—शकुन-अपबुधान आदि से सम्बन्धित लोकोक्तियों को भी समाविष्ट किया जा सकता है तथा नीति-उपदेश-हास्य-व्यंग्य प्रधान लोकोक्तियों को भी उपखण्डों में विभक्त करके विस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन हो सकता है। इन सीमाओं के बावजूद डॉ० सत्येन्द्र का यह वर्गीकरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है, कि सम्बद्ध विषय पर कार्य करने वाले अध्येताओं ने इससे दिशा-ग्रहण कर अपना मार्ग प्रशस्त किया है।

लोकोक्ति एवं मुहावरे का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। लोकोक्ति की भाँति मुहावरे का लोक-साहित्य के साथ इसलिए अटूट सम्बन्ध है, क्योंकि इन दोनों के जीवन की प्रायः एक ही राम-कहानी है। इनकी उत्पत्ति एवं विकास की अवस्थाएँ भी प्रायः समान हैं। डॉ० लक्ष्मी नारायण शर्मा का यह विचार कि मुहावरे की उत्पत्ति भी मानव-जीवन की किसी घटना या कार्य-कारण परस्पर से होती है²³⁶, उचित प्रतीत होता है। लोकोक्तियों की भाँति मुहावरों में भी प्रायः मानव जीवन के साधारण व्यापारों के चित्र रहते हैं। मुहावरे जीवन की सफलता-असफलता, उन्नति-अवनति, उत्थान-पतन, हार-जीत और मनुष्य के विद्वत्तापूर्ण एवं मूर्खतापूर्ण व्यापारों का भी परिचय देते हैं।²³⁷ यही कारण है कि ये ब्रह्मवत् सर्वत्र व्याप्त हो गए और वाणी के शृंगार बनकर जहाँ लोक-साहित्य में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए हैं, वहाँ अभिजात-साहित्य में भी साहित्य-कारों द्वारा सम्पूजित हुए हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुहावरों और कहावतों का क्षेत्र विस्तृत है। मानव-जीवन में सम्बन्ध रखने वाला कौन-सा ऐसा विभाग है, जो उनके दायरे के भीतर न आया हो।²³⁸

लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्व

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के क्षेत्र की भाँति ही इनके महत्त्व का प्रतिपादन भी मुख्यतः द्विविध रूपों में सम्भव है—

- (क) लोक-वाणी के शृंगार के रूप में, इनकी लोक-ख्याति के आधार पर।
- (ख) काव्य-भाषा के अलंकार के रूप में, इनकी साहित्यिक उपयोगिता के आधार पर।

लोकोक्तियों एव मुहावरों को लोक-साहित्य के अतिरिक्त अभिजात अथवा शिष्ट साहित्य में भी सीमातीत श्लाघा प्राप्त हुई है। काव्य-भाषा के अलकरण एव साहित्यिक सौन्दर्य के अभिवर्द्धक होने के कारण अनेक महाकवियों ने इनके माध्यम से जहाँ सरस्वती को तुष्ट किया, वहाँ इनके सफल प्रयोग के द्वारा शिष्ट-साहित्य में जनमानस के अनुकूल लोक-साहित्यिक विशेषता की वृद्धि कर अपनी कृतियों को कालजयी भी बना दिया। डॉ० गया सिंह का यह कथन उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग से अभिजात-साहित्य की लोकतात्त्विक विशेषता में वृद्धि होती है, साथ ही बोलचाल की अभिव्यक्ति विधि से संयोग होने से उसकी अभिव्यजना को लोकप्रियता, सहजता और सम्प्रेषणीयता प्राप्त होती है।²³⁹ इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए एक विचारक लिखते हैं—लोक-साहित्य मानव जाति का आदिम एव अन्तरंग चित्रण होने से शिष्ट साहित्य की तुलना में अधिक मौलिक और ताजा अनुभूतियों का कोश कहा जा सकता है। सच तो यह है कि लोक-साहित्य ही शिष्ट साहित्य का प्रेरक तथा विधायक उपादान है क्योंकि साहित्य के मूल में निहित चेतना शतश. सामाजिक एव लोकमूला ही होती है। हमारे प्राचीन साहित्य में वेद के साथ-साथ महाकवि व्यास ने लोकचिन्ता को भी प्रमाण रूप में मान्यता दी है। लोक-साहित्य एव लोक-वाणी का माधुर्य द्राक्षारम की भाँति अपूर्व आस्वाद का हेतु माना जाता रहा है। पान के पुन-पुनः चवाने में, गन्ने की पोर-पोर के रस में तथा महाभारत की कथा के श्रवण में जो मजा, पचतन्त्रकार के अनुसार आता है, वही सरसता और ताजगी लोक-साहित्य के कण-कण में व्याप्त है। यही कारण है कि कालिदास, जयदेव, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, केशवदास तथा बिहारी सरीखे रस-सिद्ध कवि भी अपने काव्य में लोक-तत्त्व की छोक बघार तथा गहरी छाप से (चेतन-अचेतन रूप में) उन्मुक्त नहीं रह सके।²⁴⁰

लोकोक्तियों एव मुहावरों का महत्त्व लोक-जीवन में चिर काल से रहा है। डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा के अनुसार ये लोकानुभव की वे सिद्ध मणियाँ हैं, जिनको पाकर मनुष्य वाक्शक्ति-सम्पन्न बनता है। ये भाषा की ऐसी धातियाँ हैं, जिसमें युग-युगान्तर का अनुभव बोलता है और जो हमारे नैतिक, सामाजिक एव धार्मिक जीवन की आधार-शिलाएँ हैं, जीवन के परिवेश में जो कुछ समा सकता है, वह यहाँ प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास ने अपने महाग्रन्थ महाभारत के सम्बन्ध में जैसे कहा है कि 'यदि हास्तितदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् श्वचित्।' वही लोक मनीषा की इस ज्ञान-गाठी के विषय में भी निर्भीकतापूर्वक कहा जा सकता है। लोक जीवन की इन वाक्-पद्धतियों और लोकोक्तियों में भी सभी कुछ है।²⁴¹ प्राचीन काल से ही लोकोक्तियों एव मुहावरों के महत्त्व से परिचित होकर साहित्यकारों ने इसे अपनाया, किन्तु आज अनेक लोकोक्तियाँ और मुहावरे अपनी सुदीर्घ परम्परा से सम्पृक्त होने के बावजूद कुछ कारणों से लुप्त हो गए हैं, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने की समस्या जटिल है। पं० राम प्रताप त्रिपाठी इस पर खेद प्रकट करते हुए लिखते हैं—लोकोक्तियों के समान मुहावरे निरन्तर चिन्तन का प्रतिफलन, एक बूढ़े में अनन्त सिन्धु समेटने का प्रयत्न, फलतः किसी भाषा के प्राण होते

हैं। इनका उत्स बहुसाशत नगर से दूर उन उजटवासियों का सहज मन होता है, जिन्होंने कितने ही जैठ मासों की तपन एव भादो की झड़ी अपनी काया पर ही उतार दी है। ये मणिया प्रत्येक जनपद बोली की धूल में पड़ी मिलती हैं, आवश्यकता उन्हें घो-पोछने की है। इससे लिए निस्वार्थ कर्त्तव्य परायण सकलनकर्त्ताओं की महती आवश्यकता है। यदि ऐसे अलस जगाने वाले हिन्दी को मिल जाए तो यह कितनी समृद्ध हो जाए—कहने की आवश्यकता नहीं। हिन्दी धीरे इतने लम्बे काल तक गुलाम रहा कि अपने ही लोग उसे घृणा कराने वाले काम में सफल रहे। वह वेद, महाभारत, पाणिनि पतञ्जलि, कौट, भर्तृहरि आदि की सुदीर्घ परम्परा भूल गया, जिन्होंने अपने काल में लोक की आरती उतारी।²⁴² लोकोक्तिया एव मुहावरे हमें अपनी परम्परा से जोड़ते हैं। हमारी राजनीतिक-सामाजिक धार्मिक-सांस्कृतिक आदि परम्पराओं के लोकोक्तिया एव मुहावरे सवाहक हैं, परिचायक हैं।

लोकोक्ति और मुहावरे लोक-जीवन में प्रचलित वे सिक्के हैं, जिनका मूल्य कभी कम नहीं होता। साहित्य के इन बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग जन-सामान्य से लेकर उच्च-कोटि के साहित्य-मर्मज्ञ तक करते हैं। इनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा साहित्यिक आदि परिस्थितियों का प्रेरणादायक, प्रभावोत्पादक, व्यंग्यात्मक एव भावात्मक चित्रण अत्यन्त सजीव, रोचक, सारगर्भित, सरल, सक्षिप्त एव उपयोगी भाषा में करते हुए लोक-जीवन के सार्वभौम सत्य का उदघाटन बड़े ही कौशल के साथ किया जाता है। यही कारण है कि दोनों ही विघाएँ जन मानस का पुष्पहार बनी हुई हैं। अतः साहित्य-सागर के इन मुक्त गुच्छों की निरल परल कर आवश्यक मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।²⁴³

लोक में जितना महत्त्व जीवन का है, उससे कहीं अधिक महत्त्व जीवन में लोकोक्तियों का है। लौकिक मानव इन लोकोक्तियों के प्रभाव से स्वयं को अछूता नहीं रख सकता है। इन लोकोक्तियों में मानव जीवन से सम्बन्धित सामान्य भाव के अतिरिक्त गम्भीर भाव भी पाया जाता है। मानव जीवन इन्हीं लोकोक्तियों के संकेत पर चलकर पूर्णता की ओर बढ़ा है। बिना लोकोक्तियों के लोक व्यवहार अधूरा है। तेलुगु की एक कहावत द्वारा बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है—'सामेत से निमाट आमेत सेनि इल्ल।' अर्थात् बिना लोकोक्ति के प्रयोग के वातालाप उसी घर के समान है, जहाँ कभी स्वादिष्ट भोजन बनता ही नहीं।²⁴⁴ लोकोक्तिया लोक जीवन के साथ सम्बन्धित होने के कारण लोक जीवन को समग्र एव सच्चे रूप में अंकित करती हैं। ये सदैव लोक मानव के अन्तमन पर आच्छादित रहती हैं तथा समय समय पर उनके द्वारा प्रकाशित होती रहती हैं। वे दैनिक जीवन में अधिक व्याप्त रहती हैं कि इनके लिए सधु प्रयासों की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रसंग एव उचित अवसर पर लोकोक्तिया स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इससे लोकोक्तियों की लोक-जीवन से अभिन्नता प्रकट हो जाती है।²⁴⁵

विन्ती भी देश की परम्परा के अध्ययन के लिए लोकोक्तिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन हैं। डॉ० रमेशचन्द्र का यह कथन उपयुक्त ही है कि इनमें किसी देश की राज-

राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री संचित रहती है। लोकोक्तियां परम्परित होती हैं। अतः इनके माध्यम से हम युगों-युगों के लोक-जीवन का ज्ञान जान सकते हैं। लोकोक्तियां जन-मानस की अत्यन्त प्राचीन धरोहर होती हैं। इनमें सम्बद्ध जन-समुदाय क्षेत्र अथवा राष्ट्र का युगों-युगों का अनुभव सिद्ध ज्ञान भरा रहता है। संसार के प्रत्येक देश एवं जाति में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। संसार में कोई भी ऐसा देश एवं जाति न होगी जिसमें कि कहावतों का प्रचलन न हो।²⁴⁶ डॉ० शशि शेखर तिवारी के अनुसार लोकोक्तियां परम्परा की संवाहिका और ऐतिहासिक चेतना की प्रतिध्वनि होती हैं। इसलिए उनमें किसी देश या जनपद के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री संचित रहती है। लोकोक्ति-साहित्य भी इतिहास के मुख्य अंगों—मुद्रा, अभिलेख और भग्नावशेष की भांति परम्परा के उद्घाटन में विशेष रूप से सहायक होता है।²⁴⁷ सांस्कृतिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। लोकोक्तियों में तो मानो सांस्कृतिक बिम्बों के चौमुख दीपक से बल उठते हैं और अनुभव-प्रसूत चिन्तन की पुढी-सी बांधकर रख दी गई है। सभी देशों के साहित्य का अक्षय अनुभव इनमें अगूर के छिलके के भीतर रस और गूदे की उज्ज्वल-भोतिया कांति से लहलहाते रजकणों का मानन्द प्रतिबिम्बित हो उठता है। लोकवाणी का जितना सहज, अलंकृत, सूत्रबद्ध, लाक्षणिक-व्यंजक चित्र-विचित्र रूप इनमें मिलता है, उतना अन्यत्र कहा ?²⁴⁸

लोकोक्तियां मानव-समाज की मनीषा हैं। इनमें अनुभूत ज्ञान की निधि संचित रहती है। डॉ० उदय नारायण तिवारी के अनुसार हम अपनी जाति की परम्परागत विचारधारा का ज्ञान इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं। इनके महत्त्व का निरूपण करते हुए डॉ० तिवारी लिखते हैं—“शताब्दियों से किसी जाति की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई है, यदि इसका दिग्दर्शन करना हो तो उस जाति की लोकोक्तियों का अध्ययन आवश्यक है। काल-क्रम के अनुसार लोकोक्तियों का वर्गीकरण करके राजनीतिक तथा भाषा की इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्रचुर परिमाण में उपलब्ध की जा सकती है।²⁴⁹ लोकोक्तियों में जीवन के सत्य को सुन्दर ढंग से उद्घाटित किया जाता है। यही कारण है कि मौखिक लोक-साहित्य में लोकोक्ति-साहित्य का बहुत महत्त्व है।²⁵⁰ डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्तियों को ग्रामीण जनता के नीतिशास्त्र के रूप में स्वीकार किया है। उनके मत में ये मानवी ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं, जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटने वाली उषोति प्राप्त होती है। लोकोक्तियां प्रकृति के स्फुलिंगी (रेडियो ऐक्टिव) तत्त्वों की भांति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फैलाती रहती हैं। लोकोक्ति-साहित्य संसार के नीति-साहित्य (विजडम-लिटरैचर) का प्रमुख अंग है।²⁵¹ इसका कारण यह है कि लोकोक्तियां मानव-जीवन की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं। इनके द्वारा व्यावहारिक जीवन की विभिन्न समस्याओं पर भी प्रकाश पड़ता है।²⁵²

लोकोक्तियों में भाव गरिमा कूट-कूट कर भरी रहती है। अर्थान्तरन्यास, अन्योक्ति, दृष्टांत, सम, विषम तथा दीपक आदि उपदेशमूलक अलंकारों का लोकोक्तियों में बड़ा ही सुष्ठु प्रयोग मिलता है, जिनसे भावगत सौन्दर्य की प्रस्तुति होती है।

लोकोक्तियाँ जीवन की पाठशाला के जागरूक शिक्षक हैं। साधारण से साधारण लोकोक्तियों में जीवनोपयोगी कोई न कोई रत्न अवश्य छिपा मिलेगा।—“जैसे प्राचीन काल के शिलालेखों और सिक्कों आदि से इतिहास की कड़ियाँ जुड़ती हैं, वैसे ही कहावतों की माफ़त हम कितनी ही कड़ियाँ जोड़ सकते हैं।”²⁵³ इनमें भावों, विचारों आदि के समाहार की शक्ति विद्यमान होती है। सांसारिक व्यवहार पट्टा एवं सामान्य बुद्धि का विलक्षण निदर्शन इनमें मिलता है। लोकोक्तियाँ ग्रामीण संस्कृति के प्राचीन गौरव चिह्नो की एलबम हैं। लोकोक्तियों के द्वारा ज्ञान की किरणें चतुर्दिक् फैलकर जन जीवन को आनोक प्रदान करती हैं। डॉ० कन्हैयालाल सहल के विचारानुसार लोकोक्तियाँ समाज के न्यायालय के अन्तिम निर्णयवृत्त हैं—“कहावतों न्यायालय में निर्णय होने के बाद उसकी कमी कहीं अपील नहीं होती। कहावत ने जो निर्णय दे दिया, वही अन्तिम है।”²⁵⁴ लोकोक्तियों का महात्म्य अद्भुत है। डॉ० चाटुर्ज्या की दृष्टि के आधार पर यह कहावती जगत भी एक विलक्षण लोक है। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों की उक्तियों को भी यदि जनता स्वीकार न करे तो वे भी लोकोक्तियों के गौरवपूर्ण पद पर आसीन नहीं हो सकती। कहावतों की सचमुच बड़ी महिमा है, कोई उनकी अवमानना न करे।²⁵⁵ लोकोक्ति की लोक-स्वीकृति का एक कारण यह भी है कि आप्त वचनों की भाँति बिना किसी प्रकार के वाद विवाद के लोकोक्ति को आप्तोपदेश प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए बाइबिल कोश में कहा गया है कि व्यावहारिक क्षेत्र में लाकाविन का महत्त्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि न्यायाधीश के सर्वमान्य विश्वासमूलक निर्णयों की भाँति जन-सामान्य लोकोक्ति के आदेश का पालन करता है।²⁵⁶

लोकोक्तियों का जितना महत्त्व किसी देश, काल, पात्र अर्थात् जाति, जन समुदाय, प्रदेश अथवा सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्यक्ता संस्कृति तथा साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से है, उतना ही उसकी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी है।²⁵⁷ भाषा के भी मुख्यतः दो रूप हैं—सामान्य या वार्तालाप की भाषा तथा साहित्यिक अथवा काव्य भाषा। डॉ० नरसिंह राव की दृष्टि से वार्तालाप में लोकोक्तियों का दो प्रकार से महत्त्व है—(क) भाषा की शक्ति में वृद्धि करना, (ख) कथन में वक्रता और चमत्कार उत्पन्न करना। काव्यरमक भाषा में जिस प्रकार अलंकार-विधान भाषा की शक्ति वृद्धि करता है, उसी प्रकार लोकोक्तियों के द्वारा वार्तालाप में शक्ति और सुन्दरता का समावेश हो जाता है। भाषा का यह सौन्दर्य दो प्रकार का है—(1) बाह्य सौन्दर्य और (2) आन्तरिक सौन्दर्य। बाह्य सौन्दर्य में किसी कथन में शब्द क्रम और विविध उपमानों के रूप में प्रयुक्त अक्षरस्तुत सामग्री की कल्पना के द्वारा दो तत्त्व आ जाते हैं। लोकोक्ति के द्वारा ये दोनों ही तत्त्व वार्तालाप को प्राप्त हो जाते हैं। भाषा के आन्तरिक सौन्दर्य में उसके अर्थ को पुष्ट व्याख्यान, अर्थ परिवर्तन शैली, बौद्धिक रूप से मान्य तर्क और कुछ भावात्मक मधुवैष्टन आते हैं। ये सभी तत्त्व लोकोक्तियों में विद्यमान होते हैं, अतः वार्तालाप की भाषा बाह्यान्तर सौन्दर्य से युक्त होने के लिए लोकोक्तियों का सहारा लेती है।²⁵⁸ इसमें सन्देह नहीं लोकोक्तियों के द्वारा कथन में तीव्रता एवं प्रभावात्मकता की सृष्टि होती है।

लोकोक्तियों का जितना सम्बन्ध वक्ता से है, उतना ही श्रोता से भी है, अतः दोनों प्रभाव ग्रहण करते हैं। वक्ता एव श्रोता का पारस्परिक साधारणीकरण इनके माध्यम से सम्भवतया हो जाता है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास का कथन है—कहावतों के गर्भ में चमत्कार और इनके कथन में वक्रता होती है, इसलिए बात जितनी जल्दी कहावतों द्वारा धर उतरती है, उतनी किसी और माध्यम से नहीं।²⁵⁹ भाषा के विविध स्तरों का अध्ययनार्थ लोकोक्तियाँ काममुखा-स्रोतवत् उपयोगी, फलन महत्वपूर्ण होती हैं। 'राजस्थानी कहावतों' के लेखक की दृष्टि में भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि भी इनके द्वारा ही सम्पन्न होती है। वे हमारे कथन को मार्मिक, मधुर और प्रभावशाली बना देती हैं। वस्तुतः भाषा की सुन्दरता और सरसता का प्रधान कारण कहावतें हैं। इनके प्रयोग से लेखों और भाषणों का माधुर्य कितना बढ़ जाता है, वे कितने सजीव और प्रभावोत्पादक बन जाते हैं, यह सब पर प्रकट है।²⁶⁰

साहित्यिक दृष्टि से भी लोकोक्तियों का महत्व कम नहीं है। काव्य-भाषा अथवा साहित्यिक भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि में लोकोक्तियों का योगदान अप्रतिम है। डॉ० सन्तराम अनिल इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं—साहित्यिक दृष्टि से भी कहावतें महत्वपूर्ण हैं। उन्हें भाषा का शृंगार कहा जा सकता है और इसी लिए परिनिष्ठित साहित्य में 'लोकोक्ति' की अलंकार के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। कहावतों के द्वारा भाषा में सजीवता, स्फूर्ति और चौखापन आता है। भाषा-विज्ञान वेत्ता का अध्ययन के लिए भी कहावतें महत्वपूर्ण सामग्री का काम करती हैं। समाज शास्त्र और संस्कृति के अध्येता के लिए भी कहावतें अनेक समस्याओं का रहस्योद्घाटन करती हैं।²⁶¹ साहित्यिक भाषा अथवा काव्य-भाषा में लोकोक्तियों एव मुहावरों के महत्व-प्रतिपादन करने से पूर्व काव्य-भाषा का सक्षिप्त अध्ययन अनुपयुक्त न होगा। सुप्रसिद्ध रूसी विद्वान् प्रे-दिन के मत में—भाषा विचार का साधन है। भाषा का इस्तेमाल लापरवाही से करने का मतलब है विचारों में लापरवाही करना।²⁶² सम्भवतः इसी कारण भाषा को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिली। काव्य-पुरुष के भाव यदि प्राण हैं तो उस पुरुष-शरीर में कलात्मकता, आकर्षण-सम्पन्नता, प्रभविष्णुता तथा सम्प्रेषणीयता आदि का समावेश भाषा के द्वारा ही होता है। वस्तुतः किसी भी काव्यकृति की वाच्यत्व का स्वरूप वाच्य-भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्राच्य एव पाश्चात्य साहित्याचार्यों ने साहित्यालोचन के सन्दर्भ में काव्य-भाषा पर पर्याप्त चिन्तन किया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में शब्द एव अर्थ के सहभाव को काव्य की सज्ञा से अभिहित किया गया है और वाच्य के स्वरूप विवेचन के सन्दर्भ में आनुपमिक रूप से शब्द-तत्त्व अर्थात् वाच्य-भाषा का भी प्रतिपादन किया गया है। आत्मवादी और देहवादी दोनों प्रकार के आचार्यों ने स्व-स्व सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए काव्य के ब्राह्म रूप अर्थात् काव्य-भाषा की भी खर्चा की है। पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीयता को काव्य का सर्वस्व घोषित करते हुए कहा कि रमणीयता अर्थ में होती है और उसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा सम्भव है।²⁶³

पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य भाषा-विषयक विस्तृत विवेचन हुआ है। अरस्तू काव्य-भाषा की भावगत एव शिल्पगत विशिष्टता के विषय में लिखते हैं—काव्य भाषा में भाषा-शिल्प का प्रयोग होता है, उसमें ललित कल्पना की क्रीडा होनी है। होरेस काव्य-भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न मानते हैं। वे अपने सवादों में होने वाली अशिष्ट बातचीत के धरातल पर न उतर आए और ऐसा भी न हो कि धरती से बचने के प्रयत्न में वे मेघों और शून्य में उभल कर रह जाए। तुच्छ पद्य का उच्चारण त्रासदी की गरिमा के विरुद्ध है।²⁶⁴ लोगिनुस, दाते, कालरिज तथा डब्ल्यू० पी० केर आदि अनेक विद्वानों ने कलात्मक सौन्दर्य को काव्य-भाषा का प्रमुख गुण माना है। दाते लोक-भाषा को काव्य-भाषा का आधार स्वीकार करके भी उसकी विशिष्टता एव परिष्कृति को महत्त्व प्रदान करते हैं।²⁶⁵

काव्य के अभिव्यजना-कौशल का निरूपण द्विविध संभव है—(क) भाषा शास्त्रीय आधार पर तथा (ख) काव्यशास्त्रीय आधार पर। इनमें प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार काव्य-भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। भाषा के विभिन्न तत्त्वों—शब्द रचना, रूप-रचना, संज्ञा, सर्वनाम, त्रियापद आदि के आधार पर काव्य-भाषा का विश्लेषण किया जाता है जबकि द्वितीय आधार पर काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों की दृष्टि से काव्य के अभिव्यजना कौशल का दिग्दर्शन कराया जाता है। लोकोक्तियों एव मुहावरों को जहाँ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन का आधार बनाया जा सकता है, वहाँ इनमें साहित्यिक सौन्दर्य के स्वाभाविक दर्शन होने के कारण साहित्यशास्त्रीय तत्त्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। काव्यशास्त्र के विभिन्न काव्य-तत्त्वों के द्वारा काव्य-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में लोकोक्तियाँ एव मुहावरे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिस प्रकार काव्य-रचना की प्रक्रिया में काव्य-भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार काव्य-भाषा की रचना-प्रक्रिया में लोकोक्तियों एव मुहावरों का स्तुत्य योगदान है। प्रो० इन्द्रपाल सिंह का विचार है कि किसी भी भाषा की यथार्थ शक्ति का आभास उसमें प्रयुक्त लोकोक्तियों एव मुहावरों के प्रयोग से मिलता है अर्थ-सौन्दर्य, भावाभिव्यजना, अभीष्ट प्रभाव एव वाञ्छित अनुभूति की दृष्टि से पद्य में जो स्थान अलंकारों का है, गद्य में वही स्थान लोकोक्तियों एव मुहावरों का है।²⁶⁶ लोकोक्तियाँ एव मुहावरे काव्य में प्रयुक्त होकर भाषा को सजीवता, सप्राणता, स्फूर्ति एव शक्ति प्रदान करते हैं। श्री बदरी प्रसाद साकरिया के निम्न कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है—(1) व्याकरण—भाषा का अस्थिपजर, (2) शब्द सम्पन्नता—उसका प्राण और (3) लोकोक्तियाँ और मुहावरे—उसका ओज, सौष्ठव और शारीरिक गठन है। वही भाषा प्राणवान् है जिसमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों की प्रचुरता हो और वही ओज वाली भाषा है जिसमें उसकी वाग्व्यवहार एव व्यजना शक्ति की सम्पूर्ण योग्यता हो। प्राणवान् शरीर में यदि ओज नहीं है तो वह शरीर अकृती होता है।²⁶⁷

लोकोक्तियों का साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व है। इसका एक कारण यह

भी है कि उनमें साहित्य के कलापक्ष की कृत्रिम बोधिसत्ता नहीं है। अभिव्यक्ति में सहज स्वाभाविकता और मार्मिकता है। भाषा और बोलियों में जो प्रभावोत्पादकता का गुण प्राप्त होता है, वह इन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। इनके बिना वे रसहीन प्रतीत होती हैं।²⁶⁸

लोकोक्तिों की भाँति मुहावरों का भी इस दृष्टि से अतिशय महत्त्व है। इनके द्वारा भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है और नवस्फूर्ति आती है। मुहावरे भाषा का प्राण सजीवता की मूर्ति, शक्ति का अक्षय भण्डार, मानवता की कमीटी, सांस्कृतिक मान्यताओं का मानक कोश, महान पुरुषों का स्वरूप दर्शन, लोकाचरण का आधार और रसानुभूति के रत्नाकार हैं।²⁶⁹ भाषा में मुहावरों के महत्त्व का कारण यह है कि इनके सफल प्रयोग भाषा में एक ऐसी शक्ति सम्पन्न तीव्रता उत्पन्न कर देते हैं जिससे वह मानव-हृदय को वेधकर उसके अन्तराल में समा जाती है। सिद्ध लेखक गिने-चुने शब्दों में ऐसी भाव भरित पंक्तियाँ प्रस्तुत करता है जिसमें शब्द अर्थ-गाम्भीर्य के साथ ही भाषा में एक विशिष्ट आकर्षण एवं लोच प्रतीत होता है।²⁷⁰ मुहावरों के प्रयोग से प्रयोज्यता अथवा लेखक की भाषा में प्रौढता एवं प्रभावात्मकता आती है। अभिव्यक्ति की सशक्तता भाषा की प्रौढता पर अवलम्बित होती है। तात्पर्य यह है कि मुहावरे भाषिक सजीवता के प्रमाण हैं। सरहिन्दी मुहावरा-कोश में कहा गया है कि मुहावरे प्रत्येक भाषा की निधि हैं, जिस पर भाषा जीवित रहती है। मुहावरों का कुण्ठित हो जाना तथा जन सामान्य की बोलचाल से उनका उठ जाना भाषा का मरना है। ये जनसाधारण की सम्पत्ति होते हैं। ये व्यक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ये भाषा की सजीवता के चिह्न हैं। इसलिए विद्वान्, साहित्यिक, रसिक इन्हें अपनाते हैं।²⁷¹ काव्य-भाषा में प्रसंगानुकूल विशिष्ट मुहावरों के सफल प्रयोग करने से तात्पर्य यह है कि उसमें माधुर्य, सौन्दर्य, ओज, अर्थ-व्यक्ति आदि गुणों का यथेष्ट विकास हो।²⁷² मुहावरों के अभाव में भाषा अमधुर, नीरस एवं निष्प्राण बनकर अपने स्थायित्व को नष्ट कर देती है। डॉ० रमेश चन्द्र के अनुसार भाषा यदि सुव्यवस्थित घर है तो मुहावरे उसका प्रकाश हैं। भाषा में मुहावरों के महत्त्व की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं कि मुहावरे भाषा के श्रृंगार हैं, सुविधा एवं सौन्दर्य सृष्टि अथवा भाव विकास के लिए उनका सृजन हुआ है। उनकी उपेक्षा उचित नहीं। वे उस आधार स्तम्भ के समान हैं जिनके अवलम्ब से सुविचार-मन्दिर का निर्माण सुगमता से हो सकता है। मुहावरेदार प्रयोग आमतौर से सुन्दर, सक्षिप्त और ओजपूर्ण होते हैं जिनके कारण किसी कथन का आकर्षण और सौन्दर्य बहुत बढ़ जाता है। मुहावरों के महत्त्व के विषय में कहा जा सकता है कि यदि भाषा अच्छे-अच्छे पदार्थों से सम्पन्न एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित घर है, तो मुहावरे उसका प्रकाश हैं। जिस प्रकार अनेक मणियों एवं रत्नों से जड़ा हुआ सुन्दर और आकर्षक घर भी प्रकाश के अभाव में अन्धकूप लगता है, उसी प्रकार अच्छे से अच्छे भावों से युक्त शुद्ध एवं सस्कृतमयी भाषा भी मुहावरेदारी के अभाव में नीरस एवं निष्प्राण लगती है, अतः बोलचाल या साहित्य दोनों भाषाओं के लिए मुहावरों का होना अति आवश्यक है।²⁷³

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर समग्रतः यह कहा जा सकता है कि लोकोक्तियाँ

एव मुहावरे लोक-जीवन तथा साहित्यिक जगत् में गौरवपूर्ण पद पर आसीन हैं। लोकोक्तिमो एव मुहावरो का महत्त्व अनेक दृष्टियों से आका जा सकता है— इनके द्वारा जहा ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों का पता चलता है, वहा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एव सांस्कृतिक आदि तथ्य भी प्राप्त होते हैं। किसी भी राष्ट्र के अतीत का ज्ञान इनके द्वारा हो जाता है। भाषा-विज्ञान के अध्येता को लोकोक्तिमो एव मुहावरो के द्वारा भाषा की इतिहास-विषयक रोचक एव महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वस्तुतः मुहावरे और लोकोक्तिमो लोकोपवन की सर्वाधिक सुगन्धित पुष्पमाल्य एव साहित्यिक रत्नाकर की बहुमूल्य रत्नावलि हैं। कन्नड में कहा गया है—‘गादेय ममं धन्नरितवनु वेदद ममं धन्नरितवन्नु’—जो जाने लोकोक्ति का ममं सो जाने वेद का ममं। ‘गादे वेदवके समान’—ये वेद के समान हैं। ‘वेद सुललादरू गादे सुललागदु’—वेद भी झूठे साबित हो सकते हैं पर लोकोक्ति झूठ नहीं हो सकती।²⁷⁴ भारतीय सस्कृति के मूलाधार एव अपौरुषेय माने वाले चतुर्वेदो से भी बढ़कर इनकी जो प्रशंसा की गई है, इसे लोकोक्तिमो एव मुहावरे के महत्त्व की पराकाष्ठा ही समझना चाहिए।^{●●}

संदर्भ-संकेत

1. 'संस्कृत लोकोक्ति संग्रह'—पं० धरणीधर वाजपेयी, पं० बालकृष्ण भट्ट, पुरोवाक् ।
2. (क) सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण धर्मा (अंशो०प्र०) प्रथम अध्याय (अ) लोकोक्ति-निरूपण, पृ० 1
(ख) म्वा० लो० 76 दर्शने । लुलोके । लो० अलुलोकदिति ।—सिद्धान्त कौमुदी—भट्टोजि दीक्षित, पृ० 87 तथा पृ० 348, पृ० 343
(ग) लोक दीप्ती च० उभ० सक० सेट् । लोकयति ते अलुलुकतत् । लोक दर्शने म्वा० आ० सक० सेट् । लोकते अलोकित् लुत्तोके । ऋदित् षड् ष ह्रस्वः । अलुलोकत् । लोक पु० लोकयतेऽपी लोक-घञ् ।—वाचस्पत्यम् भाग षष्ठो, पृ० 4833 ।
3. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, षोडश भाग, प्रस्तावना, पृ० 1
4. (क) उक्ति स्त्री यच् भावे कितन् । कयने ।
"अति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः"—मुक्तावली । "उक्तिप्रत्युक्तिरूपं यावो वापयम्"—छा०भा० । "व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः" इत्यमरः तथा शब्दशास्त्री "एकयोक्ता पुष्पवन्तो दिवाकर निगाकरो—अमर०—वाचस्पत्यम् भाग द्वितीय, पृ० 1050
5. हिन्दी साहित्य कोष (भाग 1)—सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 747
6. (क) जगती लोकोक्तिपुस्तक भुवन जगत् । लोकोक्तिं भारतवर्षम् । अमरकोष 2/1/6 अथो भुवन पाताल बलिसदम् रसातलम् । नागलोकोक्ति... वही 1/8/1 लोकस्तु भुवने जने—वही 31312
'भुवनापक लोको' शब्दस्य गदह पुराणे सप्तभेदा उक्तस्मादि—मत्स्यपुराणः प्रकीर्तिताः—मूलोक्तं नाभिमध्ये तु भुवलोक्तं तद्रूपं वै । स्वलोक्तं हृदये विष्टारकच्छेदे महत्प्रया । जनलोक्तं वक्त्रदेशे तपोलोक्तं समादरे । गत्य लोक्तं ब्रह्मरन्ध्रे—इति गदह पुराणे 115/57-59 । मूलोक्तः स्वभेदेन च एव लोका इत्यादि परे । वही—अमरकोष परिशिष्टम् ।
(ख) मूलोक्तः स्वर्गमहर्षेण जनदत्त एव च । मत्स्यपुराणस्य सप्तभेदे लोकास्तु... परिचीरिताः ॥ इत्यादिपुराणम् । इति—मूलोक्तोक्तं स्वलोक्तस्यैव

मिदमुच्यते । महज्जनस्तप सत्य सप्तलोका प्रकीर्त्तिता ॥

—शब्द कल्पद्रुम —घतुर्थं वाण्डम्, पृ० 231

- 7 हिन्दी शब्द सागर, मूल सपा० श्यामसुन्दर दास, भाग 8, पृ० 4318
 8 ऋ० 10/90/14
 9 हिन्दी शब्द सागर, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, भाग 8, पृ० 4318
 10 असोक का शिलालेख, पृ० 174(14) गिरिनार मे ।
 11 Folklore includes folk arc, folk crafts, folk tools, folk custom, folk custume, folk belief, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature but which are better described as verbal art Verbal art, which includes, such forms as folk tales, legends, myths, proverbs, riddles and poetry, has been the primary concern of folklorists from both the humanities and the social sciences since the beginning of folklore as a field of study, and it is with this principal segment of folklore that this article of concerned

European interest in folklore goes back at least to the sixteenth century and the age of exploration, but the modern study of folklore is generally considered to date from the early years of the nineteenth century, when the Grimm brothers began collecting german folktales in the field The Folklore was first introduced in English in 1846 by William John Thoms, who urged that accounts of "manners, customs, observances, superstitions, bel-lads, proverbs, &c, of the olden time" be recorded in Britain for future study and for comparison with the materials which were being recorded in Germany by the Grimm brothers and other scholars "

—International Ency of Social Science, Vol 5, pp 496-497

- 12 एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, भाग 9, पृ० 444
 13 हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पौडश भाग, प्रस्तावना, पृ० 9
 14 जनपद त्रैमासिक, अंक 1, पृ० 66
 15 सम्मेलन त्रैमासिक, लोक सस्कृति विशेषांक, पृ० 65
 16 लोके उपातिमुपागताश्च सकले लोकोक्तिरेषाम्यतो ।
 दग्धाना किल वह्निना हितकर सेकोऽपि तस्योदभव ॥
 —दे० सस्कृत लोकोक्ति संग्रह—प० घ० ध० वाजपेयी, प० बा० कृ० भट्ट,
 भूमिका ।

- 25 —A proverb is the remnant of the ancient philosophy preserved amidst very many destructions on account of its brevity and fitness of use (Aristotle)
- Jewels five words long that on the stretched forefinger of all time sparkle for ever (Tennyson)
- Proverb may be said to be abridgments of wisdom (Joubert)
- Short sentences drawn from long experience (Cervantes)
- Short sentence into which as in rules, the ancient men have compressed life (John Agricola)
- Well-known and well used dicta framed in a sort of out way from and fashion (Erasmus)
- A proverb is the interpretation of the words of the wise (Bible)
- These Fragments of wisdom, the proverbs in the earliest ages serve as the unwritten laws of morality (Disraeli)
- देखिए राजस्थानी कहावत—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 19
- 26 देखिए—साहित्य-संदेश—श्याम परमार । जून 1955, अंक 12, भाग 16, पृ० 445
- 27 A gnomonic form of folk literature a short pregnant criticism of life, based upon common experience, as (Bible) 'The book of proverbs' quite generally the product of the popular mind it was important as reflecting prevalent attitudes In Greece and Rome it often served as a vehicle of literary and dramatic criticism In longer works, it brought vividness color by compression and boldness of imagery
- Dictionary of World Literary terms—Joseph T Shipley, p 258
- 28 Proverb tells a truth or some bit of useful wisdom in a short sentence, The Language is generally picturesque and simple Only those saying which many people have used for a long time are called proverbs A man may compose a proverb that becomes a part of everyday speech But most proverbs have been created through common usage
- The World Book Encyclopaedia, V 14, p 740
- 29 While the formal definition of a proverb is difficult to frame, and every authority attempts to give his own, there is a general agreement as to the chief characteristics of proverbial sayings

Four qualities are necessary to constitute a proverb, bravity (or, as some prefer to put it, conciseness) sense, piquancy or salt (trench) and popularity

—Encyclopaedia of Religion and Ethics by James Hastings, Vol X, p. 412.

- 30 विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें, पृ० 12-14
31. साहित्य-संदेश,—क्ष्याम परमार जून 1955, अंक 12, भाग 16 पृ० 445-446
32. Brevity is the soul of wit (Hamlet)
- 33 A proverb may be said to be the abridgment of wisdom.
(Jonbert)
- 34 मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 366-67
35. लोक साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 136, 140-41
- 36 कन्नौजी लोक साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, पृ० 204 (अवतरणिका)
37. राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 13
- 38 सू० सा० 3316 पृ० 641, वही, 4522 पृ० 1563, सारा० 970 पृ० 160, न० प्र० भा० द० स्क० अ० 1, पृ० 194, गो० स्वा० 487 पृ० 187, सू० सा० 4050 पृ० 1418, वही 4222 पृ० 1471, प० सा० 174 पृ० 81, च० दा० 258 पृ० 132 तथा न० प्र० भा० द० स्क० अ० 14 पृ० 233
39. देखिए—साहित्यिक मुहावरा-लोकोक्ति कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 56
- 40 देखिए—वही, पृ० 74
41. सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 16 (अ० शो० प्र०)
- 42 कन्नौजी लोक-साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, अवतरणिका, पृ० 204-210
43. राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 14
44. हिन्दी गद्य-साहित्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ० 11-19 (अ० शो० प्र०)
- 45 सू० सा० 2521 पृ० 909
46. सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 18 (अ० शो० प्र०)
47. राजस्थानी कहावतें—डॉ० क० ल० सहल, पृ० 14
- 48 दे० हिन्दी गद्य-साहित्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ० 120 (अ० शो० प्र०)
49. न० प्र०, रत्नमञ्जरी, पृ० 127
- 50 न० प्र० भा० द० स्क० अ० 9 पृ० 218
51. दे० अमरः सू० सा० 3770 पृ० 1336, वही 4586 पृ० 1586, कु० दा० प्रकीर्ण

399 पृ० 138 तथा वही 23 पृ० 13

52 साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 290-91

53 वही, पृ० वही

54 तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तिया—डॉ० बेंकट रमण राव, पृ० 7

55 To attain the rank of a Proverb, a saying must either spring from the masses or be accepted by the people as true In a Profound sense it must be vox populi

—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Hastings Vol X
p 412

56 The people voice, the voice of God we call, and what are proverbs but the public's voice? Coincidence first, and common made by common choice Then sure they must have weight and truth withal See—Proverbs Maxims & Phrases—Vol I, Robert Christy, p 1 (Preface)

57 साहित्य-सदेश—दयाम परमार । (आगरा, जून 1955, अंक 12 भाग 16, पृ० 445)

58 लोक-साहित्य—श्री इन्द्रदेव सिंह पृ० 177

59 अवधी का लोक-साहित्य—डॉ० सरोजनी रोहतगी, पृ० 108

60 कुमाऊ का लोक साहित्य—डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय, पृ० 219

61 सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 18 19 (अ० शो० प्र०)

62 साहित्यिक मुहा०-लोको० कोश—हरिवशराय शर्मा पृ० 23

63 साहित्यिक मुहा० लोको० कोश—वही, पृ० 12

64 सू० सा० 2461, पृ० 892

65 वही 2938 पृ० 1033

66 साहित्यिक मुहा० लोको० कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 131

67 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय पृ० 141

68 There is nothing like absolute truth, all over truth are half truth (Stevenson)

Proverbs are usually but half truths and seldom contain the principle of the action they teach (T T Munger)

—विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—डॉ० बहैयालाल सहल
पृ० 17 18

69 Proverbs are the literature of reason or the statement of absolute truth, without qualification Like the sacred books of each nation,

they are sanctuary of its Institutions

—दे० वही, पृ० 18

- 70 साहित्य-सन्देश—श्याम परमार, आगरा, जून 55, अंक 12, भाग 16, पृ० 446
- 71 वही, पृ० 447
- 72 लोक वार्ता पत्रक—कृष्णानन्द गुप्त, स० 3, पृ० 1,
- 73 पृथिवी पत्र—डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ० 111
- 74 कहावत-कोश, सम्पा० श्री मुवनेश्वर प्रसाद मिश्र एव श्री विक्रमादित्य मिश्र, प्रस्ता-
वना, पृ० (क)
- 75 राजस्थानी कहावतें—डा० कन्हैयालाल सहल, पृ० 20
- 76 भाषा विज्ञान कोश, पृ० 581
- 77 साहित्यक मुहा० लोको० कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 130
- 78 वही, पृ० 131
- 79 वही, पृ० 182
- 80 वही, पृ० 60
- 81 वही, पृ० 153
- 82 नन्द० प्र० गो० ली० पृ० 169
- 83 कथ्य राजभाषा मे प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र,
पृ० २३ (अ० शो० प्र०)
- 84 वही, पृ० 48
- 85 A proverb sage and a Modern Novelist, an Elizabethan anti-
quary and a firm of house agents today These have all found a
significance in proverb
— दे० सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन,
—डॉ० लक्ष्मी नारायण शर्मा, पृ० 14 (अ० शो० प्र०)
- 86 हिन्दी गद्य साहित्य मे लोकोक्तिया और मुहावरे, डॉ० मदनलाल शर्मा (अ० शो०
प्र०,) पृ० 126
- 87 राजस्थानी कहावता, प्रो० नरोत्तमदास स्वामी व मुरलीधर व्यास, भाग 1
अवतरणिका, पृ० 6
- 88 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 143
- 89 हिन्दी गद्य साहित्य मे लोकोक्तिया एव मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा (अ० शो०
प्र०) पृ० 128
- 90 वही, पृ० 128
- 91 साहि० मुहा० लोको० कोश—हरिवश राय शर्मा, पृ० 227
- 92 वही, पृ० 299
- 93 वही, पृ० 203
- 94 वही, पृ० 12

104 : लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

- 95 दे० ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पूर्वपीठिका, पृ० 493-507
- 96 तुलसी-काव्य की लोकतात्विक सरचना—डॉ० गया सिंह, पृ० 155
- 97 लौकिक न्यायाञ्जलि सी० जी० ए० जैकब, तृतीयो भाग., पृ० 2 (प्रिंसेस)
- 98 मालवी कहावतें, मेहता, रतन लाल, भाग 1 का प्राक्कथन, पृ० 2
- 99 राजस्थान कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 29-32
100. वही, पृ० 32
- 101 वही।
- 102 कहावत कोश—सम्पादक श्री भुवनेश्वर नाथ व श्री विक्रमादित्य मिश्र,
प्रस्तावना, पृ० छ-ग
- 103 दे० हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पौडश भाग (सम्पादक राहुल सावृत्पायन,
एव डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय)—(अवधी लोक-साहित्य)—श्री सत्यव्रत अवस्थी,
पृ० 190
- 104 दे० वही (छत्तीसगढी लोक-साहित्य), श्री दयाशंकर शुक्ल, पृ० 284
- 105 कहावत कोश—सम्पादक श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र व श्री विक्रमादित्य मिश्र,
प्रस्तावना, पृ० ग
- 106 ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 83-84
- 107 विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 4-9
- 108 वही
109. दे० कन्नौजी लोक-साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, पृ० 206-207
- 110 हिन्दी साहित्य कोश—सम्पादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पृ० 446
- 111 ग्राम-साहित्य—प० रामनरेश त्रिपाठी, तृतीय भाग, पृ० 288
- 112 कुमाऊ का लोक-साहित्य—डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय, पृ० 222-223
- 113 हिन्दी साहित्य-कोश, सम्पा० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 754
- 114 भारतीय साहित्य शास्त्र कोश—डॉ० राजवश सहाय, 'हीरा' पृ० 1107
115. लोकप्रवादानुकृतिलोकोक्तिरिति भव्यते ।
सहस्र कति चिन्मासान्मीलयित्वा विलोचने ॥ कुव० 157
- 116 सरस्वती कण्ठाभरण, भोज, 2/39
- 117 अग्निपुराण—6/21
- 118 अलंकार शिखर—केशवमिश्र, 6/22
- 119 विस्तार के लिए देखिए—भारतीय साहित्यशास्त्र कोश—डॉ० राजवश सहाय
'हीरा', पृ० 1108
- 120 Aphorism is a short Pithy statement containing truth of general
import—A treasury of English Aphorism · by Logan Pearsal
Smith—P. 44
(I) Maxim is a statement of greatest weight

(II) Aphorism only states some broad truth of general bearing, a maxim besides stating the truth, enjoins a rule of conduct as its consequence—Studies in Literature by F V Morley, p 62.

Any saying of pointed character and a sting in its tail is an epigram

—विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—

डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 32-34

- 121 'वाङ्मय प्रवाद'—डॉ० सुशील कुमार, पृ० 4
- 122 'नैतिक जगतेर सत्य हइले ओ ब्यावहारिक जगतेर तथ्य नये'—वही
- 123 राज० कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 37
- 124 Introduction note to Stevenson's book of Proverb, Maxim & Familiar Phrases
- 125 कुमाऊँ का लोक-साहित्य—डॉ० पाण्डेय, पृ० 219-220
- 126 संस्कृत लोकोक्ति संग्रह—प० घरणीधर वाजपेयी, प० बालकृष्ण भट्ट, भूमिका ।
- 127 हिन्दी मुहावरे—ब्रह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर'
- 128 गया मुल्लुगात—फारसी कोश, पृ० 445
- 129 लुगातकिश्वरी, स्तम्भ 2, पृ० 439
- 130 फरहग जासफिया, जिल्द चहारूम, स्तम्भ 1, पृ० 303
- 131 उर्दू-हिन्दी शब्दकोष—मुहम्मद मुस्तफा खाँ यद्दाह, पृ० 543
- 132 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचद्र, पृ० 74 (अ० शो० प्र०)
- 133 उर्दू हिन्दी शब्द कोश—मुहम्मद मुस्तफा खाँ यद्दाह, पृ० 543
- 134 मुहावरा-मीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 5-6
- 135 A Dict of English & Skt by Dr Monier Williams p 357
- 136 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिश्र, पृ० 6
- 137 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 151-152
- 138 राजस्थानी कहावतें—डॉ० सहल पृ० 23
- 139 अच्छी हिन्दी—(क्रियाएँ और मुहावरे)—रामचन्द्र वर्मा, पृ० 164
- 140 मुहावरा मीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 12
- 141 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, भाग 12, पृ० 60
- 142 Idiom To make a Person's own, to make proper or peculiar, Fr idios one's own proper, peculiar, akin to skr vi asunder
(1) The Language proper or peculiar to a people (a tongue)
or to a district, community, or class (a dialect)

- (2) The syntactical, grammatical, or structural form Peculiar to any language, the genius, habit, or cast of a language
- (3) An Expression established in the usage of a language that is peculiar to itself either in grammatical construction, or in having a meaning which can not be derived as a whole from the conjoined meanings of its elements
- (4) A form or form of expression characteristic of an author, as Browning's Idiom, —some times extended to individuals and school in painting music, etc
- (5) Peculiarity, special nature Now Rare

—Webster's International Dict Col 3 p 1067

143 डिक्शनरी आफ द इंग्लिश लैंग्वेज पृ० 613

- (1) A mode of expression peculiar to a language Peculiarity of expression or Phraseology a phrase stamped by the usage of language or of a writer with the signification other than its grammatical or logical one
- (2) The genius or peculiar cast of a language
- (3) Dialect peculiar form variety of language

—Imperial Dict, page 555

144 Idiom

145 146 Idiom

- (1) The Form of speech peculiar or proper to a people of country, own language or tongue
 - (b) In narrower sense, the variety of a language which is peculiar to a limited district or class of people dialect
- (2) The specific character property or genius of any language the manner of expression which is natural or peculiar to it
- (3) A Form of expression grammatical construction, phrase etc Peculiar to a Language

—Murray's New English Dict Vol V PP 20-21,

147 Idiom

- 1 (a) The Form of Speech peculiar or proper to a people or country, own language or tongue

- (b) In narrower sense that variety of a language which is peculiar to a limited district or class of people, dialect,
2. The specific character, property, or genius of any language, the manner of expression which is natural or peculiar to it
 - 3 A form of expression, grammatical construction, phrase, etc to a language, a peculiarity of phraseology approved by the usage; of a language, and often having a significant other than its grammatical or logical one
 - 4 Specific form or property, peculiar nature, peculiarity
- The Oxford English Dict, Vol V P 21.

- 148 Words and Idioms, Dr L P Smith, p 167
- 149 भाषा-विज्ञान कोश—डॉ० भोलानाथ तिवारी, पृ० 524-525
- 150 हिन्दी शब्द सागर, भाग 8, मूल सम्पादक श्यामसुन्दरदास, पृ० 3986
- 151 हिन्दी मुहावरे—ब्रह्मस्वरूप दिनकर, भूमिका
- 152 अच्छी हिन्दी—क्रियाएँ और मुहावरे श्री राम चन्द्र वर्मा, पृ० 169-170
- 153 हिन्दुस्तानी, अप्रैल, 1940, पृ० 168
- 154 हिन्दी मुहावरे, रामनरेश त्रिपाठी, प्रस्तावना, पृ० 3-4
- 155 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिश्र, पृ० 5-6
- 156 कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र (अ० शो० प्र०), पृ० 65
- 157 वही
- 158 मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 49
- 159 हिन्दी मुहावरे—डॉ० प्रतिभा अप्पवाल, पृ० 3
- 160 वही, पृ० 5
- 161 हिन्दी शब्द-सागर, आठवा भाग, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, पृ० 3986
- 162 मुकदमा क्षेत्री शायरी—मौलाना हाली, पृ० 142-143
- 163 अच्छी हिन्दी (क्रियाएँ और मुहावरे)—रामचन्द्र वर्मा, पृ० 163
- 164 विस्तार के लिए दे०, बोलचाल—अयोध्यासिंह उपाध्याय, मुहावरा प्रकरण—पृ० 115-225
- 165 दे० हिन्दी गद्य-साहित्य में लोको० और मुहा०—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ० 168-169 (अ० शो० प्र०)
- 166 विस्तार के लिए देखिए—भक्तिकालीन ब्रज साहित्य में मुहावरे—डॉ० सरोज अप्पवाल, पृ० 118-141 (अ० शो० प्र०)
167. वही, पृ० 135
- 168 वही, पृ० 136

108 लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

169 हिन्दी शब्दानुशासन—प० किशोरीदास वाजपेयी, पृ० 227

170 गो० स्वा०—पद 23 पृ० 12, सू० सा० 1523 पृ० 573 तथा वही 62 पृ० 21

171 Certain proverbs are proverbial phrases are also so firmly embedded in our colloquial speech that they may perhaps, without stretching the definition too far, be regarded as English Idioms —Words & Idioms, Dr. L. P. Smith, p 176

172 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिश्र, पृ० 7-8

173 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अछ्ययन—डॉ० रमेश चन्द्र पृ० 79 (अ० शो० प्र०)

174 सूरदास—डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, पृ० 483, चतुर्थं सस्करण

175 भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल पृ० 112-113 (अ० शो० प्र०)

176 बिहारी रत्नाकर—159, कृ० र०—सेनापति—41, पच—मै० श० गुप्त, पृ० 51

177 सू० सा० 1923 पृ० 718

178 भोजपुरी लोकोक्तिया और मुहावरे—मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध, पृ० 60-61

179 भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल (अ० शो० प्र०) पृ० 112

180. मुहावरा भीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 372

181 हिन्दी लोकोक्तिया और मुहावरे—बाबू गुलाबराय, आमुख, पृ० ख

182 हिन्दी मुहावरे—श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर', विषय परिचय, पृ० 1

183. हिन्दी मुहावरे—श्री राम नरेश त्रिपाठी, भूमिका, पृ० 5

184. कहावत कोश—श्री विक्रमादित्य मिश्र 'माधव' प्रस्तावना, पृ० ६

185 वही, पृ० च

186 सन्त-साहित्य (भाषापरक अछ्ययन)—डॉ० प्रेम नारायण शुक्ल पृ० 368

187. कोरवी वाक्-पद्धति और लोकोक्ति-कोश—डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा, भूमिका, पृ० 12-13

188 भाषा विज्ञान कोश—डॉ० भोलानाथ तिवारी, पृ० 526

189 बोलचाल—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', पृ० 176-177

190 राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 26-27

191. मुहावरा भीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्ता, पृ० 370

192. भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल, पृ० 114, (अ० शो० प्र०)

193. बोलचाल—भूमिका—अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध, पृ० 170

- 194 भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे, डॉ० सरोज अग्रवाल, पृ० 115, (अ० शो० प्र०)
- 195 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पृ० 79 (अ० शो० प्र०)
- 196 साहित्यिक मुहावरा—लोकोक्ति कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 279
197. सू० सा० 4592, पृ० 1584
- 198 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पृ० 83 (अ० शो० प्र०)
- 199 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियो का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटे लाल द्विवेदी, पृ० 41 (अ० शो० प्र०)
- 200 राज० कहावतें—डॉ० क० ला० सहल, पृ० 26
- 201 भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल पृ० 115, (अ० शो० प्र०)
- 202 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र पृ० 80 (अ० शो० प्र०)
- 203 राजस्थानी कहावतें—डॉ० क० ला० सहल, पृ० 81
- 204 साहित्यिक मुहा० लोको० कोश—हरिवश राय शर्मा, पृ० 10-11
- 205 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पृ० 81 (अ० शो० प्र०)
- 206 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियो का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटे लाल द्विवेदी, पृ० 41 (अ० शो० प्र०)
- 207 भक्तिकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल, पृ० 116 (अ० शो० प्र०)
- 208 भारतीय कहावत सग्रह—सम्पा० विश्वनाथ दिनकर नरवणे, पृ० 5
- 209 वही, पृ० 5
- 210 राजस्थानी कहावतें—डॉ० क० ला० सहल, पृ० 371
- 211 विस्तार के लिए देखिए—भारतीय कहावत सग्रह, विश्वनाथ दिनकर नरवणे पृ० 82-83
- 212 हिन्दी मुहावरे—डॉ० प्रतिभा अग्रवाल, पृ० 78, 83 तथा 136
- 213 सू० सा० 4270, पृ० 1486, 4351, पृ० 1511
- 214 भारतीय कहावत सग्रह—विश्वनाथ दिनकर नरवणे, पृ० 197
- 215 सू० सा० 4050 पृ० 1418
- 216 प० सा० 577 पृ० 256
- 217 दे० सू० सा० 1798 पृ० 672, 2232 पृ० 814, 2460 पृ० 892, 2500 पृ० 903, 2521 पृ० 910, 2526, पृ० 911, 3446 पृ० 1194 ।

110 लोकोक्ति और मुहावरा स्वरूप विश्लेषण

218 वही सू० सा० 4144 पृ० 1447, 4348 पृ० 1510

219 हिन्दी भक्ति-साहित्य में लोक तत्त्व—डॉ० रवीन्द्र भ्रमर, पृ० 191

220 देखिए—ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, विषय प्रवेश, पृ० 2

221 Folklore is not something far away and longage, but real and living among us —Here the past has some thing to say to the present and bookless world that likes to read about itself, concerning our basic, oral and democratic culture as the root of arts and as a sidelight on history

—American Folklore (Pocket Book) p 15
द्रष्टव्य मगही लोक साहित्य—डॉ० सम्पत्ति आर्याणी, पृ० 2

222 (A) Folk-lore may be said to include all the culture of people, which has not been worked in to the diffical religion and history, but which is and always been of self growth

—Psychology and Folklore by
R R Maret, p 76

(B) Modern researches in to the early history of man, conducted on different lines have converged with almost irresistible Force on the conclusion, that all civilized races have at some period or other emerged from a state of savagery resembling more or less closely the state in which many backward races have continued to the present time; and that long after the majority of man in a community have ceased to think and act like savages, not a few traces of the old ruder modes of life and thought survive in the habits and institution of the people Such survivals are included under the head of folklore which, in the broadest sense of the word, may be said to embrace the whole body of a people traditinary believes and customs, so far as these appear to be due to the collective action of 'the multitude' and can not be traced to the individual of great men

—Frazer man and God and Immortality, p 42

(C) Myth arose in savage condition prevalant in remote ages among the whole human race, it remains comparatively unchanged among the modern rude tribes who have de-

partted least from these primitive conditions, whole even higher and later grades of civilization, partly by retaining its actual principles, partly by carrying on its imperfect results in the form of ancestral tradition, have continued it not merely in toleration but in honour

—Tylore, Primitive Culture, Vol 1, p 283

Quoted in poetry and Myth Prescott, p 13

(D) Folkore means the study of survivals of early custom, belief, narrative and art

—An Introduction to Mythology by Lewis Spence, p 11

विस्तार के लिए दे० भारतीय साहित्य आगरा वि० वि० हिन्दी विद्यापीठ का प्रमुख पत्र, अक्टूबर, 1956, वर्ष 1 अंक 4 पृष्ठ 1-3।

223 Indeed the notion that man began with pure moral and religious ideas and a sensible language but gradually became possessed by a licentious imagination and so formed untrue and unlovely conceptions, has been quite given up, and we see instead that he began with the crudest daeams and Fancies, which were by a long, natural and (in general) healthy growth gradually elevated and refined

—Poetry and myth by Presscot p 101

द्रष्टव्य, वही पृ—2

224 द्रष्टव्य वही

225 Every tradition...Myth and story contains two perfectly independent elements—the fact upon which it is founded and the interpretation of the Fact which its founders have attempted

—Gomm Folklore as an Historical Science, p 10

It need to be said again that the art business has two sides to it First the subject, and second the way in which the subject is treated

—Famous Artists their models by
Thomas Craven, p x

द्रष्टव्य, वही, पृष्ठ—3

226 मयों न योषामभ्येति पदचात् ।

श्रृ० 1/115/2

227 राज लोक-साहित्य का अध्ययन, डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 2

112 . लोकोक्ति और मुहावरा स्वरूप विश्लेषण

- 228 पृथिवीपुत्र—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० 85 (लोकवातसास्त्र)
- 229 डॉ० ब्रजलोक-साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 5
- 230 वही, पृ० 8
- 231 लोक कला मूल्य और सन्दर्भ—डॉ० महेन्द्र भानावत, भूमिका, डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 3
- 332 भारतीय साहित्य—आगरा वि० वि० हिन्दी विद्यापीठ का प्रमुखपत्र, अक्टूबर 1956, वर्ष 1, अंक 4, पृ० 3
- 233 लोक कला मूल्य और सन्दर्भ—डॉ० महेन्द्र भानावत, भूमिका, पृ० 3 4
- 234 वही ।
- 235 वही ।
- 236 सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 38 (अ०शो०प्र०)
- 237 कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेश चन्द्र पृ० 66 (अ०शो०प्र०)
- 238 राजस्थानी कहावत—प्रो० न० दा० स्वामी, प० मु० ध० व्यास, अवतरणिका, पृ० 3
- 239 तुलसी-काव्य की लोक-तात्त्विक संरचना—डॉ० गया सिंह, पृ० 155
- 240 हरियाणा लोक-साहित्य सांस्कृतिक सन्दर्भ—डॉ० भीमसिंह मलिक, पृ० 76-77
- 241 कौरवी वाक् पद्धति और लोकोक्ति-कोश—डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा, पृ० 5-6
- 242 सम्मेलन पत्रिका—स० प० रामप्रताप त्रिपाठी—भाग 59, संख्या 4, आश्विन-मार्गशीर्ष, त्रैमासिक (विविधा), पूर्वी ब्रज की वाक् पद्धतियाँ, पृ० 91
- 243 हिन्दी गद्य-साहित्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा पृ० अ, दो शब्द (अ० शो०प्र०)
- 244 सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मी नारायण शर्मा पृ० 46 (अ०शो०प्र०)
- 245 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियों का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटेलाल द्विवेदी पृ० 43 (अ०शो०प्र०)
- 246 कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित मुहावरों और कहावतों का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र पृ० 51, 53 (अ०शो०प्र०)
- 247 भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन—डा० शशि शेखर तिवारी, पृ० 74 (अ०शो०प्र०)
- 248 हरियाणा लोक-साहित्य . सांस्कृतिक सन्दर्भ, डॉ० भीमसिंह मलिक पृ० 85
- 249 हिन्दुस्तानी स० रामचन्द्र टण्डन (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त, इलाहाबाद, अंक 2, भाग 9—'भोजपुरी लोकोक्तियाँ'—डॉ० उदयनारायण तिवारी), पृ० 19
- 250 लोकवार्ता पत्रक, लेखक श्री कृष्णानन्द गुप्त, सं० 3, पृ० 1

251. पृथिवीपुत्र—डॉ० घासुदेव शरण अप्रवाल, पृ० 111
252. शोध-पत्रिका—मालवी कहावतें—सम्पा० रत्नलाल मेहता। साहित्य शोध सस्थान, राजस्थान वि०वि०, भाग 3, अंक 3, चैत्र, पृ० 151,
253. कहावतो की कहानियाँ—डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, पृ० 5, भूमिका
254. राजस्थानी कहावतें—डॉ० क० ला० सहल, पृ० 2
255. लोकवार्ता पत्रक,—कृष्णानन्द गुप्त स० 3, पृ० 1
256. Dictionary of Bible pp. 767-768.
257. कहावत-कोश—श्री विक्रमादित्य मिश्र, प्रस्तावना, (6)
258. तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तियों का तुलनात्मक एव भाषा वैज्ञानिक अध्ययन—
डॉ०के०वी०वी०एल० नरसिंह राव, पृ० 6 (अ०शो०प्र०)
259. ब्रजभारती, “कहावतो द्वारा मानव जीवन की अभिव्यक्ति।” वर्ष 3, अंक 4, पृ० 3
260. राजस्थानी कहावता—प्रो० न० दा० स्वामी, प० मृ० घ० व्यास प्र० भा० अक्षतरणिका, पृ० 45
261. कन्नौजी लोक-साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, अक्षतरणिका, पृ० 204-210
262. लेखक और कला, श्रौंस तौन्तिन प्रे-दिन, अनु० अमृतराय, पृ० 49 दे० आलोचना, अक्टू० 1954,
263. रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द : काव्यम्—रसगगाधर 1/1
264. होरेस की काव्यकला, सम्पा० डॉ० महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० 12
265. R A Scott James : Making of Literature, p. 104.
266. तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तियों का तुलनात्मक एव भाषा वैज्ञानिक अध्ययन—
के० वी० वी० एल० नरसिंहराव, पृ० 6 (अ० शो० प्र०)
267. 'राजस्थान भारती', शीर्षक 'राजस्थानी हिन्दी शब्दकोश'—'छोट' शब्द और उसके मुहावरे—स० बदरीप्रसाद साकरिया, जुलाई, 1956, अंक 3-4, पृ० 152
268. हडौती कहावतें—डॉ० नाथूलाल पाठक, भूमिका
269. हिन्दी गद्य साहित्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे—डॉ० भदन लाल शर्मा, पृ० 172-173 (अ० शो० प्र०),
270. सन्त साहित्य-(भाषापरक अध्ययन)-डॉ० प्रेम नारामण शुक्ल, पृ० 368
271. हिन्दी मुहावरा कोश—सरहिन्दी, प्रस्तावना
272. हिन्दी मुहावरे—प० रामदाहन मिश्र, भूमिका, पृ० 15
273. कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेश चन्द्र पृ० 74 (अ० शो० प्र०)
274. भारतीय कहावत सग्रह—सम्पा० विश्वनाथ दिनकर नरवणे, भूमिका, पृ० 3-4

संदर्भ-संकेत

1. 'संस्कृत लोकोक्ति संग्रह'—पं० धरणीधर वाजपेयी, पं० बालकृष्ण भट्ट, पुरोवाक् ।
2. (क) सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तिषु का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा (अ० शो० प्र०) प्रथम अध्याय (अ) लोकोक्ति-निरूपण, पृ० 1
(ख) श्वा० लो० 76 दर्शने । लुलोके । लो० अलुलोकदिति ।—सिद्धान्त कौमुदी—भट्टोजि दीक्षित, पृ० 87 तथा पृ० 348, पृ० 343
(ग) लोक दीप्तां च० उभ० सक० सेट् । लोकयति ते अलुलुकत् (त) । लोक दर्शने श्वा० आ० सक० सेट् । लोकते अलोकिष्ट लुत्तोके । ऋदित् चडि च ह्रस्वः । अलुलुकत् (त) । लोक पु० लोकयतेऽसौ लोक-घञ् ।—वाचस्पत्यम् भाग षष्ठ, पृ० 4833 ।
3. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, षोडश भाग, प्रस्तावना, पृ० 1
4. (क) उक्ति स्यै वच् भावे क्तिन् । कथने ।
“अति सक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः”—मुक्तावली । “उक्तिप्रत्युक्तिरूपं वाको वाक्यम्”—छा०भा० । “व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः” इत्यमरः तथा शब्दशक्तौ च” एकयोक्ता पुष्पवन्ती दिवाकरनिशाकरो—अमर०
—वाचस्पत्यम् भाग द्वितीय, पृ० 1050
5. हिन्दी साहित्य कोश (भाग 1)—सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 747
6. (क) जगती लोकोक्तिषु भुवनं जगत् । लोकोऽप्य भारतवर्षम् । अमरकोष 2/1/6 अधो भुवनपातालं बलिसदम् रसातलम् । नागलोकोऽप्य... वही 1/8/1 लोकस्तु भुवने जने—वही 31312
‘भुवनार्थकं लोकं शब्दस्य गरुड पुराणे सप्तभेदा उक्तास्तथाहि’—सप्तलोकाः प्रकीर्तिताः—भूर्लोकं नाभिमध्ये तु भुवर्लोकं तदूर्ध्वके । स्वर्लोकं हृदये विद्या-त्कण्ठदेशे महस्तथा । जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं सलाटके । सत्यं लोकं ब्रह्मरन्ध्रे—इति गरुड पुराणे 115/57-59 । भूर्भवः स्वभवेन त्रय एव लोका इत्यपि परे । वही—अमरकोष परिशिष्टम् ।
(ख) भूर्भुवः स्वर्म्महश्चैव जनश्च तप एव च । सत्यलोकश्च सप्ततैते लोकास्तु... परिकीर्तिता । इत्यग्निपुराणम् । अपि च—भूर्लोकं भुवः स्वर्लोकश्चैव लोक-

98 : लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

मिदमुच्यते । महर्जनस्ताप सत्यः सप्तलोकाः प्रकीर्त्तिताः ॥

—शब्द कल्पद्रुमः—चतुर्थं काण्डम्, पृ० 231

7. हिन्दी शब्द सागर, मूल सपा० श्यामसुन्दर दास, भाग 8, पृ० 4318

8. ऋ० 10/90/14

9 हिन्दी शब्द सागर, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, भाग 8, पृ० 4318

10. अशोक का शिलालेख, पृ० 174(14) गिरिनार मे ।

11. Folklore includes folk are, folk crafts, folk tools, folk custom, folk custume, folk belief, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature but which are better described as verbal art Verbal art, which includes, such forms as folk tales, legends, myths, proverbs, riddles, and poetry, has been the primary concern of folk-lorists from both the humanities and the social sciences since the beginning of folklore as a field of study, and it is with this principal segment of folklore that this article of concerned.

European interest in folklore goes back at least to the sixteenth century and the age of exploration, but the modern study of folklore is generally considered to date from the early years of the nineteenth century, when the Grimm brothers began collecting german folktales in the field. The Folklore was first introduced in English in 1846 by William John Thoms, who urged that accounts of "manners, customs, observances, superstitions, bellads, proverbs, &c, of the olden time." be recorded in Britain for future study and for comparison with the materials which were being recorded in Germany by the Grimm brothers and other scholars."

—International Ency. of Social Science, Vol. 5, pp 496-497.

12. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, भाग 9, पृ० 444

13 हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, षोडश भाग, प्रस्तावना, पृ० 9

14. जनपद त्रैमासिक, अंक 1, पृ० 66

15. सम्मेलन त्रैमासिक, लोक सस्कृति विशेषांक, पृ० 65

16. लोकेः ख्यातिमुपायताम् सकले लोकोक्तिरेषा यतो ।

दग्धाना विल बह्निना हितकरः सेवोऽपि तस्योद्भवः ॥

—दे० सस्कृत लोकोक्ति संग्रह—प० घ० घ० वाजपेयी, प० धा० वृ० भट्ट,
धूमिका ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
18	9,10	इस प्रकार पढ़ें—नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णो द्यौः समवर्तत । पद्म्या भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन् ॥	
21	20	ordspark	ordsprak
22	5	पुरपस्य	पुरुपस्य
22	11	वत	वत
22	12	जीवन्त मानन्दो	जीवन्तमानन्दो
22	19	पिण्डमुत्सृज्य	पिण्डमुत्सृज्य
25	4	इसकी	इस
27	28	सारगभिता	सारगभितता
32	29	ग्रामीण क्षेत्र से इतर—यहां 'प्रश्न' शब्द न पढ़ें ।	
35	10	को	के
36	35	इस-प्रकार पढ़ें—'सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव ।'	
37	32	पक	पंक
41	5	फूलैडारि	फूलैफलैडारि
42	30	संक्षिप्तादि	संक्षिप्ततादि
46	14,16	क्षणक मात्र	क्षणकमात्रं
46	17,18	इस प्रकार पढ़ें—'चराटकान्वेषणे प्रवृत्तश्चित्तमणि लब्धवान्' ।	
46	21	धूमेनाग्निरिवावृताः	धूमेनाग्निरिवावृताः
47	3	आमाणक	आभाणक
49	1	'कथावत्'	'कथावत्'
51	21	सौलयित्वा	सौलयित्वा
51	33	यत्त पोटा मत्तोक्ति	यत्त पोटा मत्तोक्ति
52	4	छायामिच्छन्ति	छायामिच्छन्ति
53	9	उपदेशात्मक	उपदेशात्मकता

25/1/12

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
54	9	नैतिकता	व्यावहारिकता
57	13	ईदृश	ईदृश
62	16	आदि कुछ	आदि के कुछ
62	26	गुण अभाव	गुण के अभाव
64	6	दूसरा	दूसरा
68	3	गहो	गहो
70	24	फेरि	फेरि
73	23	प्रदर्शित	प्रदर्शन
74	10	पामरा	पामरो
75	4	शब्दो न्यूनाधिक्य	शब्दो का न्यूनाधिक्य
75	8	नाच	नाचें
76	1	जिह्वा	जिह्वा
78	8	Frailty	Frailty
78	21	Wether	Wetter
78	22	da boa	da ba boa
78	25	EL melon, concer	EL Melon, conocer
79	1	इस प्रकार पढ़ें—	“पुरपस्य भाग्य देवो न जानाति, कुतो मनुष्य ।
79	27	श्रद	श्रद्ध
81	9	अविश्रयाम	विरयाम
89	27	यदि हास्ति तदग्नय	यदिहास्ति तदग्नय
101	11	पृष्ठ 136	पृष्ठ 137
104	25	भष्यत	भष्यते
106	12	पृष्ठ 613	पृ० 713
106	20	मदभं मस्या 144. Idiom	को पङ्क्ति सं० 13 में मदभं व प्रारम्भ
		में पढ़ें ।	
106	21	मदभं मस्या 145-146	के स्थान पर 145 पढ़ें ।
106,107—		मदभं मस्या 147-164	तमानुसार 146-163 पढ़ें ।
107	27	पृष्ठ 163	पृष्ठ 173
108	14	पृष्ठ 51	पृष्ठ 53
108	31	हॉ० ओम्प्रवाग गुला	हॉ० ओम्प्रवाग गुल
112	34	पृष्ठ 19	पृष्ठ 16

